षोडश माला, खंड 10, अंक 32 शुक्रवार,08 मई, 2015
18 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में 31 से 35 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)
अंक 32, शुक्रवार,08 मई, 2015 / 18 वैशाख, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
कोरिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	15
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 601 से 603	23-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न क्रमांक 604 से 620	35
अतारांकित प्रश्न संख्या 6889 से 7718	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 35

सभा पटल पर रखे गए पत्र 36-93

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
कार्यवाही सारांश 94

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
कार्यवाही सारांश 94

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति
9वां प्रतिवेदन 94

राज्य सभा से संदेश 95

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक)(क) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ख) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'खतरे का आकलन और सशस्त्र बलों की तैयारी जिसमें सीमाओं पर घुसपैठ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समन्वय तंत्र और सड़क, हवाई मार्ग तथा रेल के माध्यम से सीमा संपर्क' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री मनोहर पर्रिकर 96

(दो) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी

स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों
के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह 99

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015 97

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सभा की बैठकें बढ़ाए जाने के बारे में 100-113

(दो) एक वांछित आतंकवादी का पता लगाए जाने के संबंध में गृह मंत्रालय के विवरण के बारे में 114-131

नियम 377 के अधीन मामले 132-144

(एक) झारखंड के धनबाद जिले में बी.सी.सी.एल. कोलयरी क्षेत्र और इसके आसपास के सभी निवासियों का अनुमोदित योजना के अनुसार पुनर्वास किये जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह 132

(दो) बिहार के बोध गया स्थित महाबोधी महाविहार का स्वामित्व और प्रबंधन बौद्धों को सौंपे जाने की आवश्यकता

श्री नाना पटोले 133

(तीन) राजस्थान के झुन्झुनू में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष अहलावत 133

(चार) दक्षिणी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री रमेश बिधूड़ी 134

(पाँच) हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया 135

(छह) झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे 136

(सात) विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी बालिका विद्यालयों में पेयजल, शौचालय एवं बिजली संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा राज 137-138

(आठ) नवयुग विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों हेतु पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 139

(नौ) मत्स्यग्रहण क्रियाकलापों पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को सहायता प्रदान कराने हेतु तमिलनाडु को धन आवंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी 141

(दस) चारकोप और मानखुर्द मार्ग पर मुंबई मेट्रो लाइन-2 के अंतर्गत् चारकोप एवं मानखुर्द में कार डिपो की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री राहुल शेवाले 142

(ग्यारह) तेलंगाना में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी 143

(बारह) पंजाब के कांडी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में घटते हुए औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा 144

विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015

विचार के लिए प्रस्ताव 148

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 148

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 10वें और 11वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव 155

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने के बारे में 156-191

श्री निशिकांत दुबे 156-178

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल 179-184

श्री अधीर रंजन चौधरी 185-189

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक -पुरः स्थापित 190-207

(एक) केरल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
श्री एम.के. राघवन 191

(दो) जलमार्ग विकास परिषद विधेयक, 2015
श्री एम.के. राघवन 192

(तीन) पूर्वी क्षेत्र पर्यटन संवर्धन बोर्ड विधेयक, 2015
श्री राजेश रंजन 193

(चार) बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2015
श्री राजेश रंजन 193

(पाँच) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण विधेयक, 2015
श्री राजेश रंजन 194

(छह) नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रेशन और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015
(धारा 7 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)
श्री रवनीत सिंह 194

(सात) विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा और अवंसरचना विकास विधेयक, 2015
श्री राजीव सातव 195

(आठ) ऐतिहासिक धरोहर का परिरक्षण और संशोधन विधेयक, 2015
श्री राजीव सातव 195

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(अनुच्छेद 348 का संशोधन)
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 196

(दस) पब्लिक टेलीफोन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान विधेयक, 2015
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 197

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015
(अनुच्छेद 72 का संशोधन)
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 198

(बारह) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक,2015
(धारा 4 का संशोधन)
श्रीमती पूनम महाजन 198

(तेरह) कन्या शिशु (अतिरिक्त सुविधाओं का उपबंध) विधेयक,2015
श्री प्रह्लाद जोशी 199

(चौदह) निजी चालक (कल्याण) विधेयक, 2015
श्री महेश गिरी 200

(पंद्रह) बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2015
श्री भैरों प्रसाद मिश्र 200

(सोलह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015
(धारा 326 क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
श्रीमती मीनाक्षी लेखी 201

(सत्रह) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015
(धारा 357क का संशोधन)
श्रीमती मीनाक्षी लेखी 202

(अठारह) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2015
(धारा 1 का संशोधन, आदि)
डॉ. संजय जयसवाल 202

(उन्नीस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2015
(धारा 2 का संशोधन)

श्री नाना पटोले 203

(बीस) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (संशोधन) विधेयक, 2015
(धारा 2 का संशोधन, आदि)
श्री बैजयंत जे पांडा 203

(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015
(नए अनुच्छेद 112क और 202क का अंतःस्थापन)
श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी 204

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015
(अनुच्छेद 330 का संशोधन)
श्री आनंदराव अडसुल 204

(तेईस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015
(अनुच्छेद 25 का संशोधन)
श्री चन्द्रकांत खैरे 205

(चौबीस) भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक, 2015
श्री चन्द्रकांत खैरे 206

(पच्चीस) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015
(धारा 304ख का संशोधन)
श्री रवीन्द्र कुमार जेना 206

(छब्बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015
(अनुच्छेद 16 का संशोधन)
श्री आनंदराव अडसुल 207

(सत्ताईस) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015
(धारा 370क का संशोधन)
श्री रवीन्द्र कुमार जेना 207

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 208-271

श्री विनोद कुमार सोनकर 208-211

श्रीमती कविता कलवकुंतला	212-213
श्री दुष्यंत चौटाला	214-217
श्री सी.आर. चौधरी	218-220
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	221-223
श्री रमेश बिधूड़ी	224-226
श्री चंद्रकांत खैरे	227-230
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	231-232
श्री नाना पटोले	233-236
श्री शंकर प्रसाद दत्ता	237-238
श्री शरद त्रिपाठी	239-240
डॉ. मनोज राजोरिया	241-243

लोकसभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना (नाग)डे

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

शुक्रवार, 08 मई, 2015 / 18 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

कोरिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मै अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे देश की यात्रा पर आए कोरिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली के स्पीकर महामहिम श्री चुंग उई-वा और कोरियाई संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करती हूँ।

वे शुक्रवार, 8 मई, 2015 को भारत आए। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं । कोरिया गणराज्य के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। हम उनके माध्यम से कोरिया गणराज्य की संसद, सरकार और मित्र जनता का अभिनंदन करते हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रिविलेज मोशन उठाना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसे बाद में देखेंगे।

...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: माननीय सदस्य राहुल गांधी जी ने फूड पार्क ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन बाद में देखेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो रहा है। बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। बाद में देखेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, उनकी टिप्पणी को हटा दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठिए। क्यों चिल्ला रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सदस्यों, मुझे श्रीमती रंजीत रंजन, श्री राजेश रंजन, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री एंटो एन्टोनी, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री एम.के. रहवान और श्री रवनीत सिंह की ओर से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं। मैं जानती हूँ कि ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें आज के कार्य में व्यवधान की आवश्यकता नहीं है। मामले को अन्य अवसर के माध्यम से उठाया जा सकता है जो मैं निश्चित रूप से दूँगी। मैं आपको हमेशा मौका देती हूँ।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्नकाल।

… (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया (गुना): महोदया 'शून्यकाल'। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: 'शून्यकाल' नही।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मेरा अनुरोध है कि नियम 389 के अधीन, आपको प्रश्नकाल स्थगित करने और हमारी बात सुनने की अवशिष्ट अधिकार प्राप्त है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आजकल नहीं है। [अनुवाद] नियमानुसार, ऐसा नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपने जो बुक दी है, उसमें है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सस्पेंशन का रूल खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: नियम 388 के अधीन, आप प्रश्नकाल को निलंबित कर सकते हैं। नियम 389 के अधीन, आपके पास प्रश्नकाल को निलंबित करने की अधिकार है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सस्पेंशन का रूल खत्म हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, पता चला है कि आप इस सभा की कार्यवाही तीन दिन के लिए बढ़ाने जा रही हैं। *...(व्यवधान)* महोदया, मैं नियम 389 की बात कर रहा हूँ। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, नियम 389 नियमों के निलंबन के बारे में नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपने जो बुक दी है, उसमें है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ससपेंशन का रूल समाप्त हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, सरकार सभा को विश्वास में लिए बिना ही सभा की कार्यवाही तीन दिन के लिए बढ़ाने जा रही है।… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह प्रश्नकाल के निलंबन के बारे में नहीं है।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, नियम 388 में नियमों के निलंबन के बारे में बात की गई है, लेकिन आपके पास किसी भी नियम को अपने आप निलंबित करने की अवशिष्ट अधिकार हैं। … (*व्यवधान*) महोदया, आप इसके लिए प्राधिकारी हैं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नियम 388 आप भी समझ लेना।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, आप इस सदन की सर्वोच्च अधिकारी हैं। … (*व्यवधान*) आप संरक्षक हैं, तथा आप हमारे और सदस्यों के हितों की रक्षा कर सकती हैं। … (*व्यवधान*) आपके पास वह अधिकार है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, अधिकार है, लेकिन नियम 388 कहता है कि: "कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सहमति से . ."। [हिन्दी] आगे भी सुनिए।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैं आपकी सहमति चाहता हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, कृपया मेरी बात सुनें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नियम 388 में कहा गया है कि "कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है कि सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होने वाले किसी नियम को निलंबित किया जा सकता है और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संबंधित नियम को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।" [हिन्दी] यहां कोई मोशन है ही नहीं। यहां तो अभी प्रश्न काल है।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, सदन चलाना बहुत जरूरी है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, आप यह देखिए कि आप तीन दिन इस सदन को और चलाना चाहती हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसका अभी कुछ नहीं है। बाद में देखेंगे। आप कृपया अभी बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है। . (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैंने नोटिस दे दिया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा न कि मैं बाद में आपकी बात सुनूंगी। अभी प्रश्न काल में कुछ नहीं सुनूंगी। बारह बजे बोलिएगा। आप कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, यह महत्वपूर्ण है। … (*व्यवधान*) हमें सदन चलाना है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम प्रश्नकाल, तारांकित प्रश्न स्थगित कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैं बिना किसी नोटिस या प्रस्ताव के इसकी अनुमति नहीं दूंगी।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं बारह बजे सबकी बात सुनूंगी। कृपया आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद**]**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार सदन की अवधि बढ़ाने जा रही है। … (*व्यवधान*) शुक्रवार को कई सदस्य यहां से चले जाएंगे। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं। मैं अभी इसकी अनुमति नहीं दूंगी।

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.08 बजे</u>

इस समय, श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: महोदया, आप प्रश्नकाल को स्थगित क्यों नहीं कर सकतीं? … (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.08 1⁄2 घंटे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष :प्रश्न संख्या 601, श्री दुष्यंत चौटाला।

(प्रश्न **601)**

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला: माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जवाब के एनैक्सचर 2 के अंदर सरकार कहती है कि 606 करोड़ रुपया ...

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.09 बजे

इस समय, श्री प्रसून बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन ऑवर में कैसे हो सकता है? मैं बारह बजे सबकी बात सुनूंगी। अभी नहीं। आप सभी बैठिए।

...(व्यवधान)

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं प्रश्नकाल स्थगित नहीं कर रही हूँ।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कहती है कि 606 करोड़ रुपया सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के अंदर अनयूटिलाइज्ड रहा। ... (व्यवधान) और दूसरी ओर जो सरकार की एनुअल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में प्वाइंट नं. 4.3 में अचीवमेंट के सरकार बताती है कि [अनुवाद] "राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत आज तक कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।" . . [हिन्दी] [व्यवधान) अगर सरकार की अवीवमेंट्स यह है कि एक रुपया ग्रान्ट का नहीं दिया गया तो फिर यह 606 करोड़ रुपया सरकार द्वारा क्यों बचाया गया? ... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के बहादुरगढ़ के अंदर सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये का जो एक प्रोजेक्ट लगना था, ... (व्यवधान) आज तक सरकार द्वारा उसके लिए कोई धनराशि रिलीज नहीं की गई। ... (व्यवधान) आने वाले समय में जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी आयुष संबंधित कोई इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर नहीं है, ... (व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी आने वाले समय में जो यह 606 करोड़ रुपया बचा है, इसके तहत हरियाणा की धरती के अंदर भी क्या कोई योगा, होम्योपैथिक या आयुष संबंधित कोई इंस्टीट्यूट खुलवाने का काम करेंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसका विवरण यह है कि हमें जो बजट मिला है और हमने जो खर्च किया है, इसका टेबल हमने दिया है। आयुष मिशन को सरकार ने मान्यता दी है और इसी मिशन के अंदर सरकार के पास जो परपोज़ल्स आए हैं, उनके मुताबिक हमने फण्ड दे दिया है। ... (व्यवधान) कम से कम 27 राज्यों से परपोजल्स आए थे। हरियाणा सरकार से यदि कोई प्रपोज़ल आया है तो हम उसकी निश्चित तौर से जांच करेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि यदि उनका 15 करोड़ रुपये का प्रपोज़ल है तो उस पर हम निश्चित तौर से विचार करेंगे। ... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनुअल रिपोर्ट संख्या 8.4.2.3 के अंदर लिखा है कि हरियाणा सरकार द्वारा एक रिसर्च सैंटर बनना चाहिए था। ... (व्यवधान)

महोदया, मैं सप्लीमेंटरी क्वैश्चन पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योग हमारी धरती से शुरू हुआ है। यू.एन. ने भी 21 जून को " वर्ल्ड योग दिवस " मनाने की बात कही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका विभाग आने वाले समय में योग के प्रति लोगों में रुझान पैदा करने के लिए

महाभारत की धरती, भगवान श्रीकृष्ण की धरती हरियाणा में योग का इंस्टीट्यूट खुलवाने का काम करेगा? आज हमारे देश में योगा के एक्सपर्ट्स हैं, उनके सर्टिफिकेशन के लिए कोई आथोरिटी नहीं है। ... (व्यवधान) क्या आने वाले दिनों में सरकार उनके सर्टिफिकेशन के लिए कोई आथोरिटी या यूनियन बनाने का काम करेगी? ... (व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। उनकी जो डिमांड है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमने सीसीआईएनवाई से सौ बिस्तर का योग और नेचुरोपेथी का अस्पताल बनाने का सैंक्शन दिया हुआ है। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सैंटर वहां बनेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : योग और नेचुरोपेथी पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग भी दीर्घश्वसन कीजिए, इसको समझिए और शांति प्राप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद आप बोलिएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रश्नकाल के बाद आपकी बात सुनूंगी, अभी नहीं। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया: अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार और मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आयुष मंत्रालय के लिए 1272 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। मैं स्वयं भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और जयपुर में होम्योपेथी की प्रेक्टिस करता हूं। मैंने होम्योपेथी के सफल चिकित्सक के रूप में कार्य किया है। ... (व्यवधान) मेरा होम्योपेथी में बहुत बड़ा विश्वास है कि होम्योपेथी के माध्यम से यदि मरीजों का इलाज किया जाए तो न सिर्फ यह सस्ती चिकित्सा पद्धति है बल्कि बहुत प्रभावी चिकित्सा पद्धति है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से विशेष तौर पर होम्योपेथी डाक्टर्स की देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्तियां दे कर आम जनता को सस्ती और प्रभावी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध कराने के लिए मंत्री जी का क्या विचार है? ... (व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, माननीय सदस्य ने होम्योपेथी और होम्योपेथी डाक्टर्स के बारे में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आयुष मिशन में हमारी जो स्कीम्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना या डाक्टर्स को उसमें सम्मिलित करने का, उसमें जो डाक्टर्स होम्योपेथी की प्रेक्टिस कर रहे हैं, उनका सहभाग हम आयुष मिशन के तहत करना चाहते हैं। ... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रयास चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की है कि होम्योपेथी और आयुर्वेद के डाक्टर्स जिनके पास नौकरी नहीं हैं, उन्हें प्राइमरी हेल्थ सैंटर में जहां-जहां मौका मिले वहां उनकी सेवाएं ले सकते हैं। ... (व्यवधान) हमने आयुष मिशन में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक अस्पताल बनाने का प्रावधान किया है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि अपने डिस्ट्रिक्ट से अस्पताल बनाने का प्रपोज़ल आप भेज दीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पी. करूणाकरण जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन: नहीं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा को 11.30 बजे फिर से मिलने के लिए स्थगित कर दिया गया है।

<u>पूर्वाह्न 11.14 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>पूर्वाह्न 11.30 बजे</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या .602 - श्री एस.पी. मुदाहनुमे गौड़ा।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं अपने निर्णय पर कायम हूँ। मैं 12 बजे मौका दूँगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने एक बार निर्णय दे दिया है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.31 बजे।

†प्रश्नों के मौखिक उत्तर-जारी . .

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या .602 - श्री एस.पी. मुदाहनुमे गौड़ा।

(प्रश्न . 602)

माननीय अध्यक्ष: कृपया पूरक प्रश्न पूछें।

श्री एस.पी. मुदाहनुमे गौड़ा: महोदया, सभा व्यवस्थित नहीं है।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते?

... (*व्यवधान*)

श्री एस.पी. मुदाहनुमे गौड़ा: महोदया, सभा व्यवस्थित नहीं है।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री राघव लखनपाल - उपस्थित नहीं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री नाना पटोले जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.31 ½ बजे

इस समय, श्री दीपेन्द्र हुड्डा, श्री के.एच. मुनियप्पा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

---

† प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री नाना पटोले: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा स्पेशिफिक प्रश्न यह है कि गरीबों के लिए योजनाओं के बारे में मंत्री महोदय ने यहाँ पर जो जवाब दिया है, ... (व्यवधान) वह मेडिकल केयर पॉलिसी के संबंध में है। ... (व्यवधान) क्या सरकार देश के सभी लोगों को बीमा अधिनियम के माध्यम से आरोग्य सेवा उपलब्ध करा सकती है? ... (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम स्पीकर, हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज़ का जो कार्यक्रम चल रहा है, ... (व्यवधान) उसके लिए सरकार कमिटेड है कि उसमें हम राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज़ को फेज़ मैनर में एसिस्ट करेंगे। ... (व्यवधान) इसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐडेक्वेट कैपेसिटी बिल्डिंग है, ... (व्यवधान) उसके लिए जो फाइनैंशियल हेल्प होगी, वे सारी दी जाएंगी। ... (व्यवधान) नैशनल हेल्थ मिशन के तहत हमारी कोशिश है कि हम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत करें और हॉस्पीटल्स में जो गैप्स हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, ... (व्यवधान) दूसरा ह्यूमैन रिसोर्सेज़ का गैप है, तीसरा इक्विपमेंट्स का गैप है ... (व्यवधान) और चौथा इक्विपमेंट्स के मैनेजमेंट का गैप है तथा ड्रग एंड डायग्नोस्टिक्स के सपोर्ट का जो गैप है, ... (व्यवधान) सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन सारे गैप्स को फाइनैंशियली एसिस्ट करके स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोग्राम देती है। ... (व्यवधान) इस तरह से हम यह प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि गरीब लोगों को इससे एक्सेस मिले और उन्हें यह फैसिलिटी मिले। ... (व्यवधान) इसमें फ्री सर्विसेज़ के तहत बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ... (व्यवधान) हम प्रति वर्ष दो करोड़ साठ लाख बच्चों को वैक्सीन्स की इम्यूनाइजेशन कराते हैं। ... (व्यवधान) बचे हुए बच्चों का भी इम्यूनाइजेशन कराते हैं। ... (व्यवधान) उसी तरीके से एक स्त्री जब से प्रिग्नेंट होती है, तब से लेकर बच्चे की डिलीवरी और उसके बाद सभी प्रकार के केयर्स को नैशनल हेल्थ मिशन के तहत सपोर्ट किया जा रहा है। ... (व्यवधान) हमारी कोशिश है कि हम इन गैप्स को फुलफिल करें और ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज़ के अंदर लाये। ... (व्यवधान) [अनुवाद] इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। यह एक सतत प्रक्रिया है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकारें भी उन्हीं परिस्थितियों में प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के लिए, यदि हम धन देते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। [हिन्दी]

उसके लिए उनके पास रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए। ... (व्यवधान) ड्रग प्रोक्योरमेंट, ह्यूमैन रिसोर्सेज़, इक्विपमेंट और डिलीवरी को इंश्योर करके हम उनको पैसा दे रहे हैं, जितनी आवश्यकता होगी, उतना पैसा दिया जाएगा। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. जे. जयवर्धन: माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत के गरीब और वंचित लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा बहुत जरूरी है। हमारे राज्य तमिलनाडु में *माननीय मक्कल मुदालवर पुरातची थलाइवी अम्मा* के कुशल मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक दस लाख गरीब मरीजों ने इलाज कराया है, जिसकी राशि रु.2,110 करोड़ है और इस योजना के माध्यम से सरकारी अस्पतालों ने रु. 764.20 करोड़ कमाए हैं, जिसका उपयोग इन सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। प्रति वर्ष प्रति परिवार रु. 1,00,000 तक का कवरेज प्रदान करने के अलावा और कुछ विशेष बीमारियों और गंभीर प्रकृति की प्रक्रियाओं के लिए यह 1,50,000 रु. तक है। योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को जिले में प्रति माह एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाना अनिवार्य है। यह दृष्टिकोण बीमारियों के इलाज, जांच और रोकथाम में काफी उपयोगी रहा है। क्या केंद्रीय मंत्रालय पूरे देश के लिए समान समग्र दृष्टिकोण अपनाएगा?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: तमिलनाडु में उनके पास एक अच्छी प्रणाली है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। साथ ही, हम उसी तरीके से समर्थन भी दे रहे हैं. हम यह भी देख रहे हैं कि कई राज्य हमारी सहायता ले रहे हैं। कुछ राज्य सहायता नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी प्रणाली है। तमिलनाडु के पास एक अच्छी प्रणाली है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी तथा जिस भी राज्य को इसकी ज़रूरत हो, हम उसे पूरा करें।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदया,वर्ष 2003 में वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने एक फुल पेज सप्लीमेंट निकाला था,जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में कहा गया था कि [अनुवाद] वे स्वास्थ्य देने वाले उद्योग नहीं हैं, वे रोग उत्पन्न करने वाले उद्योग हैं। [हिन्दी] हमारा जो आयुर्वेद है, ... (व्यवधान) आयुष है, वह कहता

है कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो दीघार्यू हों, स्वस्थ हों और समाज का नाम करें। लुकमान ने कहा है कि बुढ़ापा और मौत को छोड़कर, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसका इलाज वनस्पतियों में और आयुर्वेद में न हो। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास यह डाटा अवेलेबल है, नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम हमारे पास है तो आयुष को बढ़ाने के लिए लोगों में जन-जागृति के लिए प्रयास करें। अभी मंत्री जी जवाब दे रहे थे [अनुवाद] कि भ्रूण ही मनुष्य का पिता है। [हिन्दी] जब से महिला माता बनने वाली हो, ... (व्यवधान) क्या ऐसा कुछ साहित्य का निर्माण करने वाले हैं, जिससे जन-जागृति हो सके? ... (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, माननीय सदस्य के दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न ड्रग्स के बारे में है। ड्रग्स में हमने एसेंसियल ड्रग्स को एनकरेज किया। ... (व्यवधान) जेनेरिक ड्रग्स ... (व्यवधान) उसके लिए एक ड्रग्स लिस्ट बनानी पड़ेगी, ... (व्यवधान) एसेंसियल ड्रग्स लिस्ट भी चाहिए और साथ ही जेनेरिक ड्रग्स लिस्ट भी चाहिए। ... (व्यवधान) जो स्टेट्स ऐसा कर रही हैं, जेनेरिक ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको हम फाइव परसेंट फाइनेंशियल इन्क्रीज दे रहे हैं। ... (व्यवधान) जहां तक आयुष का सवाल है, वैसे यह विषय आयुष मंत्रालय देखता है, लेकिन हमारे एम्स में भी हमने आयुष का सेंटर सेट-अप किया है, ताकि अगर कोई उसका फायदा लेना चाहे तो ले सके। ... (व्यवधान) हमारा प्रयास है कि किसी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाकर, उसमें किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, उसकी दृष्टि से हम आगे स्टडी करेंगे और इस काम को कराने का प्रयास करेंगे। ... (व्यवधान) परन्तु, एम्स में हमने आयुष का एक सेंटर बनाया है। (इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 603, श्री नारणभाई काछड़िया - उपस्थित नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण।

(प्रश्न **603)**

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि सरकार को देश के साइबर स्पेस के लिए मौजूद खतरों से पूरी तरह सचेत होना चाहिए, खासकर चीन से लगातार हो रहे साइबर अटैक से गंभीरता से निपटना चाहिए। मीडिया और कुछ सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत पर होने वाले अधिकांश साइबर अटैक चीन स्थित ग्रुप की ओर से होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि चीन के हैकरों ने देश की सुरक्षा संबंधी गुप्त सूचनाएं चुराने की घटनाएं सामने आई हैं, इस संदर्भ में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री मनोहर परिंकर: माननीय सदस्य मूलतः रक्षा क्षेत्र के नेटवर्क के हैक होने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि सशस्त्र बलों के नेटवर्क एयर-गैप्ड, उन्नत और मुख्य नेटवर्क से अलग हैं तथा यह इंटरनेट पर नहीं चलते हैं। इसलिए, रक्षा द्वारा अपने परिचालन उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क की कोई हैकिंग नहीं होती है।

[हिन्दी]

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : महोदया, बढ़ते हुए खतरों के बावजूद भारत साइबर सिक्योरिटी पर काफी खर्च करता है और भारतीय एजेंसी के पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह साइबर सिक्योरिटी का बजट कम से कम दस गुना बढ़ाने के बारे में विचार करेगी या नहीं?

श्री मनोहर परिंकर:आर्मी का जो नेट है, उसमें हैकिंग होने का चांस नहीं है, क्योंकि वह इंटिग्रेटेड नेटवर्क इंडिपेंडेंट है और [अनुवाद] सशस्त्र बलों को इंटरनेट से अलग कर दिया गया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी] आप जो साइबर सिक्योरिटी की बात कह रहे हैं, उसके लिए काफी एक्सरसाइज चालू है, जिसके कारण साइबर अटैक का चांस कम ही है।

[अनुवाद] जहां तक सशस्त्र बलों का सवाल है, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं कि [हिन्दी] आर्म्डफोर्सेज़ के एक भी ऑपरेशनल नेटवर्क में हैकिंग नहीं हो सकती, इसकी पूरी जवाबदेही है। एन.आई.सी. में फायरवाल्ड जैसे कई प्रावधान हैं।

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन: माननीय अध्यक्ष महोदया, साइबर असुरक्षा सभी क्षेत्रों में व्याप्त है, विशेषकर कभी-कभी यह रक्षा क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। … (*व्यवधान*)

हाल ही में, रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक कार्यालय की वेबसाइट हैक होने के बाद सेना प्रमुख सहित 50,000 से अधिक सेना अधिकारियों के व्यक्तिगत विवरण लीक होने की बात कही जा रही है। यह कार्यालय सेना अधिकारियों के वेतन और अन्य पारिश्रमिक से संबंधित खातों का प्रबंधन करता है। … (*व्यवधान*)

इस हैकिंग की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार ने उस जगह की पहचान कर ली है? … (*व्यवधान*) इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की गई है? … (*व्यवधान*)

श्री मनोहर पर्रिकर: हमने इस मुद्दे पर कार्रवाई की है। हमने पहले ही वेबसाइट को सुरक्षित कर लिया है और इसे एन.आई.सी. नेटवर्क पर होस्ट कर दिया है। … (*व्यवधान*) यह एक निजी सर्वर का मामला था जिसका बहि:स्रोतन पर इस्तेमाल किया गया था। हमने सुनिश्चित किया है कि जानकारी को अवरुद्ध कर दिया गया है, साइट को अवरुद्ध कर दिया गया है। … (*व्यवधान*) अब इसे एन.आई.सी.-सुरक्षित नेटवर्क पर होस्ट कर दिया गया है। हमने सेना की वेबसाइट को होस्ट करने के लिए निजी सर्वर का इस्तेमाल न करने के निर्देश जारी किए हैं। … (*व्यवधान*) मैं सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि सेना, वायुसेना या नौसेना का कोई भी ऑपरेशनल मामला इंटरनेट पर नहीं है। यह सब इंटरनेट पर है। … (*व्यवधान*) यह सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए बल-विशिष्ट नेटवर्क के भीतर है। यह इंटरनेट से एयरगैप है। इसे हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इंटरनेट पर नहीं है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब सभा **मध्याह्न** 12 बजे पुनः मिलने के लिए स्थगित की जाती है

पूर्वाह्न 11.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

‡*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 604 से 620
अतारांकित प्रश्न संख्या 6889 से 7718)

‡* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बज़े पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*)

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

माननीय सदस्यगण, आज हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकारी कार्य की आवश्यक मदों के निष्पादन हेतु लोक सभा का सत्र 13 मई , 2015 तक बढ़ाया जाएगा। तदनुसार, लोक सभा का सत्र 13 मई, 2015 तक बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई अवधि के दौरान पश्न काल और नियम 377 के अधीन मामले नहीं लिए जाएंगे।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: पत्र रखे जाने के बाद मैं आपको अनुमति दूंगी।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

जनरल वी. के. सिंह- उपस्थित नहीं।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ:-

(1) (एक) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2573/16/15]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 जो 1जुलाई,2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 425(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 जो 1 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 01(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) कंपनी (लेखे) संशोधन नियम, 2015 जो 16जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) कंपनी (निवेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2015 जो 19 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 42(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2015 जो 19जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) कंपनी (लाभांश की घोषणा और संदाय) (संशोधन) नियम, 2015 जो 24 फरवरी, 2015के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 121(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) कंपनी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2015 जो24 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.122(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2015 जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 206(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) संशोधन नियम, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 210(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2015 जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 241(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपरोक्त (3) के मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2574/16/15]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उपधारा (2) के अंतर्गत कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2015 जो 13 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.504(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2575/16/15]

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ . .891(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 458के साथ पठित धारा 94(5) के अंतर्गत प्रादेशिक निदेशकों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2576/16/15]

(7) चार्टर्ड अकाउंटेट अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख के अंतर्गत निम्नलिखितअधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) चार्टर्ड अकाउंटेट (पहला संशोधन) विनियम, 2015 जो 23जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1-सी.ए.(7)/167/2014में प्रकाशित हुए थे।

(2) सा.का.नि. 837(अ) जो 24 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2577/16/15]

(8) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखितअधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2014 जो 12 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सी.डब्ल्यू.आर.(1)/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अधिसूचना सं. ई.एल.-2015/1 से अधिसूचना सं. ई.एल.-2015/9 जो 16 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो परिषदों और प्रादेशिक परिषदों 2015 के लिए निर्वाचन के बारे में हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 2578/1615]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : महोदया, मैं निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2579/16/15]

(2) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2580/16/15]

(3) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

. (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2581/16/15]

(4) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूटट), चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2582/16/15]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर, गुड़गांव के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर गुड़गांव के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युकत (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2572/16/15]

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): महोदया, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदनकी एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2583/16/15]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ:-

(1) (i) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2584/16/15]

(3) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) बैचलर ऑफ फार्मेसी {बी.फार्म} कोर्स विनियम, 2014 जो 11 दिसम्बर,2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 14-154/2010-पी.सी.आई. में प्रकाशित हुए थे।

(2) "भेषज संस्थाओं में अध्यापकों के लिए न्यूनतम अर्हता विनियम, 2014 "जो 12 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 14-163/2010-पी.सी.आई. में प्रकाशित हुए थे।

(3) फार्म. डी (संशोधन) विनियम, 2014 जो 28 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 10-1/2012-पी.सी.आई. (पार्ट-1.) में प्रकाशित।-I) हुए थे I

(4) मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम. फार्म) कोर्स विनियम, 2014 जो 11 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 14-136/2014-पी.सी.आई. में प्रकाशित हुए थे।

(5) बैचलर ऑफ फार्मेसी (प्रैक्टिस) विनियम, 2014 जो 19 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 14-117/2014-पी.सी.आई. में प्रकाशित हुए थे।

(6) फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015 जो 15 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 14-148/2012-पी.सी.आई. में प्रकाशित हुए थे।

(7) शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2014 जो 28 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 10-1/2012-पी.सी.आई. (पार्ट-I) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2585/16/15]

(5) (एक) इंडियन कौंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन कौंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन कौंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2586/16/15]

(7) निम्नलिखित संस्थानों की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को उसमें उल्लेखित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

क्र. सं.	**संस्थानों के नाम**	**लेखा वर्ष**
1.	मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2013-14
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2013-14
3.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	2013-14
4.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश	2013-14
5.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर	2013-14
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	2013-14
7.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर	2013-14

8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल	2013-14

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2587/16/15]

(8) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 जो 12 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र मेंअधिसूचना सं. एफ.सं. 1-62/एफ.एस.एस.ए./2014-डी.एफ.क्यू.सी. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2588/16/15]

(9) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि औरप्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2015 जो 17 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ०सं०सा.का.नि० 107(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2589/16/15]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): महोदया, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2590/16/15]

(2) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2591/16/15]

(3) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2592/16/15]

(4) भारत डायनैमिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2593/16/15]

(5) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2594/16/15]

(6) मझगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2595/16/15]

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि.आ.7 जो 24 जनवरी, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह घोषणा कौ गई है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में सेवा या

कर्तव्य उक्त अधिनियम के अर्थ के भीतर और इसके प्रयोजनार्थ 'सक्रिय सेवा' होगी, की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2596/16/15]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदया, मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

(1) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2015 जो 26 मार्च 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा०का०नि० 227(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2597/16/15]

(2) कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2015 जो 26 मार्च 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 227(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2598/16/15]

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदया, मैं सभा पटल पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

(1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015 जो 25 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 18-12/2012 सिद्ध (पाठ्यचर्या-पीजी डिप्लोमा) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2599/16/15]

(2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी मेडिसीन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015 जो 25 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 11-77/2012 यू (पी.जी.डी. रेग.) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2600/16/15]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): महोदया, आपकी अनुमति से, मैं यह प्रस्ताव सदन पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

(1) गेल (इंडिया) लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2601/16/15]

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क के लिए संरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.एल-एम.आई.एस.सी./VI/I/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा विस्तृत करने हेतु प्राधिकृत किया

जाना) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(4) पेट्रेलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क की अनन्यता) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क टैरिफ और सी.एन.जी. के लिए कम्प्रेशन प्रभार) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 को भारत के राजपत्र में एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(6) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइप लाइन की क्षमता का नियतन) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(7) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकतिक गैस पाइप लाइन के लिए संरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(8) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस पाइपलाइन को कॉमन कैरियर या कॉन्ट्रैक्ट कैरियर घोषणा या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-एम.आई.एस.सी/वी/आई/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(9) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का नियतन) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(10) पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस पाइप लाइन की कॉमन कैरियर या कान्ट्रैट कैरियर घोषित या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी. 6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(11) पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइप लाइन टैरिफ का नियतन) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./ 6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(12) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों के लिए प्राकृतिक गैस के विपणन या प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा विस्तृत करने हेतु आचार संहिता सम्बद्ध करना) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(13) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कॉमन कैरियर या कोन्ट्रेक्ट कैरियर प्राकृतिक गैस पाइप लाइन के लिए एक्सेस कोड) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./VI/I/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(14) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइन परिवहन टैरिफ का नियतन) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी/6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(15) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइन बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा विस्तृत करने हेतु प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014 जो 2जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./VI/I/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(16) पेट्रेलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) संशोधन विनियम 2014 जो 2वा जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(17) पेट्रेलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन कार्रवाई और आपदा प्रबंधन योजना के लिए व्यवहार संहिता) संशोधन विनियम, 2014 जो 2वा जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/2/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(18) पेट्रेलियम और प्राकतिक गैस विनियामक बोर्ड (संरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों को तैयार करने की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(19) पेट्रेलियम और प्राकतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठक) संशोधन विनियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-एम.आई.एस.सी./6/1/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(20) पेट्रेलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा विस्तृत करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2015 जो 13वा फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पी.एन.जी.आर.बी./ सी.जी.डी./रेमूलेशंस अमेंड-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(21) पेट्रेलियम और प्रकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क के लिए संरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनर्देशन) संशोधन विनियम, 2014 जो 16 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एम(1)/टी 4 एस/सी.जी.डी./1/2010 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2602/16/15]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): महोदया, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हूँ:-

(1) (1) (एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2)) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2603/16/15]

(3) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (चेयरमैन की अर्हताएं और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 जो 23 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 221[अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2604/16/15]

ऊर्जा राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल):

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हूँ:-

(1) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (संरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2015 जो 13 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीईआई./1/2/2015 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2605/16/15]

(2) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्र और विद्युत लाइन के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2015 जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 502/11/डी.पी.एंड डी./2015 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2606/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं प्रशासनिक आधिकरण अधिनयम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 926(अ) जो 30 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक आधिकरण को भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अर्थ के भीतर "नियत दिन" होगा, से सथापित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2607/16/15]

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): माननीय महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (1) ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटन्टस डिजाईंस, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटन्टस डिजाईंस, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2608/16/15]

(3) (1) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।।

(3) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2609/16/15]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2610/16/15]

(2) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2611/16/15]

(3) एस.टी.सी. लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2612/16/15]

(6) उद्योंग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18ठ के अंतर्त जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(1) न्यजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ . 939(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ . 914(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) का.आ. 998(अ) 10 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना का.आ. 477(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2613/16/15]

(7) (1) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रोजेक्ट इंपलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रोजेक्ट इम्पलीमैटेशन ट्रस्ट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2614/16/15]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2615/16/15]

(दो) हिंदुस्तान ऑगरनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2616/16/15]

(तीन) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2617/16/15]

(चार) कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

. [अनुवाद] [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2618/16/15]

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2008-2009 से 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2619/16/15]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गावं के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया है, देखें संख्या एल.टी 2620/16/15]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्धेश्वर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योंग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2621/16/15]

(2) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2622/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2013- 2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2013- 2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2623/16/15]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): महोदया, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) का.आ.641(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 53) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(2) का.आ.2967(अ) जो 25 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्टीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 49) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(3) का.आ.430(अ) जो 11 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(4) का.आ.325(अ) जो 2 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्स. (नया एन.एच. 146) (सांची-सागर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(5) का.आ. 286(अ) जो 30 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्टरीय राजमार्ग संख्या 86 एक्स. (नया एन.एच. 146) (सांची-सागर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है। (नया एन.एच. 146) (सांची-सागर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(6) का.आ. 431(अ) जो 11 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(7) का.आ. 429(अ) जो 11 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्स. (नया एनएच 146) (सांची 'सागर खण्ड) 'के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है। (नया एन.एच. 146) (सांची-सागर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(8) का.आ.326(अ) जो 2 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्स. (नया एन.एच. 146) (सांची-सागर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(9) का.आ. 729(अ) जो 10 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(10) का.आ. 700(अ) जो 7 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(11) का.आ. 698(अ) जो 7 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(12) का.आ. 751(अ) जो 13 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(13) का.आ. 1580(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से सम्बलपुर खण्ड) के नर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(14) का.आ. 796(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा 'जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(15) का.आ. 255(अ) जो 27 जनबरी, 2014 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 9 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3076(अ) का शुद्धपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) दिया गया है।

(16) का.आ. 1060(अ) जो 9अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(17) का.आ. 1720(अ) जो 10 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(18) का.आ. 2285(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(19) का.आ. 2431(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(20) का.आ. 2507(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(21) का.आ. 2280(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गसंख्या 69 (बैतूल-पंढुरना खण्ड) कं निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(22) का.आ.2459(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्स (भोपाल से सांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(23) का.आ. 1311(अ) जो 19 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बिरमित्रपुर-बारकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(24) का.आ. 256(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर से शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(25) का.आ. 857(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्स. (भोपाल से सांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(26) का.आ. 2700(अ) जो 20 अक्टबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर से शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(27) का.आ. 2701(अ) जो 20 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्स. (भोपाल से सांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(28) का.आ. 2457(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 53) (औरंग-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(29) का.आ. 1294(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 53) (औरंग-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(30) का.आ. 849(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (औरंग-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(31) का.आ. 1242(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 53) (औरंग-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(32) का.आ. 1137(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 53) (औरंग-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(33) का.आ. 1240(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 53) (औरंग-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(34) का.आ. 2715(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 53) (औरंग-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(35) का.आ. 628(अ) जो 3 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्स. (नया नं. 146) (सांची-सागर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(36) का.आ. 3432(अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 53) (औरंग-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(37) का.आ. 3461(अ) जो 25 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एन.एच. 53) (औरंग-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(38) का.आ. 3546(अ) जो 2 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जसके द्वारा 15 मार्च, 2013 की अधिसूचना 'संख्या का.आ. 713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(39) का.आ. 3549(अ) जो 25 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(40) का.आ. 2953(अ) जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(41) का.आ. 536(अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन 'के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(42) का.आ. 507(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(43) का.आ. 540(अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (फतेहपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(44) का.आ. 331(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (असिन्द खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(45) का.आ. 1433(अ) जो 3 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(46) का.आ. 279(अ) जो 28 जनवरी 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(47) का.आ.503(अ) जो 21 फरवरी,2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमंद से भीलवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(48) का.आ. 2407(अ) जो 17 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बीकानेर-फलोदी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(49) का.आ. 1265 (अ) जो 13 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(50) का.आ. 1654(अ) जो 1जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (सालासर-फतेहपुर-अंबाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(51) का.आ. 442(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (राजस्थान-गुजरात खण्ड) 'के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(52) का.आ. 500(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजस्थान-भीलवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन 'के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(53) का.आ. 2409(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अगस्त, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ . 2377(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(54) का.आ. 3011(अ) जो 28 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बाड़मेर-सांचोर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(55) का.आ. 2936(अ) जो 19 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (ऊंचा नागला-धोलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(56) का०आ० 2904(अ) जो 13 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बाड़मेर-सांचोर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(57) का.आ. 2264(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (जोधपुर-बाड़मेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(58) का.आ. 2610(अ) जो 13 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (बार-बिलारा-जोधपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(59) का०आ० 2903(अ) जो 13 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बाड़मेर-सांचोर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(60) का.आ. 3051(अ) जो 3 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (जैसलमेर-बाड़मेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(61) का.आ. 2902(अ) जो 13 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बाड़मेर-सांचोर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(62) का.आ. 2887(अ) जो 13 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (जोधपुर-बाड़मेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(63) का.आ. 3050(अ) जो 3 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (जैसलमेर-बाड़मेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(64) का.आ. 2710(अ) जो 20 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (ऊंचा-नागला- धौलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(65) का.आ. 2613(अ) जो 13 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114(जोधपुर-पोकरन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(66) का.आ. 3082(अ) जो 6 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि 'का अर्जन करने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(67) का.आ. 699(अ) जो 7 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (विस्तार) (मुंद्रा गांव, छसरा-सिरचा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(68) का.आ. 1900(अ) जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में वडोदरा-मुंबईं एक्सप्रेसवे के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(69) का.आ. 804(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/एमपी सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(70) का.आ. 697(अ) जो 7 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमा्ग संख्या 8डी (गीर-सोमनाथ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(71) का.आ. 1901(अ) जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में वडोदरा-मुंबईं एक्सप्रेसवे के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(72) का.आ. 859(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (वडोदरा-मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(73) का.आ. 1899(अ) जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (बडोदरा-मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(74) का.आ. 261(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (अमरेली खण्ड) के निर्माण, अनुर्षण, प्रंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(75) का.आ. 1712(अ) जो 9 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर बोर्डर से अहमदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है

(76) का.आ. 908(अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(77) का.आ. 2428(अ) जो 18 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी (राजकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(78) का.आ. 373(अ) जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(79) का.आ. 659(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (विस्तार) (कांडला-चंद्रोड़ा खंड) गुजरात राज्य में।

(80) का.आ.412 (अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ई (गिर सोमनाथ खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(81) का.आ. 409(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में वडोदरा-मुबई एक्सप्रेसवे (वडोदरा-मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(82) का.आ. 366(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(83) का.आ. 365(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(84) का.आ. 361(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्टीय राजमार्ग संख्या 8डी (गीर-सोमनाथ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(85) का.आ. 255(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी (गीर-सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(86) का.आ. 393(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (भावनगर खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे मे है।

(87) का.आ. 3223(अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(88) का.आ. 143(अ) जो 13 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (भावनगर खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे मे है।

(89) का.आ. 2853 (अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है। (गाडु-द्वारका खंड) गुजरात राज्य में।

(90) का.आ. 3096(अ) जो 9 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी (गीर-सोमनाथ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(91) का.आ. 3228(अ) जो 18 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (अमरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(92) का.आ. 2765(अ) जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (जूनागड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(93) का.आ. 2873(अ) जो 10 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (वडोदरा-मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(94) का.आ. 2846 (अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (विस्तार) (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है। गुजरात राज्य में (पोरबंदर खंड)।

(95) का.आ. 3182(अ) जो 15 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (बिहार शरीफ-बरबीघा-मोकामा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(96) का.आ. 2682(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(97) का.आ. 109(अ) जो 8 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81 (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा तक) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(98) का.आ. 110(अ) जो 8 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131क के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(99) का.आ. 2858(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद-बारवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(100) का.आ. 2889(अ) जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद-बारवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(101) का.आ. 2894(अ) जो 13 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (बिहार शरीफ-बरबीघा-मोकामा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(102) का.आ. 3047(अ) जो 3 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 527ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(103) का.आ. 3224(अ) जो 18 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 (महेश खुंट-सोनबरसा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(104) का.आ. 367(अ) जो 5व फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद-बारवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(105) का.आ. 2666(अ) जो 14 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद-बारवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(106) का.आ. 3029(अ) जो 1व दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 (छपरा-हाजीपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(107) का. आ. 2510(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(108) का.आ. 5(अ) जो 1 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद-बारवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(109) का.आ. 3226 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बख्तियारपुर-मोकामा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(110) का.आ. 3041(अ) जो 3 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (महुलिया से बहरागोड़ा खंड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(111) का.आ. 2890(अ) जो 13 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(112) का.आ. 2379(अ) जो 16 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (मुजफ्फरपुर-बरौनी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(113) का.आ. 144 (अ) जो 13 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(114) का.आ. 2965(अ) जो 25 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28क (पिपराकोठी-रक्सौल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(115) का.आ. 2851(अ) जो 10 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद-बारवा अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(116) का.आ. 3273(अ) जो 26 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 (छपरा-रीवाघाट-मुजफ्फरपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(117) का.आ. 368(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु जिला भूमि अर्जन अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(118) का.आ. 2934(अ) जो 19 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (महुलिय से बहरागोड़ा खण्ड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरागोड़ा से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(119) का.आ. 3032(अ) जो 1 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (भावनगर खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(120) का.आ. 11(अ) जो 1 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2013की अधिसूचना सं. का.आ . 2788 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(121) का.आ. 2861(अ) जो 10 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (अमरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(122) भारत की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का.आ.3291 (अ) जो तिथि29 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित हुई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं.8 . गुजरात राज्य में (भावनगर खंड का हिस्सा) के भवन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(123) का.आ. 2893(अ) जो 13 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (विस्तार)(गडू पोरबंदर-द्वारका खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(124) का.आ. 2935(अ) जो 19 नबंवर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(125) का.आ. 3048(अ) जो 3 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(126) का.आ. 8(अ) जो 1 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(127) का.आ. 2861(अ) जो 10 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (अमरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(128) का.आ. 257(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (राजगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(129) का.आ. 3294(अ) जो 29 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमंद से भीलवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं (छियासठ) से (अस्सी) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2624/16/15]

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदया, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधरा (3) के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सिक्युरिटी विंग, सब-इंस्पेक्टर (एक्जीक्यूटिव) भर्ती नियम, 2015 जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि . 319(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2625/16/15]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, श्री विष्णु देव साय की ओर से, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) आधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 304(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2626/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, प्रो. रामशंकर कठेरिया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2627/16/15]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूंट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4). उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2628/16/15]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2629/16/15]

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वालाविवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2630/16/15]

(9) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो)

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2631/16/15]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदया, मैं सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक कॉपी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(i) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2632/16/15]

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 30वींदिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/20/1972 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 30वां दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/1973 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट एन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियम, 2014 जो 26वां दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियम, 2014 जो 26वी सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/10/1577 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इस्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्यूरिटीज) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 24वी मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/539 में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक्यूजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 24वी मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/28/542 में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाय बैक ऑफ सिक्यूरिटीज) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 24वी मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/29/543 में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इस्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 24वी मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/29/538 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2633/16/15]

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 14वी जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 30(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 24वी फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 120(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 12वी मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 183(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियम, 2015 जो 23वी मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 218(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2634/16/15]

(4) वित्त अधिनियम,1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) सा.का.नि . 274(अ) जो 8वी अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 3 के अंतर्गत भारत से सेवा निर्यात स्कीम के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स के उपयोग का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा.का.नि . 273(अ) जो 8 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 3 के अंतर्गत भारत से वाणिज्यिक निर्यात स्कीम के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स के उपयोग की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2635/16/15]

(5) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) सा.का.नि . 266(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''कोउरमरीन'' के आयात किए जाने पर प्रतिपाटन शुल्क को प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा किए गए सनसेट रिव्यू इन्वेस्टीगेशन्स के परिणाम आने तक, और एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 22 मार्च, 2016 सहित और तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा.का.नि . 267(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और सिंगापुर में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित ''3000 से 4000 आणविक भार के फ्लेक्सिवल स्लैबस्टाक पालियोल'' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क; प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सा.का.नि . 268(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नोर्वे और मेक्सिको में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित ''पाली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजीन'', जिसे ''एम्यूलसिएन पाली विनायल क्लोराइड रेजीन'' के नाम से भी जाना जाता है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क; प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सा.का.नि . 3088(अ) जो 22 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को और एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 22 मार्च, 2016 तक बढ़ाया जाना है, जो प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा सनसेट रिव्यु इन्वेस्टीगेसंस के परिणाम के आने पर आधारित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सा.का.नि . 309(अ) जो 22 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान और थाईलैण्ड में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को और एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 8वें अप्रैल, 2016 तक बढ़ाया जाना है, प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा सनसेट रिव्यु इन्वेस्टीगेसंस के परिणाम के आने पर आधारित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सा.का.नि . 281(अ) जो 11 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित शीशे या सेरामिक्स/पोर्सीलेन के विद्युत कुचालक, चाहे असेम्बल किया हआ हो या नहीं किया हुआ हो, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क; प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 16 सितंबर 2014 के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सा.का.नि . 282(अ) जो 11 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाईलैण्ड और वियतनाम में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित 'रिकोर्डेबल डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को और एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 11 अप्रैल, 2016 तक बढ़ाया जाना है, प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा सनसेट रिव्यु इन्वेस्टीगेसंस के परिणाम के आने पर आधारित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2636/16/15]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) सा.का.नि . 250(अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के निर्यात उपरांत ई.पी.सी.जी. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप योजना

द्वारा प्रदत्त डयूटी क्रेडिट स्क्रीप्स के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा.का.नि . 251(अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 33/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सा.का.नि . 303(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सा.का.नि . 272(अ) जो 8 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 3 के अंतर्गत भारत से सेवा निर्यात स्कीम के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स के उपयोग का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सा.का.नि . 271(अ) जो 8 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 3 के अंतर्गत भारत से वाणिज्यात्मक निर्यात योजना के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सा.का.नि . 254(अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अग्रिम प्राधिकृत किए जाने की योजना को प्रभावी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2637/16/15]

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2014-2015 के दौरान बाजार से उधारी संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2638/16/15]

(8) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 25 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 224(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2639/16/15]

(9) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2640/16/15]

(10) सीमा शुल्क अधिनियम `1962 की धारा 159 के तहत निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) सा.का.नि . 269(अ) जो 8 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 3 के अंतर्गत भारत से वाणिज्यात्मक निर्यात योजना के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा.का.नि . 252(अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तु योजना को प्रभावी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सा.का.नि . 258(अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अग्रिम प्राधिकृत किए जाने की योजना के अंतर्गत एक मद, जो अन्यथा निर्यात के लिए प्रतिबंधित है, के निर्यात के संबंध में प्रावधान है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सा.का.नि . 259(अ) जो 1अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. 104/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सा.का.नि . 256(अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 की वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकृत किए जाने की योजना को प्रभावी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सा.का.नि . 270(अ) जो 8 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 3 के अंतर्गत भारत से सेवा निर्यात स्कीम के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स के उपयोग का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सा.का.नि . 253(अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के निर्यात उपरांत ई.पी.सी.जी. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स योजना के संबंध में प्रदत्त क्रेडिट स्क्रीप्स के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) सा.का.नि . 257(अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के मानित निर्यात हेतु अग्रिम प्राधिकृत किए जाने की योजना को प्रभावी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सा.का.नि . 255(अ) जो 1अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के शुल्क मुक्त आयात के प्राधिकृत किए जाने की योजना को प्रभावी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) सा.का.नि . 242(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 26/2011-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) सा.का.नि . 243(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) सा.का.नि.276(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं. 39/96-सीशु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) सा.का.नि . 302(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) का.आ. 3241(अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 115/2014-के.उ.शु.(एन.टी.) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।एन.टी.),

(15) का.आ. 343(अ) जो 3 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना सं. 09/2015-के.उ.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, ।

(16) का.आ. 381(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से कुछेक विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में या *भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं* में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों के संबंध में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) का.आ. 506(अ) जो 19 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-के.उ.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त, 2001.

(18) का.आ. 566(अ) जो 13 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से कुछेक विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में या *भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं* में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों के संबंध में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) का.आ. 623(अ) जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-के.उ.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त, 2001.

(20) का.आ. 679(अ) जो 5 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से कुछेक विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में या *भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं* में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों के संबंध में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2641/16/15]

(11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः-

(1) सा.का.नि . 294(अ) जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 30 मई, 1991 की अधिसूचना सं. 44/91- के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा.का.नि . 295(अ) जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 17 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 110/2014-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2642/16/15]

(12) संविधान के अनुच्छेद 15(77) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2015 का संख्यांक 14) - भारतीय रेल में आयरन और ट्रैफिक के परिवहन हेतु दोहरी माल भाड़ा नीति की निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2643/16/15]

(2) मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (रेल)(2015 का संख्यांक 15)-रेल वित्त।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2644/16/15]

(3) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2015 का संख्यांक 16)-रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग में विनियंत्रिक फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए पोषक आधारित राज सहायता नीति की निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2645/16/15]

(4) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन [रक्षा सेवाएं (वायु सेना)], (2015 का संख्यांक 17)- हल्के लड़ाकू विमान के डिजाइन, विकास, विनिर्माण और इंडक्शन की निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2646/16/15]

(5) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन [रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुद्ध निर्माणी)] (2015 का संख्यांक पी.ए. 19)-थल सेना में गोला बारुद प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2647/16/15]

(6) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2015 का संख्यांक 20)-संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2648/16/15]

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) वर्ष 2013-2014 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग एक - समीक्षा)।

(2) वर्ष 2013-2014 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग - दो विस्तृत विनियोग लेखे)।

(3) वर्ष 2013-2014 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे [भाग दो - विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध-छ)]।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2649/16/15]

केन्द्रीय राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (कर्नल राज्यवर्धन राठौर): महोदया, मैं सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) प्रसार भारती नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदनकी एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2650/16/15]

(3) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 2651/16/15]

———

अपराह्न 12.04 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति

कार्यवृत्त

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की वर्तमान सत्र के दौरान हुई पांचवीं से ग्यारहवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवृत्त

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदया, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 28 अप्रैल, 2015 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का

9वां प्रतिवेदन

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): महोदया, मैं 'रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी होगी:-

"राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार, मुझे विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2015, जिसे लोक सभा द्वारा 29 अप्रैल, 2015 को अपनी बैठक में पारित किया था तथा राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया गया था, को यहां लौटाने का निदेश हुआ है तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा के पास उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा को देने के लिए कोई सुझाव नहीं है।"

"राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6] के प्रावधानों के अनुसार, मुझे वित्तीय विधेयक, 2015, जिसे लोक सभा द्वारा 30 अप्रैल, 2015 को अपनी बैठक में पारित किया था तथा राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया गया था, को यहां लौटाने का निदेश हुआ है तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा के पास उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा को देने के लिए कोई सुझाव नहीं है।"

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) (क) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।§**

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर): महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.08 ½ बजे

(1) (ख) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'खतरे का आकलन और सशस्त्र बलों की तैयारी जिसमें सीमाओं पर घुसपैठ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समन्वय तंत्र और सड़क, हवाई मार्ग तथा रेल के माध्यम से सीमा संपर्क' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर): महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'खतरे का आकलन और सशस्त्र बलों की तैयारी जिसमें सीमाओं पर घुसपैठ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समन्वय तंत्र और सड़क, हवाई मार्ग तथा रेल के माध्यम से सीमा संपर्क' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

———

§* *सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें क्रमशः संख्या एल.टी. 2652/16/15 तथा 2653/16/15।

अपराह्न 12.09 बजे

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015***

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के लोक लेखा तथा प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत निधियों की स्थापना करने तथा प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ऐसी एजेंसियों से वसूल की गई अन्य सभी राशियों के लिए शेष एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को उसमें जमा करने; निधियों के प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राधिकरण का गठन करने तथा इस प्रकार एकत्रित धनराशि को कृत्रिम पुनरोद्धार (वृक्षारोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरोद्धार, वनों की सुरक्षा, वन संबंधी अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

> भारत के लोक लेखा तथा प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत निधियों की स्थापना करने तथा प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ऐसी एजेंसियों से वसूल की गई अन्य सभी राशियों के लिए शेष एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को उसमें जमा करने; निधियों के प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राधिकरण का गठन करने तथा इस प्रकार एकत्रित धनराशि को कृत्रिम पुनरोद्धार (वृक्षारोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरोद्धार, वनों की सुरक्षा, वन संबंधी अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग करने तथा

**. *भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-2 में दिनांक 08.05.2015 को प्रकाशित

तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देने का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश जावडेकर: महोदया, मैं ††* विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

††*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.10 बजे।

मंत्री द्वारा वक्तव्य- जारी . . .

(2) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति‡‡**

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री; और पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह): महोदया, मैं यह वक्तव्य पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति [2014-15] के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73क के अनुसरण में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 266 के अनुसरण में प्रस्तुत कर रहा हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) (16वीं लोक सभा) ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच की तथा 19 दिसंबर, 2014 को लोक सभा में अपना चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में 17 सिफारिशें शामिल थीं।

मंत्रालय ने प्रतिवेदन पर विचार किया तथा 09.03.2014 को ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) को चौथे प्रतिवेदन में निहित समिति की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत किए।

समिति द्वारा की गई 17 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में उल्लिखित है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदन का बहुमूल्य समय बचाने के लिए, मैं अनुरोध करूंगा कि परिशिष्ट की सामग्री को पढ़ा हुआ माना जाए।

---

‡‡*ग्रंथालय में प्रकाशित। देखें नं एलटी 2654/16/15

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सभा की बैठकों को बढ़ाए जाने के बारे में।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मैं आपको समय भी दे रही हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा समझ लीजिएगा कि सस्पैंशन ऑफ क्वैश्चन आवर नहीं होगा, यह पहले से बना हुआ रूल है, कोई अभी नहीं बना है।

दूसरी बात यह कि वास्तव में कोई नोटिस नहीं दिया हुआ था, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने कहा था कि मैं 12 बजे आपको बोलने का समय दूँगी। इसलिए मैं आपको बार-बार रिक्वैस्ट कर रही थी कि [अनुवाद] मैं आपको अनुमति दूंगी।. मैंने मना तो नहीं किया था। तो फिर इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : धन्यवाद। [अनुवाद] ,आप तो इतना केयर लेते हैं कि जब तक हाउस का कार्यक्रम है , उसके खत्म होने तक इधर देखने का समय नहीं रहता, इसलिए हम कभी कभी [अनुवाद] आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, हम बार-बार खड़े होते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप यह नहीं कह सकते। हर समय मैं हर एडजर्नमैंट मोशन पर ज़ीरो आवर में बात करने का समय देती हूँ। कई बार यहाँ से भी नाराज़गी हो सकती है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप तो जानती हैं कि मैंने आज तक एक एडजर्नमैंट मोशन भी नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष : मगर जिस तरीके से स्लोगन लगाए, ऐसा नहीं होता है। [अनुवाद] कृपया मुझे भी समझें।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अब तक तो एक एडजर्नमैंट मोशन नहीं दिया। मैं जब भी पूछता हूँ, आपकी परमीशन लेकर ही पूछता हूँ, लेकिन आज का यह विषय इसलिए महत्व का है कि ऐसा इंप्रैशन बाहर भी नहीं जाना चाहिए और सदन के अंदर भी नहीं रहना चाहिए कि हम अपोज़ीशन के लोग हाउस चलाना नहीं चाहते हैं। ऐसा इंप्रैशन नहीं होना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा सवाल ही नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपके नेतृत्व में आज तक के सबसे ज्यादा बिल पास हुए हैं और हर दिन एक बिल पास होता है। हम सारे लोग कोआपरेट करते हैं। हम अपनी बात रखते हैं। हम यहाँ पर लड़ते हैं, बात रखते हैं,

मनवाने की कोशिश करते हैं, उनको कमियाँ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिल स्मूथली पास हो रहे हैं। हमने आज तक कोई फाइनैंशियल बिल रोका नहीं है। जो कुछ भी एजेन्डा में था, बिज़नैस में था, वह चलता रहा है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जो सैशन की डेट आप फिक्स करते हैं, तो पहले आपने एक डेट फिक्स की। राज्य सभा की डेट आपने 13 मई तक फिक्स की थी और हमारी 8 मई तक थी। आज लास्ट डेट है। जब डेट फिक्स करते हैं तो शायद सरकार को यह मालूम होता है कि उनकी कौन-कौन सी प्रायॉरिटीज़ हैं, कौन-कौन से बिल वे यहाँ लाना चाहते हैं, किन-किन बिल्स को वे यहाँ पास कर लेना चाहते हैं। यह तो मालूम होता है। उसके बावजूद भी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि रात के 10 बजे या 11 बजे आप उठकर यह कहते हैं कि हम हाउस एक्सटैंड कर रहे हैं। आप कौल एंड शकधर की बुक को रैफर कीजिए। आपको पावर है, लेकिन कब है? जब बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी में एक निर्णय लिया जाता है, तब उस निर्णय को आप सदन में रखकर, सदन की कंसैन्ट लेकर, उसको बता देते हैं कि हाउस इतना चलेगा। लेकिन आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं, गवर्नमेंट प्रैस में एनाउंस कर देती है, उसके बाद में उसे बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में रख देती है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके नेता को बोलने नहीं देना हैं तो वैसे बोलो।

[अनुवाद] **श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** सत्र को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विस्तारित बैठकों के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। [हिन्दी] आपने अभी बोला, जीरो ऑवर भी नहीं है। फिर ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर नहीं है, ऐसा नहीं बोला, 377 नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: और 377, ये सारी चीजें नहीं हैं और लोगों की जो ग्रिवांसेज़ हैं, उनकी जो तकलीफात हैं, उनको हाईलाइट करने का यह एक ही तरीका है कि सरकार को बताना और सरकार को कहना, वह इस सदन में ही कह सकते हैं, बाहर तो कह नहीं सकते। अगर बाहर कहें तो उसको कोई रैस्पोंस नहीं मिलता। जो

डैमोक्रेटिकली लोकतंत्र में हमारे हक हैं, उन हकों को छीना जा रहा है, बुलडॉज़ किया जा रहा है और वे यह समझ रहे हैं कि हमारे पास मैजोरिटी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी बिल ले सकते हैं ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, ऐसा नहीं बोलें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, एक मिनट। मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, आपके खिलाफ नहीं। सरकार यह समझती है कि हमारी मैजोरिटी है, हम कोई सा भी विषय कभी भी ला सकते हैं, कोई सा भी बिल कभी भी लाकर पास करवा सकते हैं, यह हमारी मर्जी की बात है, सदन को पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह है तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अरजेंट बिल उनके पास है तो ये पहले ही ला सकते थे। यह लैंड बिल पहले तो लाने की कोशिश है, वह आज एजेण्डा में गायब है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप थोड़े में करो तो समय मिल जायेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपकी ओर से सदन के लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि यह गवर्नमेंट किस ढंग से चल रही है और हम जो फाइट कर रहे हैं, यह हमारे हुकूक के लिए नहीं, जनता के हुकूक के लिए है, क्योंकि, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम यहां पर ऐसे सवाल उठाते हैं, किसी को ऑब्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं।

दूसरी चीज़, चाहे लैंड बिल हो या मनी बिल, ये सारी चीजें ये पहले ही ला सकते थे, लेकिन उनकी मंशा यह है कि मनडे के दिन हाउस में अटेंडेंस कम रहती है, इसीलिए किसी ढंग से इसको पास करवा लें, इसीलिए आज उन्होंने लैंड एक्वीजीशन बिल विथड्रा कर लिया है। अगर यह स्थिति है ... (व्यवधान) यह उनका है, आपका नहीं। हम आपके पास आकर रिक्वैस्ट करते हैं, वह बात और है, लेकिन ये सारी चीजें वे कर रहे हैं, इससे आज क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, क्वश्चन ऑवर और 377, इन सबसे हम वंचित हो रहे हैं। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि जो हाउस बढ़ाने का डिसीजन है, मनडे से लेकर वेन्सडे तक जो है, यह यूनीलेटरल डिसीजन है। इस बारे में किसी को विश्वास में नहीं लिया गया, सदन को विश्वास में नहीं लिया गया, अपोजीशन को विश्वास में नहीं लिया गया। वे निर्णय लेते हैं और बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में रख देते हैं। रखने के बाद यहां पर लाकर आपके थ्रू कहलवाते हैं तो हमें इसको कहना पड़ता है कि डैमोक्रेसी में ऐसी तानाशाही

नहीं चलेगी, इसीलिए हम हाउस को, सदन को यह बताना चाहते हैं कि आप निर्णय लीजिए और अगर करना है तो उसका हम आल्टरनेटिव बता सकते हैं। अगर हाउस को चलाना है तो उसका आल्टरनेटिव हम बता सकते हैं, अगर आप हाउस एडजर्न करके हमको पूछेंगी कि किस ढंग से चलाना है, किस ढंग से दूसरे बिलों को पास करवाना है तो वह भी हम कह सकते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट। तथागत जी, प्लीज़। मुझे लगता है कि आज बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में भी चर्चा हो चुकी है, ऐसा नहीं है। वहां सदस्य उपस्थित थे।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, अखबार हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। किसी मंत्री ने बाहर नहीं बताया, इसलिए ऐसा पोलिटिकल आरोप करना उचित नहीं है। यहां काम करना पाप है क्या? ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: इस तरह की कोई भी रुकावट रिपोर्ट में नहीं जाएगी।

... (*व्यवधान*) . . [§§*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अपने नेता से बड़े बन रहे हैं, बैठिये। सुदीप बंदोपाध्याय जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठिये। उनको बोलने दीजिए। यह क्या हो रहा है?

यह तरीका सही नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए।

...(व्यवधान)

---

§§*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : जब आपकी बात रिकॉर्ड में ही नहीं जा रही है तो फिर चिल्ला कर अपना गला क्यों खराब कर रहे हैं? आपके नेता बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं करूंगी।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष हमेशा सत्र को अधिक दिनों तक चलाने के पक्ष में रहता है। सवाल यह है कि सरकार की ओर से मामले को किस तरह से रफा-दफा किया जा रहा है। दरअसल, हम सभी को कल ही टेलीविजन सूचना के माध्यम से पता चला कि सभा की अवधि का विस्तार होने जा रहा है। आज भी बी.ए.सी की बैठक में हमने अपने विचार व्यक्त किये। हमें विश्वास है कि सरकार अडिग है और वह सत्र को 13 तारीख तक आगे ले जाएगी लेकिन श्री वेंकैया नायडू ने अंततः यह टिप्पणी की कि वे इसे घटाकर 12 तारीख तक कर सकते हैं। आपने यह कहने के लिए विशेष ध्यान रखा: "उसके बाद मेरे पास फिर मत आइयेगा और फिर से मत कहिएगा कि यह 13 तारीख को भी होनी चाहिए।" इसलिए, एक निर्णय लिया गया है। निर्णय आधिकारिक रूप में नहीं है। यह आपकी अंतिम टिप्पणी थी। मैं जो कहूंगा वह यह है कि सभी संसद सदस्यों के पास महत्वपूर्ण काम हैं। उदाहरण के लिए, हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं और निगमों के चुनाव हुए और सोमवार से सभी निकायों का गठन हो जाएगा। इसलिए, वहां नगर निकायों की स्थापना में संसद सदस्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे राज्य में, हमारा दल अब चुनावों में आगे आया है। इसलिए, संसद सदस्यों की जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ गई है। श्री खड़गे जी ने जो कहा है कि सरकार को भविष्य में और अधिक सतर्क रहना चाहिए, मैं उसका समान रूप से समर्थन करता हूं। यह भविष्य के लिए मिसाल नहीं बनना चाहिए। यदि सरकार अड़ी हुई है, तो कोई भी राजनीतिक दल सत्र का बहिष्कार नहीं करेगा। कोई भी ऐसे मूड में नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार को अपने दृष्टिकोण, अपनी घोषणाओं में अधिक स्पष्ट होना चाहिए और उन्हें पारदर्शी होना चाहिए। उन्हें विपक्षी दलों से सलाह लेनी चाहिए।

बी.ए.सी को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जिससे कम से कम भविष्य में हमें टेलीविजन प्रवक्ताओं द्वारा संसद के कार्यक्रमों की घोषणा करने से पहले इसके बारे में पता चल सके।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): महोदया, आप अचानक सदन की अवधि बढ़ा रही हैं। सदन की अवधि बढ़ाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि सरकार कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती है, तो इसे शुक्रवार और शनिवार को किया जा सकता है। यह हमारा दृष्टिकोण है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार काम करना चाहती है और हम बाधा डालना चाहते हैं। मैं खुद को किसी अन्य पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूं। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि हर कोई काम करना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्र में हर किसी की अपने घर वापसी के लिए भी प्रतिबद्धता है। इसलिए, हमें दोनों पक्षों में संतुलन बनाना होगा। यदि एक सप्ताह या दिन पहले हमें सूचित किया गया होता तो इस अचानक विस्तार से बचा जा सकता था। हम अपने लोगों को उसी के तदनुसार ऐसा करने के लिए कहते। हमने सहयोग किया है। कल संविधान संशोधन का पारित होना इस बात का प्रमाण है कि आपके नेतृत्व में पूरे सभा ने एक होकर मतदान किया। यह एक अनोखी बात है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि काम जारी रहने दीजिए। यह डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती का 125वां वर्ष है। बी.ए.सी में मैंने आपसे जो कहा वह यह है कि आइए हम इसका जश्न मनाएं। आइए हम सात दिवसीय या दस दिवसीय सत्र डॉ. बी.आर.अम्बेडकर को समर्पित करें। अम्बेडकर इस देश की एक महान आत्मा हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। आइए मानसून सत्र से पहले जून के मध्य में किसी समय एक और सत्र आयोजित करें। आइए हम एक विशिष्ट कार्यसूची रखें। सरकार कार्यसूची ला सकती है। यह एक विशेष सत्र हो सकता है। आप इसे "डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सत्र" नाम दे सकते हैं। इस देश के लोगों को यह जानने दीजिए कि संसद क्या संदेश देना चाहती है, सत्ताधारी दल क्या संदेश देना चाहता है कि वह पिछड़ों के साथ है, वह पीछे मुड़कर मोर्चे पर लाना चाहता है; यह उन लोगों की मदद करना चाहता है जो संसद में अपनी दुर्दशा को उजागर करके आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। यह किया जा सकता है। यह किया जाना चाहिए। मैं सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा।' इससे देश को बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि इस दस दिवसीय सत्र में सभी दल एकजुट हैं।

सरकार जहां भी अच्छी चीजें लेकर आएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। हम सरकार का विरोध करेंगे जहां भी हम पाएंगे कि वह जनविरोधी, गरीब विरोधी नीतियां चला रही है। हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो, हम आपके साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक संसद सदस्य के रूप में श्रीमती महाजन जी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वापस जाना चाहेंगी।

श्री ए.पी जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर) आज, वास्तव में मैं बी.ए.सी के कागजात नहीं देख सका। पूर्वाह्न 8 बजे हमारे मुख्यमंत्री आए थे। हमें उन्हें विदा करना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। मैं श्री मेघवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे भविष्य के लिए कुछ एस.एम.एस भी भेजें ताकि हमें बी.ए.सी की बैठकों के बारे में पता चल सके।

हालांकि, मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि इस पर चर्चा क्यों हो रही है। भारत में अधिकांश लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं; हमारे पास देश से केवल 543 सांसद हैं। वे कुछ विधेयक पारित करना चाहते हैं; यहां बहुत सारी कार्यावलि लंबित है; घर पर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार हमें यह महसूस होता है कि सदन के काम के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए; हमें सहयोग करना चाहिए; हमें यहां पर चर्चा करनी चाहिए; विधेयक पारित करना चाहिए; और कई महत्वपूर्ण मुद्दे अपने साथ ले जाने चाहिए। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि तीन दिनों का विस्तार अच्छी बात है लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमें टीवी समाचार स्क्रॉल के माध्यम से पता चला कि सभा की कार्यवाही बढ़ा दी गई है। [हिन्दी] हम लोग बी. ए.सी. में बैठते हैं, अगर हमसे सलाह लेते तो हमें अच्छा फील होता कि हमारी सलाह के ऊपर हाउस आगे तीन दिन बढ़ा दिया गया। इस तरह की प्रैक्टिस बनाकर हाउस को बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिम्हन (काकीनाडा) : हमारा दल, तेलुगु देशम पार्टी सदन के विस्तार का समर्थन करता है। कई महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले हैं, विशेषकर राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, काला धन विधेयक, रियल एस्टेट विधेयक आदि। हमारी पार्टी सोमवार से तीन दिन के लिए सभा की अवधि का समय बढ़ने का समर्थन करती है।

श्री पी करुणाकरण (कासरगोड) हमें सूचना टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है न कि कार्य मंत्रणा समिति से। हमारे पास एक माह पहले की कार्यावलि है। इसलिए, हमने अपने कार्यक्रम की योजना बनाई है, न केवल विपक्षी दलों के सदस्यों को, बल्कि सरकार ने भी कार्य के अनुसार अपने कार्यक्रम की योजना बनाई है। साथ ही, अचानक टीवी और समाचार पत्र यह समाचार प्रकाशित करते हैं कि सत्र का विस्तार होने जा रहा है। यह एक अच्छी पद्धति नहीं है। निस्संदेह, मैं सहमत हूं कि कभी-कभी सरकार को अपने कार्य को निपटाने के लिए सत्र को बढ़ाना पड़ता है। इधर, विपक्ष लगभग सभी मुद्दों पर सहयोग कर रहा है। हम रात्रि को 8 या 9 बजे तक बिना कुछ खाए बैठे रहे। साथ ही, कई बार मैंने देखा कि सत्ता पक्ष खाली था। तब भी, हमने सहयोग किया। अत, ऐसी स्थिति में, सरकार को विपक्षी दलों के विचारों को ध्यान में रखना होगा। कार्य मंत्रणा समिति में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने यही विचार व्यक्त किया है कि सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। यह बेहद कठिन है। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने सत्र के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। मैं आशा करता हूं, कि कई सदस्यों के साथ भी ऐसा ही है। साथ ही, पिछले चार दिनों से हमने अपने निर्वाचन क्षेत्रों, अपने राज्यों में कार्यक्रमों की योजना बनाई है। हम कैसे लोगों को संबोधित कर सकते हैं या जवाब दे सकते हैं? कार्यावलि का प्रबंधन करना सरकार का कर्त्तव्य है। अब छह या सात विधेयक आ गए हैं। महोदया, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं जब आपने कहा था कि प्रश्नों का समय नहीं होगा; कोई 'शून्य काल' नहीं होगा; और नियम 377 या अन्य कार्यावलि के अधीन कोई मामला नहीं होगा। तो फिर, सत्र बढ़ाने का क्या फायदा? इसलिए, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है, एक विशेष सत्र होना बेहतर है। यह सात या 10 दिनों के लिए हो सकता है, जो अच्छा होगा। मैं वास्तव में सरकार के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं; मैं निर्णय का विरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, जहां तक सदन का समय तीन दिनों तक बढ़ाने की बात है, हमारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल इसके पक्ष में है। मैं सत्पथी जी की बातों से सहमत हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए जो स्पेशल सैशन की बात इन्होंने कही है, उससे हम सहमत हैं। मैं यह भी

चाहता हूं कि देश की अदालतों में डॉक्टर अम्बेडकर जी की फोटो लगनी चाहिए, क्योंकि जो संविधान के निर्माता हैं, उनका सम्मान जरूर होना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह एक अलग बात है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: मैं समझता हूं कि इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। लोगे द्वारा चुने गये नुमाइंदे यह चाहते हैं कि हाउस का समय बढ़ाया जाना चाहिए। आपने उसे बढ़ाया है तो अच्छा किया है।

[अनुवाद]

श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लौर): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने कार्य मंत्रणा समिति में ही अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर दी थी और हम दोहराते हैं कि हमें सत्र को बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, माननीय मंत्री जी।

श्री एम. वेंकैया नायडु: जब खड़गे *जी* ने कुछ टिप्पणियां की तो मुझे वास्तव में दुख हुआ लेकिन मैं उनके साथ मुद्दों में शामिल नहीं होना चाहता। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा। [हिन्दी] मैं सबसे पहले एक विषय स्पष्ट करना चाहता हूं। [अनुवाद] पहली बार संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की कल बैठक हुई। यह बैठक अपराह्न पांच बजे होनी थी। लेकिन चूंकि सभा सायं छह बजे तक बैठी थी, वरिष्ठ मंत्रियों सहित हममें से कोई भी नहीं जा सका। हममें से कुछ लोग राज्यसभा में व्यस्त थे; हम में से कुछ यहाँ व्यस्त थे; हम नहीं जा सके। सभा स्थगित होने के बाद, फिर हम गए; हमारी बैठक हुई; हमने स्थिति पर चर्चा की। ... (*व्यवधान*) खड़गे *जी*,कृपया। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष :कृपया,खड़गे *जी*, उन्हें बोलने दें।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया. नायडु : मैंने आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनी। यह एकतरफा नहीं हो सकता। (*व्यवधान*) आप हमेशा बैठेंगे। आप संसद में एक अच्छे लड़के हैं; हर कोई यह जानता है। ... (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया (गुना): महोदया, एक अच्छे लड़के से उनका क्या मतलब है? *...(व्यवधान)*

श्री एम वेंकैया नायडु: मैंने कहा कि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य. एम. सिंधिया: संसद में एक अच्छे लड़के से आपका क्या तात्पर्य है? *...(व्यवधान)*

श्री एम.वेंकैया नायडू: वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मेरी समस्या यह है कि हमारे क्षेत्र में जब कोई कुछ अच्छा करता है तो लोग उसे अच्छा लड़का कहते हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आगे बढ़िए।

... (*व्यवधान*)

श्री एम.वेंकैया नायडू: वह आप सभी से अधिक सक्रिय हैं। वह सुबह से शाम तक सत्र के अंत तक बैठते हैं। तो, वह एक बहुत अच्छे आदमी हैं, एक बहुत अच्छे बुजुर्ग आदमी हैं। (*व्यवधान*) हमें कुछ परिपक्वता दिखानी चाहिए और संसद में कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप थोड़ा लाइटली भी रहें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम.वेंकैया नायडू: मैं माननीय सभा को जो मुद्दा स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि सत्र के विस्तार की घोषणा बाहर नहीं की गई थी। मीडिया द्वारा यह बताया गया था - महोदया, मीडिया के काम करने का अपना तरीका है, हमने हाल के दिनों में भी देखा है - कि संसद में हंगामा होने जा रहा है; संसद में बेतहाशा शोरगुल

होने जा रहा है; संसद में बहुत गंभीर विरोध होने जा रहा है। यह बात उन्हें किसने बताई? यह उनकी अटकलें हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं। समय-समय पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा। केवल मंत्री जी का बयान ही कार्यवाही वृतांत में जाएगा।

… (*व्यवधान*) . . ****

[अनुवाद]

श्री एम.वेंकैया नायडू: 50 साल के अनुभव वाली पार्टी का कार्य करने का यही तरीका है *...(व्यवधान)* लीक करना आपकी आदत है। मैं क्या कर सकता हूँ?

दूसरी ओर, मेरे सहयोगी द्वारा 6 मई को कार्य मंत्रणा समिति में इस मामले का उल्लेख किया गया था। आज 8 मई है। लेकिन, कुछ सदस्यों ने कहा, "आगे मत बढ़ाइए।" कुछ सदस्यों ने कहा, "हमारी भी कुछ समस्याएं हैं।" लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि 6 मई को सदस्यों को अनौपचारिक तरीके से सूचित किया गया है क्योंकि मंत्रिमंडल समिति द्वारा अधिकारिक निर्णय लिए बिना कोई भी सदस्यों को सूचित नहीं कर सकता है। आधिकारिक निर्णय लिया गया था। निर्णय के बारे में सूचित करने वाले पहले व्यक्ति सदन के माननीय अध्यक्ष थे।

फिर, मैंने प्रक्रिया और प्रोटोकॉल के अनुसार एक पत्र लिखा। इसके बाद, मैंने संसद सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क करना शुरू किया। लेकिन चूंकि राज्य सभा में गंभीर कार्य चल रहा था, यदि मैं सही हूं तो मैं वहां रात्रि 9 या 9.05 बजे तक था। राज्यसभा से बाहर आने के बाद मैंने अलग-अलग नेताओं से बात करना शुरू किया। उनमें से कुछ से मैं तुरंत बात कर सका; और कुछ से तुरंत बात नहीं कर सका। कुछ लोग जिनसे हम कल संपर्क नहीं कर पाए थे, आज सुबह उनसे संपर्क किया गया।

****कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

फिर, हमने माननीय अध्यक्ष जी से भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाने और फिर सभी को विश्वास में लेने का अनुरोध किया। कार्य मंत्रणा समिति को सुबह बुलाया गया था; और फिर, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय सदस्यों को सरकार के इरादे से अवगत करा दिया गया। कुछ सदस्यों की राय भिन्न है।

महोदया, आम बात यह है कि लोग कहते हैं कि सरकार हमेशा सत्र की अवधि में कटौती करना चाहती है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि सरकार सत्र का विस्तार करना चाहती है और कुछ दोस्त सत्र का आयोजन नहीं करना चाहते हैं। (*व्यवधान*)

महोदया, यदि आप अनुमति दें तो हम संसद की पिछली कार्यवाही से लेकर अब तक की कार्यवाही पर चर्चा कर सकते हैं। इतने वर्षों में, माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थाएं दी गयीं; मंत्रियों द्वारा घोषणाएं की गईं; और पहले बी.ए.सी. की बैठक आयोजित किए बिना ही, कई बार घोषणाएं कर दी गईं। मैं इसका औचित्य नहीं बता रहा हूँ *...(व्यवधान)* मेरे पास पिछले संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रमाणित पत्र हैं, जिन्हें संप्रेषित भी किया गया है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपको दे सकता हूँ *...(व्यवधान)* लेकिन साथ ही, मेरा मानना है कि *...(व्यवधान)*

करूणाकरन जी, कृपया। दूसरों को भी बोलने का मौका दें। आप कहते हैं कि हम बुलडोजर चला रहे हैं; और आप मंत्री जी को बोलने भी नहीं देते!

माननीय अध्यक्ष : करूणाकरन जी, कृपया बैठ जाइये। उनकी बात सुनें

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: यदि आप कहते हैं कि यह लोकतंत्र है, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ *...(व्यवधान)*

महोदया, मैंने कुछ भी रद्द नहीं किया है। मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। यदि माननीय अध्यक्ष जी 'शून्य काल' की अनुमति देना चाहती हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं है; यदि माननीय अध्यक्ष जी नियम 193 के तहत चर्चा सहित किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देना चाहती हैं, जो पहले से ही है, तो उस मद को उठाया जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां समय की कमी के कारण अल्प सूचना पर प्रश्न काल रद्द कर दिया

गया, जबकि सदस्यों को नोटिस देना था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। तो, ये सभी बातें ज्ञात हैं। ये सभी संसदीय परिपाटी में वर्ष 1957 से ही चली आ रही हैं। यह होता रहा है। यह कोई नई, बात नहीं है।

इसलिए, मैं यहां उपस्थित सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जनता सब देख रही है। आइए हम काम करें और फिर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। मैं विपक्ष को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

मैंने पहले ही कहा है कि लोकसभा का सत्र 13 मई 2015 तक बढ़ा दिया गया है। मैंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाए रखें।

अब हम शून्य काल में अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): महोदया, सिकंदराबाद छावनी देश की 62 छावनी में सबसे अधिक आबादी वाली छावनी है। यह क्षेत्र 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 10,000 एकड़ खाली भूमि है। पूरे क्षेत्र में, लगभग 27 प्रतिशत निजी भूमि है; और बाकी या तो सरकारी भूमि या रक्षा भूमि है। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के आसपास के क्षेत्रों को छावनी बोर्ड द्वारा विकसित किया गया

महोदया, पट्टे पर दी गई अधिकांश भूमि का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है। शहर के संपर्क मार्ग अच्छी स्थिति में नहीं हैं। यहां तक कि सीवरेज सुविधाएं भी आज की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं। सीमित जलापूर्ति नेटवर्क और बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन भी पूरे छावनी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे के विकास की पहल, जो पहले विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई थी, को आगे नहीं बढ़ाया गया है।

महोदया, इसे देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार के सहयोग से सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र व्यापक विकास कार्य कराए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर राज्य में बीएसएनएल की सेवाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। राज्य में बीएसएनएल की सेवा बहुत ही खराब स्थिति में है। दूरदराज के क्षेत्रों में सिंग्नल का न आना समझ में आता है लेकिन यही स्थिति शहरों की भी हो, यह समझ में नहीं आता। शहरों में भी सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। राज्य में 2-जी, 3-जी की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां अभी तक 3-जी सेवा शुरू नहीं हो पाई है। क्या इसका कारण राज्य में टॉवरों की कम संख्या का होना है या इसकी कोई और वजह है? इस क्षेत्र में जो निजी कंपनियां काम कर रही हैं उनकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं। वहां बीएसएनएल की सेवा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जम्मू-कश्मीर में बीएसएनएल की सेवाएं ठप्प पड़ी हुई हैं।

जम्मू-कश्मीर की जनता बीएसएनएल के नेटवर्क से बहुत परेशान है। इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे जम्मू-कश्मीर की जनता को राहत मिल सके।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया, धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी से संबंधित अत्यंत पुरानी योजना ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना कई वर्षों से काफी धीमी गति से चल रही है। इस क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है वह विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ गया है, उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उद्योग भी स्थापित नहीं हो पा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वहां के युवाओं को रोजगार के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की ओर पलायन करना पड़ रहा है। इस परियोजना के शीघ्र संपन्न होने से नए-नए उद्योगों का सृजन होगा वहीं दूसरी ओर युवाओं का पलायन भी रूकेगा। मैं आपके माध्मय से आदरणीय रेल मंत्री, प्रभु जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का कार्य शीघ्र संपन्न कराया जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सिंगरौली से भोपाल और दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

<u>अपराह्न 12.42 बजे।</u>

<u>सदस्यों द्वारा प्रस्तुति . . जारी</u>

(दो) एक वांछित आतंकवादी का पता लगाने के संबंध में गृह मंत्री द्वारा किए गए वक्तव्य के बारे में।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, दाऊद इब्राहिम एक ऐसा शख्स है जो दुनिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, जिसने वर्ष 1993 के मुंबई ब्लास्ट में मास्टर माइंड का रोल अदा कर 300 निर्दोष लोगों की हत्या करा दी थी। विश्व में हम आतंकवादियों के बारे में जो डोजिअर देते हैं उसमें भी उस व्यक्ति का नाम है। इंटरपोल और यूनाइटेड नेशन्स का स्पेशल नोटिस उसके विरुद्ध आज भी जारी है। तत्कालीन गृह

मंत्री चिदम्बरम जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत को न केवल यह पता है कि वह पाकिस्तान में है बल्कि उसके आवास के बारे में भी पता है। इस सबके बावजूद बहुत आश्यर्चजनक रूप से गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी द्वारा संसद में एक प्रश्न के जवाब में लिखित वक्तव्य आया कि वह शख्स कहां है इसका कुछ पता नहीं है और उसके प्रत्यर्पण के बारे में तभी सोचा जाएगा जब हमें मालूम होगा कि वह कहां? .

. (व्यवधान) इस संवेदनशील मुद्दे पर भारत सरकार के मंत्री द्वारा अप्रत्याशित वक्तव्य दिया गया, उसके आधार पर आज पाकिस्तान हमें आंख दिखाने की हिम्मत कर रहा है। ... (व्यवधान) पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने स्वयं कहा है कि इस्लामाबाद का कथन कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य से उसकी बात की पुष्टि होती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत को जो डोजिअर हमने दिए हैं, उसे पाकिस्तान के उच्चायुक्त सेल्फ सर्विंग डोजिअर बता रहे हैं क्योंकि भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि दाऊद कहां रह रहा है उन्हें मालूम नहीं। इससे ज्यादा निंदाजनक बयान नहीं हो सकता, जिसके आधार पर आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी है। जीरो ऑवर में इतना ही काफी है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी ने स्वयं 27 अप्रैल, 2014 को कहा था कि जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ट्रीट किया है, उसी तरह से भारत दाऊद को पाकिस्तान से यहां लेकर आयेगा। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि अगर यह यू-टर्न नहीं है, तो क्या है? प्रधान मंत्री जी कुछ कहते हैं और भारत सरकार के मंत्री कुछ और कहते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सिंधिया जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उच्चायुक्त ने कहा है कि भारत ने कभी भी इनके प्रत्यार्पण के लिए लिखित रूप में मांग नहीं रखी। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है? तीसरा प्रश्न यह है कि यह सरकार अपने मंत्रियों पर काबू कब पायेगी? जहां एक तरफ साध्वी निरंजन ज्योति जी साम्प्रदायिक सद्भाव को चूर-चूर करती हैं, वही दूसरी तरफ वी.के. सिंह जी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रश्न करते हैं। ... (व्यवधान) गिरिराज सिंह जी, महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं और हरि भाई चौधरी जी भारत की विश्वसनीयता पर ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, आपको आज क्या हो गया है? मंत्री जी अगर बोलना चाहते हैं, तो बोलें। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी इनका उत्तर क्यों दे रहे हैं? जीरो ऑवर में जो भी बोलेगा, मंत्री जी क्या उन सबका उत्तर देंगे? ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं उन पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। अगर वह चाहें, तो जवाब दे सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, जब कोई नवयुवक बोलता है, तो मैं जरूर उसका ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय जो कहेंगे उसके अलावा कुछ भी आर्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा।

*... (व्यवधान) . . .†††**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, ज्योतिरादित्य जी ने जो संबंधित मुद्दा उठाया है, उस संबंध में मैं इस समय सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार का प्रश्न 7 मई, 2013 को भी उठाया गया था। [हिन्दी] जो उत्तर इस समय, यानी 5 मई, 2015 को हमारे राज्य मंत्री श्री हरिभाई चौधरी ने दिया था, वे दोनों उत्तर एक हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें स्थिति और स्पष्ट कर देनी चाहिए। उस समय हम लोगों ने आलोचना नहीं की थी। हम लोगों ने उस उत्तर को समझा था, लेकिन विडंबना यह है कि वही उत्तर, जो 7 मई, 2013 को दिया गया था, वह 5 मई, 2015 को राज्य सभा में दिया गया, लेकिन उसके अर्थ को यह समझ नहीं पाये। इस संबंध में एक डिटेल्ड ... (व्यवधान) आप सुनिये। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वास्तव में जीरो ऑवर में उत्तर नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको दिलवा रही हूं। उसके बावजूद भी टोका-टाकी हो रही है। आप ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : इस संबंध में, मैं आपकी इजाजत से सोमवार को एक डिटेल्ड स्टेटमैंट देना चाहूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

---

†††* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एडवोकेट जॉंइस जॉर्ज (इडुक्की): महोदया, मुझे 'शून्य काल' में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मदुरै-कोच्चि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या .49 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या .85) मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में दो प्रमुख शहर हैं जिन्हें उपमार्ग की आवश्यकता है। सरकार ने वर्ष 2006 में इस उपमार्ग का प्रस्ताव रखा था। इस उद्देश्य के लिए भूमि पहले ही निर्धारित की जा चुकी है और सभी सर्वेक्षण कार्यवाहियाँ पूरी हो चुकी हैं।

महोदया, मुवत्तुपुझा उपमार्ग और कोतमंगलम उपमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में क्रमशः 2,900 करोड़ रुपये और 103 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस वर्ष की वार्षिक योजना में इन दो प्रस्तावों - मुवत्तुपुझा उपमार्ग और कोतमंगलम उपमार्ग को शामिल करे और वहां भारी यातायात भीड़ से बचने के उद्देश्य से कोठामंगलम और मुवत्तुपुझा के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने के लिए आवश्यक कार्य किए जाए। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अति लोक महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देश के महानगरों में पर्यावरण के प्रदूषित होने से बच्चों के फेंफड़े खराब हो रहे हैं। देश के चार महानगरों में रहने वाले करीब 35 प्रतिशत स्कूली बच्चों के फेंफड़े दूषित हवा से खराब हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व बैंगलुरु के 2373 स्कूली बच्चों पर हुए सर्वे से पता चला है कि इसमें दिल्ली के सर्वाधिक बच्चे शामिल हैं जिनकी संख्या 735 है। सर्वे में सामने आया है कि दिल्ली के 60 प्रतिशत स्कूली बच्चों के फेंफड़े ही स्वस्थ हैं जबकि 40 प्रतिशत स्कूली बच्चों के फेंफड़े बहुत ही खराब है। हील फाउंडेशन ब्रीद ब्लु व क्लीन एयर इण्डिया मूवमेंट की ओर से सर्वे में 10 से 14 वर्ष में 2373 बच्चों को शामिल किया गया। इसमें दिल्ली के 735 बच्चे, मुंबई के 573, बैंगलुरु के 503 और कोलकाता के 562 बच्चे शामिल थे। मार्च-अप्रैल 2015 में हुए इस अध्ययन के बाद रिपोर्ट आई कि दिल्ली में 21 प्रतिशत बच्चों के फेंफडों की क्षमता बहुत खराब है। बैंगलुरु में 36 प्रतिशत, कोलकाता में 35 प्रतिशत और मुंबई में 27

प्रतिशत स्कूली बच्चों के फेंफड़ों पर असर पड़ रहा है। पीक फ्लो मीटर की मदद से सर्वे किया गया है और इससे पता चला है कि फेंफड़ा कितनी हवा नियंत्रित कर सकता है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि फेंफड़ा कितनी तेजी से हवा को अंदर-बाहर स्थानान्तरित कर सकता है। ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं और इस लिहाज से यह जरूरी हो गया है कि हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में गंभीरता से काम किया जाए और 'स्वच्छ भारत' अभियान के अंतर्गत स्वच्छ हवा अभियान को जोर शोर से चलाया जाए।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन करने वाले स्कूली बच्चों के पहले जो स्वास्थ्य कैम्प लगाए जाते थे, उनको फिर से प्रारंभ कराकर बच्चों के कल को सुरक्षित बनाने के लिए चिकित्सा के उचित प्रबंधन कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री देवजी एम. पटेल, श्री निशिकान्त दुबे, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिजू, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री पी.पी. चौधरी, को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे लोकसभा क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरु द्वारा नागौर में की गई थी। 63वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायतों का काम बहुत बढ़ गया। जिला परिषद मैम्बर, पंचायत समिति मैम्बरों के नए ढंग से चुनाव शुरु हुए। अब देश के हर राज्य में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। नागौर में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सैंट्रल पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागौर में खोला जाए जिससे पंचायती राज को हमेशा के लिए याद रखा जा सके।

वास्तव में पंचायती राज रिसर्च इंस्टीट्यूंट की बहुत समय से मांग हो रही है। भारत में कई जगह इंस्टीटयूट होंगे। राजस्थान राज्य में पंचायती राज रिसर्च इंस्टीट्यूंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम यहां सैंट्रल पंचायती राज इंस्टीट्यूंट और पंचायती राज रिसर्च इंस्टीट्यूट तो बनना ही चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री पी.पी. चौधरी को श्री सी.आर चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि कल एक चैनल ने दो घंटे का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है। हम कॉलिंग अटैंशन में इस विषय को उठाते रहे हैं और यह देश के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। डॉक्टर्स को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। यह कहा जाता है कि अगर ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर्स इंसान को बचाने के लिए भगवान का रूप होते हैं। जब डॉक्टर्स के पास कोई इलाज कराने जाता है तो अपना तन, मन, धन सब कुछ दे देता है और उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या इलाज हो रहा है। अब आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। चाहे लैब हो, डाइग्नोस्टिक सैंटर हो या प्राइवेट अस्पताल हो, एक तरफ प्राइवेट अस्पताल लोगों को मनमाने ढंग से लूटने रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में, एम्स जैसे संस्थान में इतनी भीड़ है कि कम से कम एक दिन में 50,000 मरीज आते हैं। मेरा मकसद किसी एक की शिकायत करना नहीं है। पिछले साल भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। अगर इलाज में 50,000 रुपए लगने होते हैं तो 16,000 रुपए लिए जाते हैं, ऐसा स्टिंग ऑपरेशन से पता चलता है। 50 परसेंट का मार्जन दलाली का होता है, डॉक्टर्स के कमीशन का होता है। आईसीयू में मरे हुए मरीज को रखकर इलाज के लिए पैसे लिए जाते हैं, पैसे ऐंठे जाते हैं। सर्वे से पता चलता है कि गरीब आदमी की 70 प्रतिशत आमदनी इलाज में जाती है।

आखिर सरकार इस तरह के जो स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, डॉक्टर्स और लैब मनमानी कर रहे हैं, बिहार में तो अधिकतर लैब्स में नर्सिंग एक्ट ही लागू नहीं है। जिस तरह से फर्जी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, पिछले साल जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कल मैं भी उस चैनल में थी, डॉ. अग्रवाल भी उस चैनल में थे, उन्होंने कहा कि एमसीआई इसकी जांच कर रही थी, फिर हैल्थ मिनिस्ट्री ने इस मामले को ले लिया और हैल्थ मिनिस्ट्री ने

इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं किया है, एक साल बीत गया है। डॉ. हर्षवर्धन जी का आ रहा था कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कार्रवाई नहीं होने के कारण ही आज लैब वाले हों या डॉयगनॉस्टिक सेंटर वाले हों, चाहे एमआरआई करने वाले हों, चाहे इलाज करने में मनमानी करने वाले हों, उन्होंने यह तय कर लिया है कि हम जो भी करना चाहते हैं, हम करेंगे। यह देश के मरीजों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि दूसरे देशों में अगर आप देखें तो हैल्थ एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अपने देश के लोगों की हैल्थ के साथ सौदा नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे देश के अस्पताल और खासकर प्राइवेट अस्पताल किस ओर जा रहे हैं कि एयरपोर्ट में भी उनके दलाल और जो कमीशनखोर वहां पर होते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मनमानी को, इलाज करने वाले ऐसे फर्जी डॉक्टर्स को मनमाने तरीके से इलाज करने से हम कैसे रोकेंगे? इस पर आपके माध्यम से मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि यह हमारे देश के लोगों के और उन 70 प्रतिशत गरीबों के संबंध में हैं जिनकी खाल तक को इलाज के नाम पर लूट लिया जाता है। सरकार इस दिशा में जरूर कुछ ठोस कार्रवाई करे, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री निशिकांत दुबे को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आजादी से पहले जो जोधपुर राज्य की सेनाएं थीं, उन सेनाओं ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में बहुत सराहनीय काम किया था। उस समय के कई सारे मोन्यूमेंट्स जोधपुर में बने हुए हैं। आजादी के पहले के जोधपुर शहर के बाहर उस समय जो बाड़ हुआ करती थी, अब जोधपुर शहर के बीच में एक फायरिंग रेंज आई हुई है। उस फायरिंग रेंज के बीच में से आजादी से पहले से एक रास्ता था। जिस रास्ते से गांव के लोग अपने खेतों की तरफ जाते थे और वह रास्ता रेवेन्यू रिकार्ड में भी रास्ते के रूप में दर्ज है। वर्तमान में अभी पिछले कुछ दिनों में सेना के अधिकारियों ने उस रास्ते के ऊपर दस फीट ऊंची मिट्टी की दीवार बना दी है। यह फायरिंग रेंज को प्रोटैक्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन

उसके कारण से रेवेन्यू रास्ता बंद हो गया है। रास्ते के साथ साथ जो पीने के पानी की पाइप लाइन डाली हुई थी, वह पाइप लाइन भी उन्होंने तोड़ दी है, सीवर लाइन भी उन्होंने तोड़ दी है और साथ ही साथ जो नैचुरल पानी के बहने का रास्ता था, यानी बरसात के पानी के बहने का जो रास्ता था, उस रास्ते को भी सेना के लोगों ने बंद कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि बरसात का सीजन आने वाला है, इस समस्या का तुरंत समाधान कराया जाए ताकि जो सैकड़ों और हजारों लोग एवं किसान उस क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनके घर डूबने का खतरा इस कारण से खड़ा हो गया है, उनको इस समस्या से निजात मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल और श्री विनोद खन्ना को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोरबा संसदीय क्षेत्र से आता हूं जहां कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने कोयले के क्षेत्र में उसके नियमों में जो परिवर्तन किया है जिसके कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश को पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा धनराशि 47000 करोड़ रुपये के करीब आबंटित की गई है। कोयला क्षेत्र के उत्पादन के साथ साथ वहां की जनता की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दस साल पहले उनकी जमीन एक्वायर कर ली गई। शादी ब्याह जमीन बेचने के नाम पर रुका हुआ है। जिस जमीन का रेट 75000-76000 रुपये प्रति एकड़ था, आज उसका रेट कम से कम चार लाख है, पांच लाख है और अभी तक काम शुरु नहीं किया गया है। नये भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। हर परिवार के एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए और जो खदानें खुली पड़ी हुई हैं, उनका समतलीकरण होना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए तथा यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि मेरे क्षेत्र में वर्ष 1927 से कोयले की खदानें स्थापित हैं। सबसे ज्यादा कोयला खदानें उसी क्षेत्र में हैं, फिर भी वहां प्रगति रूकी हुई है।

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदया, परसों पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले के पिंगला पुलिस स्टेशन के ब्रामिनबार गांव में एक भयावह घटना घटी थी। वहां एक भीषण विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उस विस्फोट का प्रभाव इतना भयानक था कि शवों के टुकड़े-टुकड़े हो गए और कुछ शवों के अंग पेड़ों की टहनियों से लटके हुए मिले हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन उस भयावह प्रकरण को दबाने के लिए अन्य शवों को भी हटा रहा है। स्थानीय प्रशासन मामले को दबाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम भेजें, क्योंकि यह मामला खगरागढ़ की घटना से मिलता-जुलता है, जो देश भर में कट्टरपंथी ताकतों से जुड़ा हुआ था।

माननीय अध्यक्ष: श्री अभिजीत मुखर्जी और श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति है।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): मैं सभा का ध्यान उत्तरी चेन्नई के वेल्लूर स्थित एक ताप विद्युत संयंत्र के समक्ष आ रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो संचालन में है और 1,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, एन.टी.पी.सी. तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एन.टी.ई.सी.एल.) तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एन.टी.पी.सी., जो एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। उत्तरी चेन्नई के वेल्लूर में एन.टी.ई.सी.एल. विद्युत संयंत्र में तीन इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। तीनों इकाइयों ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। तमिलनाडु को इस विद्युत संयंत्र से 1,500 मेगावाट में से लगभग 1,045 मेगावाट विद्युत आवंटित की गई है। दुर्भाग्य से, इस विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण, जो रेलवे रैक की अनुपलब्धता के कारण है, वेल्लूर विद्युत संयंत्र की तीन इकाइयों में से एक हमेशा बंद रहती है। यद्यपि संयंत्र 1,500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है, लेकिन ओडिशा के तालचेर स्थित महानदी कोलफील्ड से कोयले की कम आपूर्ति के कारण उत्पादन सीमित है। इसका कारण तालचेर कोयला खदानों से कोयला ले

जाने के लिए खाली रेलवे रैक की सीमित या अनुपलब्धता है। एन.टी.ई.सी.एल., वेल्लूर ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि से तमिलनाडु राज्य को गर्मी के चरम मौसम के दौरान राज्य की बिजली की मांग को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करें और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें ताकि तालचेर से उत्तरी चेन्नई के वेल्लूर संयंत्र तक कोयला ले जाने के लिए पर्याप्त रेलवे रैक की व्यवस्था की जा सके और उसे उपलब्ध कराया जा सके, जिससे हमारे राज्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए अधिकतम विद्युत का उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बलिया) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया है।

माननीय अध्यक्ष : आपकी सीट कहां है? आपको यहां से बोलने के लिए अनुमति लेनी चाहिए।

श्री भरत सिंह: अध्यक्ष महोदया, मेरी सीट पीछे है। आप कृपया मुझे यहां से बोलने की अनुमति प्रदान करें।

महोदया, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में बेमौसम बारिश से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। लगातार तीन महीनों से बेमौसम बारिश हो रही है। ओलावृष्टि से बलिया लोकसभा क्षेत्र विशेषकर बलिया, गाजीपुर, सलेमपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की साठ परसेंट खेती ही नहीं बल्कि 70, 80, 90 परसेंट तक फसल बर्बाद हुई है।

अध्यक्ष जी, बहुत भाग्य से हमें शून्यकाल में बोलने का मौका मिलता है इसलिए मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका दीजिए। हमारे यहां प्याज की बहुत खेती होती है। सीरिया, रऊआं, पिनावीं, पुरार, निरुपद, बलौरी, मझौऊंआ आदि गांवों के किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। उनकी तिलहन, मसर, चने आदि फसलें बर्बाद हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दैवीय आपदा का मानक बदल दिया है और पचास परसेंट की जगह अगर 33 परसेंट नुकसान भी अगर होता है तो भी दैवीय आपदा में काउंट करने की बात कही है। इसके बावजूद भारत सरकार अन्य तरीकों से भी भरपूर सहायता दे रही है। भारत

सरकार द्वारा खुले दिल से राहत देने की घोषणा के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, आखिलेश यादव की सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से सौ रुपया, दो सौ रुपया, पांच सौ रुपया का चैक दे रही है। बलिया के बारे में बताना चाहता हूं कि बैरिया तहसील में, मोहम्मदाबाद तहसील में किसानों के बहुत नुकसान के बावजूद चैक वितरित नहीं किए गए।

महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने इस बारे में उचित कदम उठाए हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय की जांच कराई जाए और माननीय गृह मंत्री जी या माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी इस बारे में स्वयं आश्वासन दें।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को श्री भरत सिंह द्वारा उठाए मुद्दे से संबद्ध करना चाहता हूं।

[अनुवाद**]**

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): महोदया, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया सऊदी अरब के नजरान में फंसे अनिवासी भारतीयों को निकाला जाए। यमन से भौगोलिक निकटता के कारण नजरान हूती विद्रोहियों के हमले का निशाना बन गया है। यमनी सीमा पार से हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए मोर्टार के गोले और मिसाइलों ने नजरान में अस्पतालों, स्कूलों और कई इमारतों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार, नजरान में रहने वाले 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है तथा लगभग तीन लाख लोग इस क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं। नजरान में वर्तमान स्थिति यही है।

पता चला है कि नजरान में अभी भी बहुत सारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। मुझे नजरान सशस्त्र बल चिकित्सालय में काम करने वाली कुछ नर्सों से ईमेल मिले हैं। मुझे बताया गया है कि अस्पताल की इमारत नष्ट हो गई है और गोलाबारी में कुछ कर्मचारी मारे गए हैं। अस्पताल के अधिकारी इन नर्सों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। यह केवल नजरान सशस्त्र बलों के चिकित्सालय में काम करने वाले हमारे नागरिकों का मामला नहीं है। इसी तरह, हमारे नागरिक नजरान के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, और वे एक-दूसरे से संवाद करने की स्थिति में नहीं हैं।

सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय मेरे निर्वाचन क्षेत्र से हैं। उनमें से अधिकतर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रसे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह हमारे नागरिकों को नजरान से निकालने के लिए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। यह एक अत्यावश्यक मामला है। मैं आपसे मदद चाहूँगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री एम.के. राघवन, श्री एम.बी. राजेश और श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन को श्री एंटो एन्टोनी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वे अपना नाम देना चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी लोगों को क्या हो गया है?

...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज सदन में माननीय श्री भरत सिंह और उत्तर प्रदेश के कुछ सांसद आजकल किसानों की समस्या के संबंध में काफी प्रश्न और चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, जो योग्य बात है।

<u>अपराह्न 01.09 बजे</u>

इस समय, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, श्री राजीव सातव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

आपने जो चिन्ता व्यक्त की, उसी प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश के, विशेष तौर से अमेठी किसानों के बारे में चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं। जो फूड पार्क है, ... (व्यवधान) देश में ... (व्यवधान) अमेठी के जो मतदाता हैं, जो किसान हैं, भरत सिंह जी ने अपने यहां के किसानों के बारे में उचित चिन्ता व्यक्त की, लेकिन अमेठी के सांसद पन्द्रह साल जिस फूड पार्क की बात करते रहे और किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, कल राहुल गांधी जी ने यहां पर सवाल उठाया ... (व्यवधान)

सात बार राहुल गांधी जी की सरकार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देती गयी। ... (व्यवधान) वास्तव में, मेरे पास सब डाक्यूमेंट्स हैं, राहुल गांधी जी ने सदन को मिसलीड किया है। ... (व्यवधान) मैंने प्रिविलेज मोशन भी दिया है। ... (व्यवधान) मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि अमेठी के फूड पार्क के बारे जो सांसद महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। ... (व्यवधान) उनकी सरकार ने फरवरी, 2014 में इस फूड पार्क को 31 मार्च, 2014 की मुद्दत दी, 31 मार्च, 2014 तक कुछ कर नहीं पाए और अब गलत जानकारी दे रहे हैं। ... (व्यवधान) वह जो कंपनी है, ... (व्यवधान) मेरे पास जानकारी है ... (व्यवधान) शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने राहुल गांधी जी और कांग्रेस सरकार से कहा कि हमें सस्ते दाम में गैस दीजिए। ... (व्यवधान) 13 जून, 2013 को उस सरकार ने इन्कार कर दिया, उस समय अमेठी के सांसद महोदय क्या कर रहे थे? ... (व्यवधान) तब अमेठी के सांसद ने आवाज क्यों नहीं उठाई। ... (व्यवधान) वह तो यूपीए के नेता थे। ... (व्यवधान) अगर किसान के लिए काम करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति करना बन्द कीजिए। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सब जानकारी दे, स्पष्टीकरण करे और इनकी राजनीति की दुकान बन्द करे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.पी.चौधरी, श्री निशिकान्त दुबे, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुनील कुमार सिंह, कुमारी शोभा कारान्दलाजे और श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, मैं इसके बारे में मंत्रालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहूंगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बाद में मन्डे तक स्टेटमेंट दे सकती हैं।

<u>अपराह्न 01.12 बजे</u>

इस समय, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, श्री राजीव सातव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपील करती हूं। मैं आज क्लैरिफिकेशन देने को तैयार हूं, मन्डे तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मन्डे को भी स्टेटमेंट दे सकती हैं।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: अध्यक्ष जी, मेरी कल भी तैयारी थी, आज भी तैयारी है, मैं अभी भी क्लैरिफिकेशन दे सकती हूं, मन्डे तक के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ... (व्यवधान) मन्डे को दुबारा कर लेंगे। ... (व्यवधान)

मैडम, अपोजिशन के लोग बौखलाए हुए हैं, ... (व्यवधान) मुझे इस बात का बहुत दुख है कि राजनीति की जा रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे समझने तो दीजिए कि वह क्या कहना चाहती हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर : मेरे मंत्रालय के बारे में जो मुद्दा उठाया गया है, उस पर मुझे बोलने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 01.13 बजे</u>

इस समय, श्री रवनीत सिंह और अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

महोदया, नेता जी ने देश को और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। मैं यह बात साफ करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वह अब धोखे की राजनीति कर रही है और इस धोखे को दूर करने की जरूरत है ताकि देश की जनता को पता चले कि श्री राहुल गांधी अपना होमवर्क नहीं करते हैं और फिर देश की जनता से झूठ बोलते हैं। ... (*व्यवधान*) कृपया मुझे सभा पटल पर तथ्य रखने की अनुमति दें। अगर मैं गलत हूँ तो उन्हें तथ्यों का खंडन करने दें। ... (*व्यवधान*) महोदया, मैं आपसे अपील करती हूँ, मुझे तथ्य पटल पर रखने दें। अगर मैं गलत हूँ, तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है। जब उनका अपना नेता गलत है और वे मुझे सभा पटल पर तथ्य रखने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो वे विरोध कैसे कर सकते हैं? इसलिए, मैं आपसे अपील करती हूँ कि मुझे सभा पटल पर तथ्य रखने की अनुमति दें। ...

(*व्यवधान*) [हिन्दी] जो लीडर विदेशों से फाइव स्टार छुट्टी मनाकर फर्स्ट क्लास में जहाज से वापस आए हैं, वह संसद सदस्य किसानों के आलू की बात करते हैं, उनकी सच्चाई आनी चाहिए। (व्यवधान) जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री और नेताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ... (व्यवधान) विपक्ष की पार्टियों के लीडर्स के ऊपर भी बराबर की जिम्मेदारी होती है कि गलत बात न बोलें। ... (व्यवधान) सबसे पहली बात, वह कहते हैं कि अमेठी में एक फूड पार्क लग रहा था और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। ये उनके शब्द हैं। ... (व्यवधान) वह फूड पार्क कहां लग रहा था और कैसे आगे बढ़ रहा था, उसके बारे में फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। यूपीएसआईडीसी से 800 एकड़ जमीन इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर कंपनी को एक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए दी गयी। उस फर्टिलाइजर प्लांट के लिए दी गई 800 एकड़ जमीन में से, इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर कंपनी के ओनर आदित्य बिरला ग्रुप ने वहां एक मेगा फूड पार्क लगाने के लिए एप्लाई किया। वर्ष 2010 में उनको मेगा फूड पार्क लगाने की परमीशन दी गयी।... (व्यवधान) मैडम, 2010 से 2014 तक इस कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ... (व्यवधान) राहुल गांधी की सरकार थी, लेकिन जो फूड पार्क दो साल में लगना चाहिए था, वह चार साल तक नहीं लग सका। ... (व्यवधान) सन् 2012 में इनकी सरकार ने, इनके मंत्री ने उसी कम्पनी को शोकॉज़ नोटिस दिया कि दो साल में आपने गड्ढा भी नहीं खोदा, एक भी ईंट नहीं लगाई, क्यों न इसे कैंसिल किया जाए ... (व्यवधान) मैडम, 31-3-2013 में उस कम्पनी के लोगों ने आकर मंत्रालय में बताया कि हमें जमीन यू.पी.एस.आई.डी.सी. ने सब-लीज के लिए नहीं दी थी कि हम फूड पार्क लगाते, हमें तो फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए मिली थी। हमने पेट्रोलियम मिनिस्टरी को लिखा है कि हमें गैस सस्ते रेट पर दी जाए पावर प्लांट के लिए, वह पेट्रोलियम मिनिस्टरी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो हम यह लगा नहीं सकते ... (व्यवधान) सन् 31-3-2013 को प्रमोटर्स बैकआउट कर गए, लेकिन राहुल गांधी जी ... (व्यवधान) . . ‡‡‡*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह पर कार्यवाही-वृत्तांत नहीं जाएगा।

---

‡‡‡*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान) . . §§§*

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, ये जो हाउस को मिसलीड कर रहे हैं, ... (व्यवधान) 18-6-2013 को पेट्रोलियम मिनिस्टरी ने ... (व्यवधान) एक चिट्ठी लिखी कि हम सस्ते रेट पर गैस नहीं देंगे और 07-10-2013 को, इलेक्शन से चंद महीने पहले राहुल गांधी जी ने जाकर फाउंडेशन स्टोन रख दिया। यह जानते हुए कि जमीन नहीं है, पावर प्लांट नहीं लग सकता, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को मिसलीड करने के लिए फाउंडेशन स्टोन लगाया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि पांच साल में इन्होंने यह मुद्दा कितनी बार उठाया और आज राजनीति की बात करते हैं, पोलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन तो ये खेल रहे हैं ... (व्यवधान) यह देखिए, मैडम हमारे मंत्रालय ने 11-7-2014 यानि करीब दस महीने पहले उस कम्पनी को कैंसिलेशन के बारे में इंफार्म कर दिया था। क्या दस महीने तक ये सो रहे थे ... (व्यवधान) आज आवाज़ उठा रहे हैं, बदले और बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव तो हम लाना चाहते हैं, बदला ये लेना चाहते हैं, काम किया नहीं, जो चीज दो साल में शुरू हो जानी चाहिए, वह चार साल में शुरू नहीं हो सकी ... (व्यवधान) मैं सोमवार को इस पर लिखित स्टेटमेंट सदन में दूंगी। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.20 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की की जात है।

<u>अपराह्न 01.17 बजे</u>

इसके बाद लोक सभा की कार्यवाही अपराह्न दो बजकर बीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

---

§§§*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>अपराह्न 02.22 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर बीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदय, हमने नोटिस दिया है।… (*व्यवधान*) महोदय, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

अपराह्न 02.23 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*****

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब नियम 377 क्र अंतर्गत मामले सदन पटल पर रखे जायेंगे जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामलों का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा के पटल को सौंप दें। केवल उन मामलों को इस प्रकार समझा जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर तालिका में प्राप्त हुआ है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) झारखंड के धनबाद जिले में बी.सी.सी.एल. कोलयरी क्षेत्र और इसके आसपास के सभी निवासियों का अनुमोदित योजना के अनुसार पुनर्वास किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : झारखण्ड राज्य के धनबाद जिला में बी.सी.सी.एल. के कोलयरी क्षेत्र में करीब एक लाख परिवार निवास करते हैं जिसमें 50 हजार मकान बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों के हैं। झरिया कोलफिल्ड में कोलयरियों में बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है जिसकी वजह से एक लाख परिवारों को विस्थापन करना है। बी.सी.सी.एल. अपने कर्मचारियों को अपने ढंग से विस्थापित कर रही है लेकिन गैर बी.सी.सी.एल. परिवारों को एक्शन प्लान के अनुसार सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर रही है। इधर बड़े पैमाने पर ओपन कॉस्ट के द्वारा कोयला का उत्पादन भी तेजी से प्रारंभ किया गया है जिससे झुग्गी-झोपड़ी को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गैर बी.सी.सी.एल. के लोगों को विश्वास में लेकर ही विस्थापित किया जाए जिससे जनमानस में आक्रोश उत्पन्न न हो।

*****सभा पटल पर रखा माना गया।

(दो) बिहार के बोध गया स्थित महाबोधी महाविहार का स्वामित्व और प्रबंधन बौद्धों को सौंपे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : देश में बोध गया के महाबोधि महाविहार का स्वामित्व प्रबंधन एवं संचालन भारतीय बौद्धो के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। महाबोधि महाविहार का स्वामित्व प्रबंधन एवं संचालन का कार्य बोधगया मंदिर प्रबंधन बिहार सरकार द्वारा पारित अधिनियम 1949 के आधार पर किया जा रहा है। इस अधिनियम के अनुसार नियुक्ति समिति में महाबोधि प्रबंधन हेतु 3-3 वर्षों के लिए 4 हिंदू एवं 4 बौद्ध सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिसका अध्यक्ष गया का जिलाधिकारी नियुक्त होता है और सचिव हिंदू सदस्यों में से ही नियुक्त होता है। इस अधिनियम से 60 वर्षों से बौद्धों के मौलिक अधिकार का हनन होकर भारतीय संविधान की समतामूलक भावना आहत हो रही है। भारतीय संविधान की धारा 25 और 26 के आधार पर बौद्धगया के महाबोधि महाविहार (बोध गया मंदिर) का पूर्ण प्रबंधन संचालन एवं स्वामित्व बौद्धों को प्रत्यार्पित करने के लिए केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार का बोध गया मन्दिर प्रबंधन 1949 अधिनियम को रद्द करके महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की आवश्यकता है। इस लंबित मांग के संबंध में आखिल भारतीय बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति कई वर्षों से देश में आंदोलन कर रही है और अभी अप्रैल 2015 में जंतर-मंतर पर विशाल धरना आयोजित करके आंदोलन किया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा आंदोलन समिति की माँग को मंजूर करके इस पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(तीन) राजस्थान के झुन्झुनू में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष अहलावत (झुन्झुनू): मेरे संसदीय क्षेत्र झुन्झुनू में काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं। इसलिए राजस्थान के झुन्झुनू में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता है।

(चार) दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सुपर अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं सरकार का ध्यान दिल्ली राज्य में अस्पतालों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पाँच सितारा अस्पतालों की कमी नहीं है। लेकिन दिल्ली में 75 प्रतिशत गरीब लोग गाँवों में अनियमित कालोनी व झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं जो उन पांच सितारा अस्पतालों में इलाज कराने की सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वहाँ चिकित्सा सुविधा इतनी महँगी है कि गरीब का आशियाना भी बिक जाए तब भी वे उनका बिल नहीं चुका सकते। अगर कोई गरीब भर्ती हो भी जाए तो जीवन भर उस कर्ज को नहीं चुका सकता जो कर्जा लेकर बिल भरते हैं।

माननीय वित्त मंत्री साहब ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि दिल्ली में एक सुपर स्पेस्लिटी अस्पताल का निर्माण दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में करेंगे व 50 करोड़ रूपये मद के पहले चरण में बजट में व्यवस्था की थी लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई योजना तैयार नहीं की।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सरकार राज्य सरकार एनसीआर के रूप में संज्ञान ले तथा उक्त अस्पताल के कार्य को प्रारंभ करायें जिससे दक्षिणी दिल्ली देहात व कालोनियों के लोग अपना इलाज करा सकें व स्वास्थ्य लाभ ले सकें क्योंकि दक्षिणी दिल्ली लोक सभा में एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है तथा क्षेत्र की आबादी लगभग 36 लाख है व गाँवों से तथा क्षेत्र से लगभग 15 से 20 किलोमीटर गरीब लोगों को सफदरजंग, आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ भागना पड़ता है तथा सड़कों पर जाम से जूझना पड़ता है। कुछ भयंकर बीमारी जैसे हृदय गति या सड़क दुर्घटना के मामले में तो मरीज की अस्पताल पहुंचने के समय तक मौत हो जाती है। कृपया उन गरीब परिवारों की समस्या को देखते हुए सरकार इस ओर ध्यान दे।

(पाँच) हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : मेरा संसदीय क्षेत्र अंबाला (हरियाणा) सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक विधान सभा क्षेत्र अंबाला छावनी पूरे का पूरा सेना बेस है। यहाँ पर सेना में विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रिया चलती रहती है। हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षा और रक्षा के लिए 70 प्रतिशत से आधिक हथियार व अन्य सामग्री विदेशों से मँगवाते हैं। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री ने विश्व के सशस्त्र निर्माताओं से भी अनुरोध किया है कि वे भारत में आयें और यहाँ पर हथियार बनाने के कारखाने स्थापित करें। उन्होंने हमारे रक्षा उद्योग में 49 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति भी दे दी है जिसके परिणाम निकट भविष्य में आयेंगे परंतु अगस्त, 2014 के पश्चात जो स्थिति है वो कोई अति उत्साहजनक नहीं है। मात्र 96.1 करोड़ एफडीआई ही आ पायी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि आंतरिक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को सैनिक प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र अंबाला में डिफेंस यूनिवर्सिटी खोली जाए ताकि हमें अपने देश की रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी टेक्नॉलाजी पर निर्भर न रहना पड़े।

(छः) झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : मैं झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में लंबे समय से लंबित निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय और विभाग में इस मामले का अनुसरण कर रहा हूँ और लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा करता हूँ।

गोड्डा में बटेश्वरस्थान पंप नहर योजना : 370 करोड़ रुपये की इस परियोजना का 90% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया गया तथा 10% निधि बिहार और झारखंड द्वारा संयुक्त रूप से साझा की गई।

देवघर में पुनासी जलाशय योजना: यह परियोजना 1982 में मात्र रु. 26 करोड़ की बजटीय लागत के साथ शुरू की गई थी, लेकिन इस मोर्चे पर लंबे समय से लंबित कार्य के कारण अब अनुमानित बजट रु. 1000 करोड़ है।

हम मांग करते हैंः

• नदी गंगा और क्षेत्र के बेसिनों में उपलब्ध पानी की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन।

• घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी की मांग का मूल्यांकन, साथ ही

• भुरभुरी जलाशय, देवघर
• कलीपुर जलाशय, देवघर
• बिशुनपुर जलाशय, देवघर
• सरकुंडा जलाशय, देवघर
• सुगा बथान जलाशय, गोड्डा
• बुढ़ैई जलाशय, देवघर

(सात) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी बालिका विद्यालयों में पेयजल, शौचालय एवं बिजली संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' को भारत की केन्द्र सरकार तथा सभी राज्यों ने भी अपना लिया है। छोटे बच्चों से लेकर वृद्धजन भी इस अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं।

स्वच्छता अभियान के दूसरे पक्ष की ओर भी माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि अनेक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था तो है परंतु सफाई के लिए जलापूर्ति पर्याप्त नहीं है अर्थात शौचालय की सफाई के लिए जल प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान जो देश में वर्षों से चल रहा है, के लिए केन्द्र व राज्यों का धन प्रबंधन अनुपात 65:35 होते हुए भी आज असफल सा प्रतीत होता है, जिसे दुरूस्त किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान में आज भी शिक्षा व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, फलस्वरूप गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कुछ स्वैच्छिक संगठन माननीय प्रधानमंत्री जी के आहवान " सबका साथ सबका विकास" को आदर्श मानकर भागीदारी व्यवस्था स्वीकार कर कम खर्च में बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से एन.सी.आर. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय स्थापनार्थ प्रयासरत है। एन.सी.आर. क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना क्षेत्रीय जन स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभागों का दायित्व है किंतु विभागीय मापदण्डों के अनुसार विद्यालयों में शौचालय निर्माण व अन्य कार्यों के लिए जलापूर्ति की अनुमति नहीं है। फलस्वरूप कुछ बालिका विद्यालयों की स्थापना वर्षों से लंबित है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूँ किः

1. बालिकाओं के लिए प्रस्तावित सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बुनियादी आवश्यकताएं, जलापूर्ति एवं विद्युत कनेक्शन आपूर्ति में वरीयता दी जाए।

2. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित बालिका शिक्षण संस्थानों में शौचालय निर्माण हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए; तथा
3. देश के सभी एन.सी.आर. राज्यों में शिक्षण संस्थान स्थापनार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं नलकूप निर्माण हेतु लंबित मामलों का शीघ्र निपटान किया जाए तथा शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही जलापूर्ति की माँग को नलकूप निर्माण, हैण्ड पम्प आदि लगवाकर शीघ्र पूरा किया जाए।

(आठ) नवयुग विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों हेतु पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : मैं नवयुग स्कूल एजुकेशन सोसाइटी (एनएसईएस) के लिए चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा भत्ता की अनुपलब्धता से संबंधित एक बहुत ही संवेदनशील मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नवयुग स्कूल (एन.एस.ई.एस. द्वारा संचालित) के कर्मचारियों के संबंध में, मैं आपके ध्यान में निम्नलिखित तथ्य लाना चाहता हूँ:-

(1) दिसम्बर 2005 तक रु. 75/- चिकित्सा भत्ता दिया जाता था;

(2) वर्ष 2006 में विकल्प पूछा गया था - शिक्षकों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता या चिकित्सा सुविधा में से क्या दिया जाए;

(3) शिक्षकों और कर्मचारियों ने चिकित्सा सुविधा का विकल्प चुना। तब से वे सभी चिकित्सा भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे हैं;

(4) जबकि एन.डी.एम.सी. के अन्य स्कूलों में चिकित्सा सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, *नवयुग स्कूलों के स्टाफ* की उपेक्षा की गई है*;*

(5) प्रभावित कर्मचारियों की कुल संख्या 600 से अधिक है। चूंकि कर्मचारी वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए वे स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। किसी भी संगठन में काम करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(6) कर्मचारियों को कोई मेडिकल कार्ड जारी नहीं किया जाता है, इसलिए उपचार के लिए भुगतान की जाने वाली प्रारंभिक राशि सी.जी.एच.एस. दरों के अनुसार नहीं है;

(7) वर्तमान स्थिति यह है कि चिकित्सा व्यय के हिस्से के रूप में खर्च की गई राशि का बाद में कर्मचारियों द्वारा दावा किया जाता है, इस राशि की प्रतिपूर्ति सी.जी.एच.एस. नियमों के अनुसार की जाती है, हालांकि वास्तविक चिकित्सा व्यय सी.जी.एच.एस. दरों से कई गुना अधिक है।

इसलिए, मैं संबंधित मंत्री से इस मामले को देखने और इसे जल्द से जल्द हल करने का आग्रह करता हूं।

(नौ) मत्स्यग्रहण क्रियाकलापों पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु तमिलनाडु को धन आवंटित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी (थूथुकुडी) : मछली प्रजनन को सुविधाजनक बनाने तथा समुद्री पारिस्थितिकी में मछली भंडार को संरक्षित करने के लिए, तमिलनाडु सरकार हर वर्ष मशीनीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने पर 45 दिन का वार्षिक प्रतिबंध लगाती है। प्रजनन के मौसम के दौरान मछली पकड़ने वाली नावों से होने वाली गड़बड़ी से बचने के लिए मछुआरों को समुद्र में न जाने का निर्देश दिया जाता है। अप्रैल 15 से मई 29 तक प्रतिबंध लागू हो जाता है। मछुआरों की आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए 16,433 मछुआरा परिवारों और 17,193 लाभार्थियों में से प्रत्येक को रु. 2000 और रु. 4000 की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। राहत राशि की आवश्यकता वाले मछुआरों से सहायता के लिए व्यवस्थित तरीके से आवेदन प्राप्त किया जाता है। यह सीधे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के माध्यम से मछुआरों के बैंक खाते में जमा किया जाता है। 25 सहकारी समितियों में नामांकित 30,265 सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि प्रतिबंध अवधि के दौरान आय का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार मुआवजे की राशि को समान रूप से बढ़ाकर रु. 5000 प्रति माह कर सकती है। केंद्र विशेष सहायता पैकेज के माध्यम से धन आवंटित कर सकता है क्योंकि इन मछुआरों की आजीविका भी श्रीलंकाई नौसेना द्वारा समय-समय पर प्रभावित होती रहती है। मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि यह धनराशि मई महीने में दी जाए, ताकि सभी मछुआरे परिवारों को लाभ मिल सके।

(दस) चारकोप-बांद्रा-मानखुर्द मार्ग पर मुंबई मेट्रो लाइन-2 के अंतर्गत चारकोप एवं मानखुर्द में कार डिपो की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): मुंबई मेट्रो लाइन 2 के अंतर्गत चारकोप-बांद्रा-मानखुर्द में कार डिपो की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी में देरी हो रही है।

यह अत्यावश्यक बात है कि बहुत पहले मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत चारकोप-बांद्रा-मानखुर्द कॉरिडोर के लिए चारकोप और मानखुर्द में कार डिपो स्थापित करने का अनुरोध किया था। 27 स्टेशनों वाला यह गलियारा मुंबई में पश्चिम से पूर्व संयोजकता प्रदान करने वाला दूसरा गलियारा है, जिसकी लंबाई 37 कि.मी. से अधिक है। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने पहले ही चारकोप और मानखुर्द में कार यार्ड की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया है। मंत्रालय ने सी.आर.जेड. को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिसका कोई फायदा नहीं है और इससे वहां कार यार्ड की स्थापना में बाधा आ रही है।

मैं माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मांग के अनुसार सी.आर.जेड. को पूर्ण मंजूरी प्रदान करें तथा चारकोप और मानखुर्द दोनों स्थानों पर सी.आर.जेड.-1 और सी.आर.जेड.-3 में रखरखाव सुविधा की अनुमति दें, क्योंकि यह एक सार्वजनिक परियोजना है।

(ग्यारह) तेलंगाना में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र परियोजना केकार्यान्वयन में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): केंद्र सरकार ने हैदराबाद और उसके आसपास 50,000 एकड़ में आई.टी. और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण के विकास के लिए स्व-निहित एकीकृत ज्ञान समूह के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आई.टी.आई.आर.) परियोजना के लिए 8 सितंबर, 2012 को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य आई.टी., आई.टी.ई.एस. और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना तथा 1.5 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है जो नवगठित तेलंगाना राज्य के लिए बहुत आवश्यक है।

इस मेगा परियोजना के अन्तर्गत, शहर के चारों ओर तीन गलियारों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.), औद्योगिक पार्क, मुक्त व्यापार क्षेत्र, भंडारण क्षेत्र और निर्यातोन्मुख इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनमें माधापुर, गाचीबोवली, उप्पल कलां, मेडिपल्ली, रविरयाल, आदिबतला और महेश्वरम तथा पोचारम क्षेत्र को शामिल किया हैं। सरकार ने 2.19 लाख करोड़ रु. से अधिक की अनुमानित लागत से आई.टी.आई.आर. के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। हालाँकि इस परियोजना की घोषणा इतने बड़े उद्देश्य के साथ की गई थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कमी है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह हैदराबाद में उपरोक्त आई.टी.आई.आर. परियोजना का क्रियान्वयन शीघ्रता से पूरा करे।

(बारह) पंजाब के कांडी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में घटते हुए औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा (आनंदपुर साहिब): पंजाब में औद्योगिकीकरण में गिरावट का मुख्य कारण भौगोलिक रूप से पिछड़ा होना है। राज्य में केवल वे ही उद्योग हैं जो दूसरे राज्यों से आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं। अन्य राज्यों के उद्योगों से कड़ी प्रतियोगिता है, जिनके पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं या जो बंदरगाहों के करीब स्थित हैं।

देश का विभाजन, आतंकवाद का दौर, स्वतंत्रता के बाद भारत-पाक युद्ध और नई दिल्ली द्वारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को दी गई कर छूट के परिणामस्वरूप पंजाब से पहाड़ी राज्यों में उद्योगों का पलायन हुआ है।

वर्ष 1965 के युद्ध के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार अवरुद्ध या प्रतिबंधित है और मौजूदा व्यापार अपेक्षाकृत कुछ वस्तुओं तक ही सीमित है। इससे पंजाब को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सामान्य लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस उद्योग को पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका माल ढुलाई समानीकरण लागू करना है। मैं पड़ोसी पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर पंजाब के कंडी इलाकों और सीमावर्ती इलाकों में कर प्रोत्साहन, सब्सिडी और लाभ दिए जाने की प्रार्थना करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मद संख्या 31 को लिया जाएगा।

… (*व्यवधान*)

श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा (रोहतक): नहीं, महोदय। हमने नोटिस दिया है। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप एक अनुभवी और इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं। इस सदन के उपाध्यक्ष रहने का भी आपका एक लंबा रिकॉर्ड है।

सुबह के सत्र में खाद्य प्रसंस्करण के मुद्दे पर, जिसे कल राहुल गांधी जी ने उठाया था… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: कृपया नियम 352 का संदर्भ लें। उस मुद्दे पर इस सभा के एक अन्य सदस्य ने न केवल कुछ आपत्तियां उठाईं, बल्कि दूसरे सदस्य के लिए अपभद्र, अपमानजनक और असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया। हालाँकि आप भली-भाँति जानते हैं, मैं अभी इसे पढ़ूंगा और आपकी जानकारी में लाऊंगा, नियम 352 कहता है:

> "कोई भी सदस्य बोलते समय-
> (1) किसी ऐसे तथ्यात्मक मामले का उल्लेख नहीं करेगा जिस पर न्यायिक निर्णय लंबित हो; (यह लागू नहीं होता)
> (2) सभा के किसी अन्य सदस्य पर आरोप लगाते हुए या उसकी *सद्भावना* पर प्रश्न उठाते हुए व्यक्तिगत संदर्भ नहीं देगा, जब तक कि बहस के उद्देश्य के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक न हो, क्योंकि यह स्वयं एक मुद्दा या उससे संबंधित मामला है;"

इसलिए उन्होंने इसे शून्यकाल में उठाया। केवल इतना ही नहीं है। उन्होंने बेवजह आरोप लगाए तथा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यह सभा की कार्यवाही के इतिहास में असंसदीय और अनसुना है। कौन है ये? वह मंत्री नहीं है। एक मंत्री कम से कम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के संबंध में *स्वत: संज्ञान* लेकर बयान दे सकता है। पहले से ही माननीय गृह मंत्री ने जवाब दिया कि अगर ऐसी कोई बात है तो वह इसकी पुष्टि

कराएंगे। जब उन्होनें वादा किया था तो वो चुप रहे और हम चुप रहे। लेकिन एक सदस्य जिसका इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है, वह बेवजह बोले।

इसलिये, मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी असंसदीय शब्दों को सदन से निकाल दिया जाये इसके अलावा, माननीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने भी उकसाया; उन्होंने ऐसे आरोप लगाए . . ††††*. जब मैं कहता हूं . * श्री निशिकांत दुबे और अन्य लोग कहते थे कि यह असंसदीय है। जैसे शब्द . .*.और अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मै यहा एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अपना फैसला सुनाऊंगा और फिर आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। वह अब अपने व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और इस सभा ने मुझे बार-बार याद दिलाया है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। वे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वे लोगों को उकसा रहे हैं और सदन की सुचारू कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

इसलिए माननीय जी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी असंसदीय शब्दों, अनावश्यक बातों और अप्रासंगिक बयानों को सदन से रद्ध कर दें। इन बातों को कार्यवाही से हटा दिया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री खड़गे, आपने अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। सभा का कार्य चल रहा है, उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। नियम तो यही कहता है।

जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, यह घटना सुबह सभा स्थगित होने से पहले हुई थी। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हें पूरी घटना की जानकारी है।

जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसे माननीय अध्यक्ष के सामने लाऊंगा ताकि वह इस पर विचार कर सकें। मैं और क्या कर सकता हूँ?

---

††††*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : मैं यह मामला माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाऊंगा।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 02.24 बजे</u>

इस समय, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष: उस समय माननीय अध्यक्ष जी सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। मैं यह मामला अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाऊंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी को यह संदेश दूंगा कि अभी क्या हो रहा है।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 02.25 बजे

विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015

कानून एवं न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विनियोग अधिनियम (निरसन (रेलवे) अधिनियम सहित) का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव उपस्थित किया गया:

"कि विनियोग अधिनियम (निरसन (रेलवे) अधिनियम सहित) का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 02.26 बजे

इस पर श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले गए।

कानून एवं न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): जहां तक असंसदीय शब्दों को हटाने का प्रश्न है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसे पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता।

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने पहले ही माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया है कि मैं इस मामले को माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाऊंगा क्योंकि उस समय वे सभा की अध्यक्षता कर रही थीं। आपने असंसदीय या भड़काऊ बयानों के बारे में जो भी चिंताएं व्यक्त की हैं, मैं उन्हें माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाऊंगा ताकि वे कार्यवाही वृतांत देख सकें। उसके बाद वे निर्णय लेंगी।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यह एक चलन बन जाएगा। दुर्घटना करके भागने वाली जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। [हिन्दी] मार दो और भाग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं यह मामला माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाने जा रहा हूँ। उस समय वे अध्यक्षता कर रही थीं।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप व्यवस्था दे सकते हैं। *...(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया पीठसीन हो जायें। आपने मामला उठाया है। जैसा कि आपने कहा, वह अपराह्न 01.30 बजे से पहले हुआ, कृपया मेरी बात सुनें।

… (*व्यवधान*)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): जहां तक हमारा सवाल है, यह निरंतर चलने वाली बात है। इसके बाद सभा स्थगित कर दी गई। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: तब सभा स्थगित कर दी गई थी। आप सदन के समक्ष कुछ मुद्दे लेकर आये हैं। आप कुछ शब्दों को हटाने का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं इस मामले को माननीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाने जा रहा हूं। निश्चित रूप से वह निर्णय लेगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, मैं नहीं जानता।

… (*व्यवधान*)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी मिसालें रही हैं। जब भी कोई सदस्य कोई मुद्दा उठाता है, यदि मंत्री वहां मौजूद हैं और यदि मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो वे इसका उत्तर देते हैं। माननीय अध्यक्ष ने ठीक यही अनुमति दी है। मंत्री जी इस सदन में उठाए गए एक विशेष विषय पर उत्तर देना चाहते थे। माननीय अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया: "यदि आप कोई विवरण देना चाहते हैं, तो हम आपको सोमवार को विवरण देने की अनुमति भी दे सकते हैं।" सदस्य ने एक विशेष प्रश्न पूछा था।… (*व्यवधान*) यह माननीय सदस्य श्री राहुल गांधी द्वारा उठाए गए एक मुद्दे के संदर्भ में था कि माननीय मंत्री ने कहा कि तथ्य उनके पास हैं और वे उत्तर देने के लिए तैयार हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उत्तर देने की अनुमति दे दी।… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: वह मामला ख़त्म हो गया है। अब कोई मामला नही बचा हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया जो इस सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या जो उनसे पूछा गया था उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया वह उचित था, जो प्रासंगिक था तथा जो माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए

मुद्दे के बारे में था। मुझे लगता है कि यह मानदंडों के भीतर था और भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी समीक्षा या निष्कासन की आवश्यकता हो।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सर, इसीलिए तो मैंने नोटिस दिया है। [अनुवाद] मैंने नोटिस दिया है क्योंकि मुझे पता है कि यह मुद्दा प्रस्तुत होगा । यह मुद्दा अपराह्न 2 बजे से पहले प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, आपको इसे प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह बीत चुका है। मुझे पता है कि यह मुद्दा प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए, मैंने नियम 352 के तहत लिखित में दिया है कि मुझे सदन में सदस्यों के आचरण के बारे में मामला प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। उसी के आधार पर, मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बात यह है कि भड़काऊ और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। केवल इतना ही नहीं है। ये सारी चीजें, उदाहरण के लिए, संसद की कार्यवाही के संचालन के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल या कोई बयान दिया जाना, नियम पुस्तिका में है। एक तरफ, वे सदस्यों को अपमानित कर रहे हैं। दूसरी तरफ, इसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है। वे सदस्यों को भड़काने वाले मुद्दे को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए, आप निर्णय ले सकते हैं। यह अध्यक्ष के फैसले को खारिज नहीं कर रहा है *...(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं बस इस मुद्दे को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री ने कुछ ऐसी बात कही जिस पर माननीय अध्यक्ष ने तुरंत कहा कि यह बात रिकार्ड में नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने माननीय मंत्री द्वारा किए गए पूरे संदर्भ के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। यह माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे के जवाब में था और माननीय मंत्री ने एक व्यापक उत्तर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके मंत्रालय का संदर्भ था और माननीय सदस्य द्वारा रखे गए कुछ तथ्य गलत थे तथा यही कारण है कि वह स्पष्टीकरण के साथ आई; और सदन और देश को समझाया कि किसी विशेष सदस्य ने गलत संदर्भ दिया है; और उन्होंने वही सटीक संदर्भ बताया जो आवश्यक था। *...(व्यवधान)*

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: दूसरी बात यह है कि जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने सही कहा है कि यह बात अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाई जाएगी और यदि कोई असंसदीय शब्द है तो अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करेंगे।

आप भी मांग कर रहे हैं कि असंसदीय शब्दों को हटाया जाए। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि असंसदीय शब्दों को हटाया जाएगा। ... (*व्यवधान*) हम सब कुछ नहीं हटा सकते। ... (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: अगर वे सुनने को तैयार नहीं हैं, तो हम इस विषय पर चर्चा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारी बात सुननी होगी। हमने उन्हें शांतिपूर्वक सुना। आपने फैसला सुनाया है। ... (*व्यवधान*) यहां संदर्भ बिंदु यह है कि माननीय सदस्य के द्वारा एक मुद्दा प्रस्तुत किया गया था। माननीय मंत्री जी प्रतिक्रिया देना चाहते थे। माननीय मंत्री जी ने प्रतिक्रिया दी, तथा सभी स्थितियों को स्पष्ट किया। अगर कोई ऐसी बात थी जिस पर संबोधित कराने की जरूरत थी, तो माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही संबोधित कर चुके हैं कि ये दो शब्द नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने माननीय सदस्य द्वारा एक विशेष मुद्दे के बारे में प्रस्तुत किये गए पूरे मुद्दे का पूरा संदर्भ दिया है। कार्यवाही को जारी रहने दीजिए, लेकिन आप तथ्यों के अन्य पहलुओं पर गौर नहीं कर सकते हैं, और यह सदन की संपत्ति है। ये तथ्य हैं। ... (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने वास्तव में अध्यक्ष के कथन को गलत तरह से उद्धृत किया। हम भी इस सदन में उपस्थित हैं। हमने अध्यक्ष के मुख से ऐसे शब्द कभी नहीं सुने। जब सदस्य बोल रहे हैं, तथा इस सदन के दूसरे सदस्य के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं, तो हम केवल उन्हें निष्कासित करने के लिए कह रहे हैं। यदि यहां किसी के द्वारा भी असंसदीय शब्द बोला जाता है, तो उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है। यह एक वास्तविक मांग है। ... (*व्यवधान*) आप अध्यक्ष महोदया की बात को गलत उद्धृत कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) हम पहले ही इसका सत्यापन कर लिया है। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री वेणुगोपाल, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

... (*व्यवधान*)

श्री एम.आई. शनवास (वायनाड): रूडी जी आप नहीं, आप अशिष्ट हैं। ... (*व्यवधान*) एक मंत्री के रूप में, आप बहुत अशिष्ट हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: आप पहले ही यह कहकर मुद्दा उठा चुके हैं कि कुछ असंसदीय शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। उस समय अध्यक्ष महोदया अध्यक्षता कर रही थीं। यदि उन्होंने वह शब्द कहा भी है तो भी कोई समस्या नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदया के संज्ञान में लाऊंगा कि आपने यह मुद्दा उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष: आपका उठाया गया मुद्दा मैं अध्यक्ष के सामने रख रहा हूं। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, आपने जो भी मुद्दा उठाया है, मैं उस मामले को माननीय के ध्यान में लाऊंगा। वक्ता। मान लीजिए. स्पीकर निर्णय लें. इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 02.41 बजे</u>

इस समय, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष : सिर्फ आपके लिए ही मैंने टिप्पणी दी है। मैं पहले ही, ऐसा कर चुका हूं। मैं क्या कर सकता हूं? सिर्फ आपको न्याय दिलाने के, लिए ही मैंने टिप्पणी की है।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे पुनः आरंभ होने के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 02.42 बजे</u>

इसके बाद लोकसभा अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न तीन बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सदन अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर विचार करेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह माननीय सदस्यों का अधिकार है और हम सहयोग करते हैं। लेकिन मेरा आपसे केवल इतना ही अनुरोध है कि सारे अपमानजनक और मानहानिकारक शब्दों को वृत्तांत से हटाया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने यह बात माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दी है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ठीक है, हम इसे कल देखेंगे।

<u>अपराह्न 03.01 बजे</u>

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 10वें और 11वें प्रतिवेदन के बारे में जारी किया गया प्रस्ताव

माननीय उपाध्यक्ष: अब, सभा मद संख्या 36 - श्री रतन लाल कटारिया के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा क्रमशः 29 अप्रैल और 6 मई, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्योंके विधयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 10वें और 11वें प्रतिवेदनों से सहमत है।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा क्रमशः 29 अप्रैल और 6 मई, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्योंके विधयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 10वें और 11वें प्रतिवेदनों से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 03.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने के बारे में - जारी।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मद संख्या .37 को लिया जाएगा। 20 मार्च, 2015 को श्री निशिकांत दुबे द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे की चर्चा:-

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए।"

श्री निशिकांत दुबे जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमने चर्चा कश्मीर के विस्थापितों के लिए स्टार्ट की। यहां तीन तरह के विस्थापन की मैं चर्चा करना चाहूंगा और मैं सारे लोगों से, पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह करूंगा कि हो सकता है कि मेरी कुछ बात बुरी लगे तो आप चर्चा के क्रम में उसका जवाब दे दें। फैक्ट्स को मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं। तीन तरह के जो विस्थापन हैं, उनमें एक विस्थापन वह है, जो कि हमारे नागरिक हैं, हमारे लोग हैं और पिछले 40, 50, 60 साल से वे अपने ही देश में परेशान हैं। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा, जहां ऐसा उदाहरण होगा। दूसरा विस्थापन वह है, जो कि 1946, 1947 में हमारे यहां आ तो गये, लेकिन आज तक उनको कोई नागरिकता नहीं दी गई। तीसरा विस्थापन वह है, जो एरिया हम कहते तो हैं कि हमारा है, लेकिन उस एरिया में क्या हो रहा है, उन लोगों की क्या दशा है, उन लोगों की क्या दुर्दशा है, उसके बारे में हम कभी खोज-खबर नहीं रखते हैं या हमारी नीतियों के कारण वे परेशान हैं और उसके अलावा हम उनको बुलाने का काम करते हैं।

इसकी प्रेरणा मुझे कल मिली, जब बंगलादेश का लैंड बाउंड्री एक्ट पास हो रहा था और पूरी पार्लियामेंट जब एक साथ थी तो मुझे लगा कि इसके बारे में बातचीत करने के लिए यह एक बड़ा अच्छा मौका है और कम

से कम कश्मीर के बारे में बात करने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन टू नेशनल थ्यौरी के आधार पर हुआ तो उसमें से 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इन्दिरा गांधी जी का ही सबसे बड़ा प्रयास था, पूरा देश उनको इसके लिए याद भी करता है। जो सिचुएशन डैवलप हुई, उसमें ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और वैस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म के आधार पर कोई देश नहीं चल सकता और दूसरा सवाल यह है कि आइडियोलोजी के तौर पर यदि आप आजाद देश भी बना लेते हैं तो जिस तरह से दुनिया में बर्लिन की दीवार टूट गई, जैसे ईस्ट जर्मनी और वैस्ट जर्मनी मिल गये, यह कहा जा सकता है कि आज भी ऐसा हो सकता है कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश से लेकर अफगानिस्तान तक फिर से पूरा हिन्दुस्तान एक हो जाये। इसके लिए भविष्य में जो सम्भावनाएं हैं, उनको कोई नहीं देख सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें वह एरिया है, जिसे आज 'आज़ाद कश्मीर' कहते हैं। 'आज़ाद कश्मीर' का जो पॉपुलेशन है, वह लगभग 20 लाख के आस-पास है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मै विरोध करता हूं। हम 'आजाद कश्मीर' नहीं कह सकते हैं। इसे 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' कहना चाहिए। ... (*व्यवधान*) इस संसद में 'आजाद कश्मीर' मत कहिए

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : मैंने यह कहा कि जिसे आज आज़ाद कहते हैं, उसे पाकिस्तान वाले 'आज़ाद कश्मीर' कहते हैं। ... (व्यवधान) हम 'पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.जे.के.)' कहते हैं। ... (व्यवधान) 'पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर' - इसे इस ढंग से लिया जाए। ... (व्यवधान) मैं सुधार लेता हूं। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : बी.जे.पी. के 'ऑर्गेनाइज़र' पेपर में ही उसका नक्शा बदला है। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: 'पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.जे.के.)' तो ठीक शब्द है। ... (व्यवधान)

सर, वहां का सिचुएशन यह है कि वहां की लेजिस्लेटिव असेम्बली ने वर्ष 1974 में जो एक्ट पास किया है, उसके आधार पर वह हिन्दुस्तान का अंग होते हुए भी आज की तारीख में वह पूरा-का-पूरा पाकिस्तानी दबाव में है या उनके प्रशासन में है और वहां हम बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं।

दूसरा भाग, जिसे 'नॉर्दर्न टेरीटरी' कहते हैं। मैं इतिहास से बताऊंगा कि आज तक भारत ने कभी भी कोई एग्रेसिव प्रयास नहीं किया कि वह 'नॉर्दर्न टेरीटरी' जम्मू-कश्मीर का पार्ट हो। तीसरा जो पार्ट है, वह पाकिस्तान में गिलगित और बालतिस्तान का एरिया है, उसमें से लगभग 37,550 वर्ग किलो मीटर यानी 5,180 वर्ग मील की जगह उन्होंने दे दी है। कुछ ऐसे ज़गह हैं, जिस पर न उनका अधिकार है और न ही हमारा अधिकार है। आज जो भारत के साथ है, जो भारत का भाग है, जिसे हम 'जम्मू-कश्मीर' कहते हैं, वह लगभग 2,22,336 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आपको अच्छी स्थिति में नहीं देखता है और उसे लगता है कि इस देश में जो कानून बना हुआ है, उसके अन्तर्गत हम विस्थापितों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक पेटीशन आया और वह पेटीशन श्री बच्चन लाल कल्गोत्रा ने दिया। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा-

[अनुवाद]

> "हम उपमहाद्वीप में हमारा भाग्य सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, जबकि भारत के सदियों पुराने स्वतंत्रता संग्राम ने एक नए स्वतंत्र भारत का रूप लिया और उसके बाद इतिहास के सबसे बर्बर सांप्रदायिक नरसंहार ने हमें उस नरक में पहुंचा दिया, जिसे हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं। हम सभी हिंदू हैं और विभाजन से पहले पंजाब के पश्चिमी भाग में रह रहे थे। हमें वर्ष 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान के उग्र सांप्रदायिक लोगों से अपनी जान, सम्मान और आस्था बचाने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में पलायन करना पड़ा था। "

[हिन्दी]

यह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटीशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उस जजमेंट की तारीख है 20 फरवरी, 1987। उसमें उन्होंने कहा-

[अनुवाद]

"इन परिस्थितियों में, जम्मू और कश्मीर राज्य में विशिष्ट संवैधानिक स्थिति को देखते हुए, हम नहीं समझते कि हम याचिकाकर्ता और उसके जैसे अन्य लोगों को क्या संभव राहत प्रदान कर सकते हैं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि याचिकाकर्ता और उनके जैसे अन्य लोगों की स्थिति असंगत है, और यह जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानमंडल पर निर्भर करता है कि वह जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे कानून में संशोधन करने के लिए कार्रवाई करे। "

[हिन्दी]

यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रिफ्यूजी के मामले में यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।

महोदय, जैसा मैंने आपको बताया कि कल जो हाउस में घटित हुआ, मुझे उससे प्रेरणा मिली। 22 फरवरी, 1994 को पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने एक रिजॉल्यूशन पास किया। यह यूनैनिमस रिजॉल्यूशन है। इसे सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर पास किया।

इसमें कहा गया है :

[अनुवाद]
"यह सभा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित शिविरों में आतंकवादियों को हथियार और धन की आपूर्ति, जम्मू-कश्मीर में विदेशी भाड़े के सैनिकों सहित प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता करने में पाकिस्तान की भूमिका पर गहरी चिंता व्यक्त करती है, जिसका घोषित उद्देश्य अव्यवस्था, असामंजस्य और विध्वंस पैदा करना है:...

भारत के लोगों की ओर से,

दृढ़तापूर्वक घोषित किया जाता है कि-

1 जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा तथा इसे देश के बाकी हिस्सों से अलग करने के किसी भी प्रयास का सभी आवश्यक साधनों से विरोध किया जाएगा;
2 भारत में अपनी एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी षड्यंत्रों का दृढ़ता से मुकाबला करने की इच्छाशक्ति और क्षमता है; और मांग करता है कि;
3 पाकिस्तान को भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के उन क्षेत्रों को खाली करना होगा, जिन पर उसने आक्रमण द्वारा कब्जा कर लिया है; और संकल्प लेता है कि;
4 भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के सभी प्रयासों का दृढ़ता से सामना किया जाएगा।"

[हिन्दी] यह रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। रेजोल्यूशन एडॉप्ट हो जाता है, हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज तक उन विस्थापितों का, तीनों तरह के विस्थापितों के बारे में हमने कोई काम नहीं किया। मैंने पिछली बार भी अपना भाषण देते हुए कहा कि यूपीए की सरकार ने वर्ष 2008 में 1,618 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन आज तक वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस कारण से मैं इस पूरे केस की तह तक जाना चाहता हूँ कि फाइनली कश्मीर प्रॉब्लम क्या है? विस्थापितों को हम ले जाने की बात करते हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है, क्रक्स ऑफ दी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 1990 के बाद से बेहताशा लोग भागे। आज आप देखिए कि कोई भी उठकर कह देता है कि पाकिस्तान जिन्दाबाद, कोई कहता है कि कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी नहीं बनने देंगे, कोई कहता है कि भारत विरोधी गतिविधि में लिप्त है। वर्षों-वर्षों से ऐसा हो रहा है, यह आज की कोई नई घटना नहीं है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और हमें लगता है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार ही सब कुछ करेगी तो पार्लियामेंट क्या करने वाली है? यह पार्लियामेंट और सारे राजनीतिक दलों से मेरा सवाल है।

कई प्रकार की चर्चा हो रही है कि हम कोई कॉलोनी कश्मीरी पंडितों की नहीं बनने देंगे। वे कहते हैं कि जैसे पहले रह रहे थे, आप वैसे ही रहिए, आपका उस तरह से स्वागत है। क्या सुरक्षा की कोई गारन्टी दे रहा है? मैं बताऊँगा कि किस तरह से बिना सुरक्षा की गारन्टी के लोग मारे जा रहे हैं या मरने को विवश हुए हैं या लोग भाग गए हैं। जो कश्मीरी पंडित हैं, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर के रिफ्यूजी हैं और पार्टिशन के बाद उनका जो दर्द है, वह उनके कैम्प्स में आपको बार-बार दिखाई देगा। यदि आप जम्मू के कैम्प्स में जाएंगे, दिल्ली के कैम्प्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरह की भी सिचुएशन भी किसी कंट्री में हो सकती है। हम सब स्वास्थ्य की खूब बात करते हैं, विकास की खूब बात करते हैं, लेकिन जो लोग विस्थापित हैं, जिनकी दुगरति हो रही है, जो माइग्रेटिड हैं, विस्थापित हैं, उनके बारे में हम कभी भी खुलकर चर्चा करने का प्रयास नहीं करते हैं।

कश्मीर का एक बड़ा इतिहास रहा है। कश्मीर में जितने भी लोग इस कंट्री में पॉवरफुल हुए, उन्होंने कश्मीर को या तो कब्जा करने का प्रयास किया या वहां के लोगों को परेशान करने का प्रयास किया या वहां के

जो ट्रेजर हैं, जो टूरिज्म है या जो वहां की आबोहवा है या जो वहां चीजें हैं, यदि आप देखेंगे तो कल्हण की राजतरंगिणी से नजर आता है कि 2449 बी.सी. में वहां जरासन्ध का राज हुआ करता था। इसका मतलब जो महाभारतकालीन चीजें वहां होती थीं, 2449 बी.सी.में उनका भी वहां ... (व्यवधान)

श्री **भर्तृहरि महताब:** जरासंध मगध का नरेश था।

श्री निशिकान्त दुबे: सॉरी, महाभारत की बात कर रहे हैं, मगध का नरेश था। मगध के नरेश के बाद 273 से लेकर 232 बी.सी. तक अशोक डायनेस्टी वहां रही। ... (व्यवधान) वह मगध के राजा की बात कर रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि हम मैथलॉजी में न जाकर जो आम चीजें हो रही हैं, उसके बारे में कहें। 273 से 232 बी.सी. तक अशोक का राज रहा। उसके बाद कुषाण आया। यदि मैं गलती कर दूं तो महताब भाई आप मुझे बताते रहेंगे। इसके बाद 631 से लेकर 855 तक तक्षशिला का जो निर्माण हुआ, उसमें कश्मीर ने बड़ा रोल प्ले किया। मैं इस चीज को बड़ा करीब से जानता हूं, क्योंकि मेरा गांव विक्रमशिला है। उस समय तीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे - नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मुझे गर्व है कि मैं विक्रमशिला में पैदा हुआ हूं। आज भी विक्रमशिला मेरा गांव है। एक जमाने में विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय दोनों विश्वविद्यालयों से बड़ा विश्वविद्यालय था। आज जिस नालंदा विश्वविद्यालय की बात माननीय कौशलेन्द्र जी और उनके मुख्यमंत्री करते हैं, एक जमाना ऐसा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्राल करती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक इकाई के तौर पर वह काम करता था। अधीर जी आपके लिए सौभाग्य की बात है कि बंगाल के पाल वंश के राजा ने उसकी स्थापना की थी। इसके बाद वर्ष 855-939 तक का समय ऐसा रहा कि अवन्तीपुरा की स्थापना हुयी। इस देश को बनाने में, कश्मीर में जितने भी राजा, महाराजा, हिन्दू या जो भी गये, उन्होंने इसको बनाने का काम किया और वर्ष 855 से लेकर वर्ष 939 तक वह अवन्तीपुरा बना, जिसके अवशेष आज भी कश्मीर में दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वर्ष 1389 के बाद आया। जब सिकन्दर वर्ष 1389 के पहले वहां के राजा हुए, वहां कोई मुस्लिम शासन नहीं कर रहे थे। वहां सारे के सारे हिन्दू थे। थोड़े दिन पहले तक बुद्धिस्ट व्हीन चेंग वहां राज कर रहा था। यह सारी घटना वर्ष 1389 के बाद घटित होनी शुरू हुयी। सिकन्दर

ने सबसे पहले कश्मीर में विस्थापन स्टार्ट किया। ... (व्यवधान) यह यूनान का सिकंदर नहीं है। ... (व्यवधान) वह अफगान का सिकंदर था। ... (व्यवधान) सिकन्दर ने सबसे पहले कश्मीर के हिन्दुओं को भगाने का काम किया। इसलिए विस्थापन का इतिहास वर्ष 1947, वर्ष 1989 या वर्ष 1990 नहीं है। यह इतिहास वर्ष 1389 से शुरू होता है। अशोका, कुषाण, हूण, अफगान, मुगल या ब्रिटिश हों, जितने राजा वहां हुए, जो भी लोग हुए, उन सबों ने कश्मीर पर राज करने का काम किया और लोगों को परेशान करने का काम किया। ... (व्यवधान) खड़गे साहब थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं उन चीजों के बारे में इसलिए जानता हूं। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं जानना चाहता हूं कि अशोक ने वहां पर कैसे तबाह किया है।

श्री निशिकान्त दुबे : अशोक ने तबाह नहीं किया। सबसे पहला जो तबाही स्टार्ट हुआ। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी आपने कहा कि वहां कौन-कौन से राजा हुए, इसको बनाने में उनकी जो मदद हो गयी, उनमें आपने अशोका का भी नाम लिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

श्री निशिकान्त दुबे: नहीं, मैंने कहा कि वहां पर किन-किन लोगों ने राज किया। मैं साल में तीन-चार बार कश्मीर जरूर जाता हूं। मैं पहले प्राइवेट क्षेत्र में काम करता था। एक मात्र बी.पी.ओ. श्रीनगर में चलता है, वह मेरे द्वारा चालू किया गया है जिसमें आज भी डेढ़ हजार लोग नौकरी करते हैं। इसीलिए कश्मीर के साथ मेरा बड़ा इमोशनल अटैचमेन्ट है। यह मेरा सिर्फ भाषण नहीं है। मैं वहां साल में करीब चार बार जाता हूं। वहां के लोगों को जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, शायद बहुत कम लोग उनके बारे में जानते होंगे।

मार्तण्ड एक जगह है, जहां 'सन टेम्पल' है और वह ऐसी जगह है, जहां यदि आप तालाब में देखेंगे तो केवल मछली नजर आयेगी। वहां मुसलमान हो या हिन्दू हो, आज भी उन मछलियों को कोई नहीं खाता है। आपको घरों में मछलियां नालियों के माध्यम से जाती हुई नजर आयेंगी। सिकंदर ने उसको तोड़ने का प्रयास किया। अवन्तीपुरा में विश्वविद्यालय था, जहां शिक्षा दी जाती थी। वह पूरा का पूरा अवन्तीपुरा है, यदि आज आप वहां जायेंगे, यह जगह अनंतनाग कहलाता है, वहां हम सेन्द्रल यूनिवर्सिटी दिए हुए हैं, उस पूरे इलाके को देखेंगे तो पता चलेगा कि सिकंदर ने उसको तोड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद लालीत्य देव एक ऐसा राजा थे, जिन्होंने यह कहा कि हम पूरे कश्मीर के बाउन्ड्री को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कहीं न कहीं

हमको परेशानी हो जाये और इसके माध्यम से हमारे विरोधी और दुश्मन यहां आ सकते हैं। सिकन्दर ने लालीत्य देव के टेम्पल को डेमोलिश कर दिया। इसके बाद जब मुगल आए, आप मुगल गार्डन देखिए, निशात गार्डन देखिए, मुगलों ने विरोध के लिए सबसे भारी गलती की। मुगल केवल वहां एसगाह बनाकर जाते थे, रहते थे या उन्होंने अपना महल बना रखा था। अफगान लार्ड को भारत की सभ्यता, संस्कृति के साथ मतलब नहीं था।

मैं एक किताब लेकर आया हूं [अनुवाद] -- कश्मीर - घाटी के पीछे, [हिन्दी] एम.जे. अकबर की लिखी हुई किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि शेख अब्दुल्ला के दादा जी हिन्दू थे। इस किताब को आज तक न उनकी फैमिली और न ही किसी और व्यक्ति ने चैलेंज किया। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में रहने वाले आज जितने लोग हैं, वे कहीं न कहीं इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। वे इन्हीं सब कारणों से कन्वर्ट हुए। ... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: इतिहास कहता है कि भारत भूखंड में कश्मीर ही एक जगह है जहां दो बार कन्वर्शन हुआ है। दो बार कन्वर्शन इस्लाम में हुआ है। पहली बार जैसे आपने कहा कि सैवन्थ सैंचुरी में कन्वर्शन हुआ था, फिर दुबारा वे हिन्दू धर्म में लौटे थे। दूसरी बार 13वीं और 14वीं सैंचुरी में कन्वर्शन हुआ। भारत में कहीं दूसरी जगह इस तरह नहीं हुआ।

श्री निशिकान्त दुबे: उपाध्यक्ष महोदय, आज की मॉडर्न हिस्ट्री ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर से शुरू होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च 9, 1846 ईस्वी और ट्रीटी ऑफ अमृतसर मार्च 16, 1846 ईस्वी को हुआ। ट्रीटी ऑफ लाहौर कहता है --

[अनुवाद]

> "अंग्रेजी सरकार ने अनुच्छेद 3 में वर्णित क्षेत्र के हस्तांतरण के अतिरिक्त, युद्ध के खर्च के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लाहौर राज्य से मांग की थी।...."

[हिन्दी] उसी के बाद 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ जिसमें उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने गिलगित बालटिस्तान को अपना कर्ज उतारने के लिए सौंप दिया। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, उसमें से गिलगित पाकिस्तान चला गया। जो गिलगित बालटिस्तान उन्होंने ब्रिटिश को दे दिया, उसके इतिहास का कारण यह है कि गिलगित बालटिस्तान का एरिया हमें साउथ, सैंट्रल और ईस्ट एशिया से जोड़ता है। यूरोप और एशिया का मिलन स्थल वही है। यही कारण है कि पाकिस्तान, भारत, चाइना और अफगानिस्तान जिस बार्डर

पर आते हैं, वह गिलगित और बालटिस्तान का एरिया है। गिलगित और बालटिस्तान में जितने माइन्स और मिनरल्स हैं, शायद बहुत कम जगह होंगे। यही कारण है कि वह बोन ऑफ कंटैंशन है। चाइना या और देश हों जो इस देश को कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश करते हैं, वह इसके ऊपर निर्भर है। उसका एरिया 72,946 स्कवायर किलोमीटर है। इसमें भारत सरकार की नीति रही है कि जब सैंट्रल एशिया रूस से परेशान हो गया और ब्रिटिश गवर्नमैंट को लग रहा था कि रूस भारत में घुसने का प्रयास करेगा तो 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने जॉन विडुलप को एक एडमिनिस्ट्रेटर को तौर पर वहां ऐप्वाइंट किया। उसने प्रयास किया कि हम किस तरह रूस को रोकें। गिलगित एजैंसी के नाम से मार्च 26, 1935 को महाराजा हरि सिंह ने एक एग्रीमैंट साइन किया। वह एग्रीमैंट बड़ा खूबसूरत है। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से देश या राज्य बेचने का काम हो रहा था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना किसी से पूछे लीज़ एग्रीमैंट हो गया। लीज़ एग्रीमैंट कहता है --

[अनुवाद]

> "भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल इस समझौते की पुष्टि के बाद किसी भी समय जम्मू और कश्मीर के गिलगित प्रांत के वजारत के उस बड़े हिस्से का नागरिक और सैन्य प्रशासन संभाल सकते हैं जो सिंधु नदी के दाहिने किनारे से आगे स्थित है, लेकिन इस समझौते में किसी भी बात के बावजूद उक्त क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के महामहिम महाराजा के क्षेत्राधिकार में शामिल होगा।"

[हिन्दी] लेकिन यह पूरा राइट ब्रिटिश लीज़ के तौर पर करेंगे क्योंकि गिलगित बालटिस्तान पर अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि वह हमारा पार्ट है या नहीं। जब 1949 में सीज़फायर एनाउंस हुआ, उससे पहले मैं बताऊं कि 4-5 ऐसे एग्रीमैंट हैं जो कश्मीर प्रॉब्लम के लिए एक बड़ा सवाल हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह का कितना अधिकार था, महाराजा गुलाब सिंह का कितना अधिकार है। मैं इस सदन में केवल दो उदाहरण देना चाहूंगा। हिस्ट्री ऑफ युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका में अमरीका का अलास्का प्रांत उसने रूस से खरीदा। आज अमरीका का जो टैक्सास प्रांत है, वह स्पेन से खरीदा गया। इसलिए यह थ्योरी है कि खरीदी हुई जमीन पर क्या बात हो सकती है, उनका क्या

अधिकार था, लोगों को क्या बातें दी गईं। हम यूएन में गए, उससे यह दो उदाहरण समझने के लिए काफी हैं कि अमरीका ने अलास्का प्रांत रूस से खरीद लिया और स्पेन से टैक्सास प्रांत खरीद लिया। लेकिन उस पर कोई

चर्चा नहीं होती और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के लिए चर्चा होती है। उस चर्चा के पीछे ब्रिटिश जिम्मेदार हैं। ... (व्यवधान) इसमें एक-दूसरे को भड़काने के लिए जो सिचुएशन पैदा होती है, उसमें वहां के आम हिन्दू परेशान होते हैं। कर्जन की थ्योरी - बांटो, राज करो या टू नेशन थ्योरी आदि किस तरह इम्प्लीमैंट हुई। जब महाराजा हरि सिंह का बहुत ज्यादा राज था तो वहां मुस्लिम कौन्फ्रैंस का उदय हुआ। वहां मुस्लिम कौन्फ्रैंस एक पार्टी बनी। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: गैर सरकारी सदस्य के कार्य का यह भाग अपराह्न 4.30 बजे समाप्त हो जाएगा। इसलिए, आपको संक्षिप्त में कहने का प्रयास करना चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: मुस्लिम कौन्फ्रैंस का शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मार्च 26, 1938 का भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। हम सतही डिसकशन कर लेते हैं उसकी तह पर नहीं जाते। उन्होंने कहा --

[अनुवाद]

> "आज मैं दोहराता हूं, जैसा कि मैंने अक्सर कई बार कहा है, कि सबसे पहले हमें अपनी राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा करते समय मुस्लिम और गैर-मुस्लिम के संदर्भ में सोचना बंद करके सांप्रदायिकता को समाप्त करना होगा।"

[हिन्दी] इस कारण मुस्लिम कौन्फ्रैंस से अलग होकर नेशनल कौन्फ्रैंस बना। मैं बता रहा हूं कि इस देश में क्या-क्या हुआ। आपको पता है कि कश्मीर हमारे लिए कितना इमोशनल विषय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डैथ कश्मीर में हुई। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. जोशी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की और श्रीनगर पर झंडा फहराने का प्रयास किया। ... (व्यवधान) इन दोनों के बीच जब लड़ाई हुई और मुस्लिम

कौन्फ्रेंस और नेशनल कौन्फ्रेंस बना तो उसमें जिन्ना ने सैपरेट होमलैंड और मुस्लिम लैंड की वकालत की। लीगल डौक्यूमैंट मार्च 22, 1940 का है। हिन्दुओं को बाहर करने के लिए किस तरह की पॉलिसी धीरे-धीरे इम्प्लीमैंट हुई, यह 22 मार्च, 1940 का डौक्यूमैंट है। इस डॉक्यूमेंट में जिन्ना साहब कहते हैं कि "...[अनुवाद] "स्वायत्त राष्ट्रीय राज्य" ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये दोनों राज्य को एक-दूसरे के खिलाफ रहें। इसलिए हमें दो देशों की आवश्यकता है।" [हिन्दी] 22 मार्च, 1940 का मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भाषण है। [अनुवाद] इसके आगे उन्होंने कहा [अनुवाद] "भारत के मुसलमान किसी भी संविधान को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से हिंदू बहुमत वाली सरकार बने। अल्पसंख्यकों पर थोपी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने का अर्थ केवल हिंदू *राज* हो सकता है।" [हिन्दी] यह उनका माइंडसेट था और उसी से इस राज्य की नींव पड़ी। वर्ष 1944 को उन्होंने एक बड़ा जोरदार भाषण दिया जिससे पता चलता है कि उस समय किस तरह से इस्लामाइजेशन हो रहा था। उन्होंने कहा कि [अनुवाद] मैंने सावधानीपूर्वक सोच-विचार के बाद सुझाव दिया कि *मुसलमानों* को एक झंडे के नीचे और एक मंच पर संगठित होना चाहिए, न केवल मेरी सलाह शेख अब्दुल्ला को स्वीकार्य नहीं थी, चूंकि उनकी आदत है [हिन्दी] बाद में यह सही साबित हुआ, जिन्ना साहब अब्दुल्ला साहब के बारे में जो बात कह रहे थे वह सही साबित हुआ। जिस तरह के अकॉर्ड हुए हैं, मैं सारे अकॉर्ड पर भी आऊंगा। यह बात साबित हो गई कि वर्ष 1944 में जिन्ना साहब ने कश्मीर के बारे में जो कहा था आज ठीक उसी तरह का सिचूऐशन डेवलप हुआ है। जब पार्टिशन होने लगा तो उसमें पार्टियों का क्या रुख था? वहां एक बड़ी पार्टी किसान मजदूर कांफ्रेंस थी। उसने 5 सितम्बर, 1947 को एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया [अनुवाद] "कश्मीर में अधिकांश आबादी मुस्लिम है। यह राज्य पाकिस्तान के क्षेत्रों से सटा हुआ है। राज्य के तीनों बड़े राजमार्ग और सभी नदियां यहां से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं। इन कारणों से कार्यसमिति का मत है कि राज्य को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए।" [हिन्दी] यदि सही में ऐसा था तो बंटवारे के समय बांग्लादेश एक अलग देश कैसे हो गया? उसकी पाकिस्तान के साथ कोई सीमा भी नहीं जुड़ती है। एक कश्मीर सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसने 18 सितम्बर, 1947 को अपना रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया कि हम लोगों को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए या मुस्लिम राज्य

बना देना चाहिए। महाराजा ने एक लेटर भेजा, यह कश्मीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने 26 अक्तूबर, 1946 को माऊंटबेटन को चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा [अनुवाद] “मैं यह निर्णय लेने के लिए समय लेना चाहता था कि मुझे किस अधिराज्य में सम्मिलित होना चाहिए, अथवा क्या यह दोनों अधिराज्यों और मेरे राज्य के सर्वोत्तम हित में नहीं है कि मैं स्वतंत्र रहूं, और हां, दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध रखूं। तदनुसार मैंने अपने राज्य के साथ स्थिरता समझौता करने के लिए भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों से संपर्क किया। पाकिस्तान सरकार ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। भारतीय अधिराज्य ने मेरी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आगे चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की। मैं इस तरह व्यवस्था नहीं कर सका . .” [हिन्दी] इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने मान लिया, लेकिन भारत ने नहीं माना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो उन्होंने कहा वह बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पाकिस्तान से स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे, वह एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन अब कश्मीर की क्या सिचूऐशन है? कश्मीर का सिचूऐशन यह है कि [अनुवाद] "मेरे राज्य में इस समय जो स्थितियां बन रही हैं, यह बहुत बड़ी आपात स्थिति है, उसे देखते हुए, मेरे पास भारतीय अधिराज्य से सहायता मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। … मैं आपकी महामहिम सरकार को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि मेरा इरादा तुरंत एक अंतरिम सरकार स्थापित करने का है और शेख अब्दुल्ला से मेरे प्रधान मंत्री के साथ इस आपातकाल में जिम्मेदारियां निभाने के लिए कहें।" [हिन्दी] पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, यह महाराजा का लीगल डॉक्यूमेंट कहता है। भारत ने कभी भी उसको ब्लैंकेट परमिशन नहीं दी थी। इसके बाद इतिहास गवाह है कि हम लोग यूएन में चले गए। यू.एन. में जाने के बाद एक रेजोल्यूशन नये कश्मीर का आया। अब नया कश्मीर क्या कह रहा है, नये कश्मीर का रेजोल्यूशन क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि वहां किस तरह से इस्लाम डेवलप हुआ और किस तरह से हिन्दू भाग रहे हैं। नया कश्मीर कह रहा है कि--

[अनुवाद]

> "हम जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और सीमांत क्षेत्रों, जिनमें पुंछ और चेनानी इलाके भी शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में जाना जाता है, के लोग, अपने संघ को पूर्ण समानता और आत्मनिर्णय में परिपूर्ण करने के लिए अपने राज्य के निम्नलिखित संविधान का प्रस्ताव और प्रतिपादन करते हैं, जिससे हम स्वयं तथा अपने बच्चों को उत्पीड़न और गरीबी, अपमान और अंधविश्वास के गर्त से हमेशा के लिए ऊपर उठा सकें।"

यह केवल जम्मू और कश्मीर का संविधान है। [हिन्दी] उसका भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। किस तरह से उन्होंने अपने स्टैंड को चेंज किया। मैंने आपको बताया कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी लिखने के बाद शेख अब्दुल्ला साहब ने भी 26 सितम्बर, 1947 को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि आप हमारी मदद के लिए आइये। जब भारत सरकार वहां पहुंची, तो कांग्रेस की गलतियों के कारण, क्योंकि मैं इसमें नेहरू-लियाकत पैक्ट की भी बात करूंगा। यूनाइटेड नैशंस में 13 अगस्त, 1948 को एक रेजोल्यूशन हुआ। धारा 370 के बारे में बात होती है कि किस तरह से भारत सरकार उस पर लागू नहीं हो सकती। यू.एन. का जो 13 अगस्त, 1948 का रेजोलूशन है, वह यह कह रहा है कि उसने सीज फायर का आर्डर किया कि दोनों पार्टीज सीज फायर करे। दूसरा उसने कहा कि --

[अनुवाद]

> "जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों की उपस्थिति स्थिति में भौतिक परिवर्तन लाती है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व पाकिस्तान सरकार द्वारा किया गया था . ."

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। निशिकांत जी हमें पूरी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हम उसे सुनेंगे, लेकिन हिस्ट्री में जो भी गलतियां हैं, उन्हें महताब साहब निकाल रहे हैं। वह ठीक हो रहा है और दुरुस्त भी हो रहा है, लेकिन आपका रेजोलूशन यह है --

[अनुवाद]

> "यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह कश्मीर से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कार्रवाई करे, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं।"

[हिन्दी]

असल में आपका यह रेजोलूशन है। अगर आप हमें यह अवगत करा दें कि आपकी सरकार क्या स्टेप ले रही है, क्या मदद करने वाले हैं, किस ढंग से उनको मकान दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे है, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं? आप इस बारे में हमें बताइये। अगर आप अकबर, बीरबल से लेकर पूरी कहानी बताते गये, तो उसे हम कब तक सुनेंगे? आपकी इंटैंशन डिसप्लेस्ड पर्सन्स को मदद करने की है, लेकिन आपको पूरी कहानी बताते हुए 40

मिनट हो गये हैं। मैं आपकी तकरीर के बाद बाहर जाने के लिए सोच रहा था। (व्यवधान) मैं आपकी तकरीर सुन रहा हूं। ... (व्यवधान) हम सोच रहे थे कि 40 मिनट में आपकी बात खत्म हो रही है, तो हम दो मिनट बाहर जाकर फिर अंदर आयेंगे। लेकिन 40 मिनट तक आपकी हिस्ट्री ही चल रही है, रिहैबिलिटेशन नहीं चला। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : अभी हम वर्ष 1949 तक आये हैं। ... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : आजादी के बाद क्या हुआ, उस पर आप बोलिये। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप रिहैबिलिटेशन की बात कीजिए, झगड़े की बात मत कीजिए। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: मैं इसी पर आ रहा हूं। मेरा यह कहना है कि इतिहास में कहां-कहां भूल हुई। खड़गे साहब ने बड़ा अच्छा कहा और याद दिला दिया कि कश्मीर की प्रॉब्लम क्यों डेवलप हुई? मेरे पास पूरा लैटर है, जो 22 दिसम्बर, 1947 को लियाकत खान और नेहरू के बीच डिसकशन हुआ। इस डिसकशन का कोई मतलब नहीं निकला। माउंटबेटन ने अपनी किताब में लिखा है। कई लोग कहते हैं कि जब अनुच्छेद 370 आ रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया और अनुच्छेद 370 हो गया। इसके पीछे तथ्य यह है कि लियाकत अली खान और नेहरु जी के बीच जो डिसकशन चल रहा था, उसका लैवल इतना घटिया और नीचा था कि कभी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं लगा कि लियाकत अली खान और नेहरु जी एक टेबल पर बैठकर नेगोशिएशन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। 1950 में एग्रीमेंट साइन हुआ और उसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मंत्रिमंडल से निकलना पसंद किया। उनको लगा कि कश्मीर के लिए अलग लाइन लेनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ हुआ, इतिहास उसका गवाह है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, यदि आप नहीं चाहते तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। जब इस तरह की बातें हुई, नेहरु जी और लियाकत अली खान में से कोई बात करने को तैयार नहीं थे तो कहां गलती हुई। लियाकत अली खान और नेहरु जी का एग्रीमेंट 8 अप्रैल, 1950 को हुआ। यह एग्रीमेंट कहता है - [अनुवाद] " “धर्म से परे नागरिकता की पूर्ण समानता, जीवन, संस्कृति, संपत्ति और व्यक्तिगत सम्मान के संबंध में सुरक्षा की पूर्ण भावना, प्रत्येक देश के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता और कानून और नैतिकता के अधीन व्यवसाय, भाषण और पूजा की स्वतंत्रता”। [हिन्दी] यह एग्रीमेंट

साइन हुआ। अब इस तरह की बात चल रही है कि हम कश्मीर में आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं, हिंदुओं को नहीं ले जाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में आपका क्या रुख है?

[अनुवाद] फरवरी, 1950 में नेहरु जी इससे भी आगे बढ़े, उन्होंने कहा- [हिन्दी] "भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती हैं कि वे अपने बीच किसी भी मौजूदा या भविष्य में होने वाले विवाद को निपटाने के लिए युद्ध का सहारा नहीं लेंगी।" [हिन्दी] जब दोनों ने डिक्लेरेशन किया तो बार-बार पाकिस्तान से बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जब लियाकत अली खान और देश के प्रधानमंत्री से बातचीत हो गई तो आपने क्यों दोबारा बात करने का प्रयास किया? यह डिक्लेरेशन है। इसके बाद 1959 में ज्वाइंट डिफेंस की बात आई, अयूब खान ने कहा [अनुवाद] - "यह पाकिस्तान और भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है चूंकि स्वतंत्र संप्रभु राज्य बिना किसी विवाद के मैत्रीपूर्ण वातावरण में सहयोग करेंगे।" [हिन्दी] मेरा कहना है कि जो डिस्पयूट नहीं है, आप उसे उठाकर क्यों लाते हैं? आप समझौता कर सकते थे, आप पाकिस्तान को परेशान कर सकते थे, जहां की चीजें अपने हक में वापस ला सकते थे। आपने पीओजेके एरिया, पाकिस्तान के एरिया के लिए क्या किया? आपने 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन में कई चीजों को फोरफीट कर दिया। इसमें आपने कहा - [अनुवाद] “एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना” [हिन्दी] इसमें आपने हाजी पीर बल कश्मीर को कन्सीड कर दिया। जहां हम 1965 की वार जीते थे, 1966 की वार जीते थे, यहां की चीजें हमारे साथ आ सकती थी। यह इतिहास है। आपने मिलिटेंट्स को, जमात इस्लामी टाइप आर्मी को, गिलानी टाइप आदमी को, मौलवी फारुख जैसे आदमी को इस तरह से कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फारुख अब्दुला की सरकार, जिसके साथ आप वर्षों तक सरकार चलाते रहे हैं, ने 1989-90 की पालिसी इस तरह की कि 70 ड्रेडिट ट्रायल टेररिस्ट को छोड़ दिया। 500 ऐसे गांव थे, जिसका नामकरण हुआ, हिंदू गांवों का नाम चेंज हुआ। यह इतिहास कहता है।

यही कारण है कि 1990 के बाद वहां हिंदुओं का माइग्रेशन शुरु हुआ। इसके बाद 1972 का एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट की बहुत बात हुई। शिमला एग्रीमेंट के कारण पूरी सिचुएशन 1975 में खत्म हुई। उपाध्यक्ष जी, मैं शिमला एग्रीमेंट के समय की बात कर रहा हूं। आप उरी सैक्टर जब पहुंचे, उरी के बाद कौन सी ऐसी

स्थिति थी कि आपने सीज फायर कर दिया? उरी के पास नहीं जाने के लिए आपको किन फोर्सेज ने रोका? इसका जवाब मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार ने शिमला एग्रीमेंट के पहले उरी सैक्टर के बाहर जाने का फैसला क्यों नहीं किया? इसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री एटली साहब थे, उस वक्त के प्रधान मंत्री जी की उनके साथ क्या बातचीत हुई? क्या ऐसी चीजें थीं जो यू.एन. में जम्मू-कश्मीर के मामले को ले जाने के लिए आप तैयार हो गये? इसके बाद मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो स्थिति पैदा हुई, जिन्ना के बाद ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: उपाध्यक्ष महोदय, निशिकान्त जी इस देश की सबसे दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं, सबसे ज्यादा दुखती रग पर। [हिन्दी] आप 1971 तक आ चुके हैं, आप आगे बढ़िए और पीछे मत जाइए। ... (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): देखिए, हमारे यहां वक्ता एक से एक बढ़कर हैं। इसलिए चुनौती मत दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : इसमें जो 1975 था, महताब भाई, आपको पता होगा कि शेख अबदुल्ला साहब के साथ जो दो एकार्ड हुए तो दो एकार्ड की मैं बात कर रहा हूं कि क्या ऐसी स्थिति थी जबकि आपको शेख अबदुल्ला साहब के साथ दो दो एकार्ड साइन करने पड़े ? इसका जवाब आप दीजिएगा कि क्या ऐसी स्थिति थी? ... (व्यवधान) तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी साहब को अप्रैल 1921 में माननीय जगमोहन जी ने चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है और इस देश को उसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि आप वही सुनना चाहते हैं तो मैं उसी पर आता हूं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा:

[अनुवाद]

> "क्या मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि वर्ष 1988 की शुरुआत से ही मैंने आपको कश्मीर में आने वाले तूफान के बारे में चेतावनी देनी शुरू कर दी थी?

[हिन्दी]

ये जगमोहन साहब तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को लिख रहे हैं।

[अनुवाद]

"लेकिन आपके और आपके आस-पास के सत्ताधारियों के पास इन संकेतों को देखने के लिए न तो समय था, न ही इच्छा, न ही दूरदर्शिता। वे इतने स्पष्ट, इतने स्पष्ट थे कि उन्हें अनदेखा करना सच्चे ऐतिहासिक पैमाने पर पाप करने के समान था। संक्षेप में और उदाहरण के तौर पर, मैं इनमें से कुछ संकेतों का उल्लेख करूँगा।"

[हिन्दी]

यह उन्होंने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के बाद उन्होंने अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य लिखा: मैं पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वह 40-50 पृष्ठ की चिट्ठी है। उसके कुछ ही महत्वपूर्ण प्वाइंट्स मैं पढ़ रहा हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : आप वे 40-50 पेजेस पढ़िए न। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: मैं उनमें से कुछ ही पढ़ रहा हूं।

[अनुवाद]

"आपने शायद कभी यह जानने की परवाह नहीं की कि सत्ता संरचना के सभी घटकों पर वस्तुतः विध्वंसक तत्वों ने कब्ज़ा कर लिया था। उदाहरण के लिए, जब सितंबर 1989 में शब्बीर अहमद शाह को इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचना पर गिरफ़्तार किया गया, तो श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने हिरासत के वारंट पर हस्ताक्षर करने से साफ़ इनकार कर दिया।"

[हिन्दी]

यह आप समझिए कि जम्मू-कश्मीर की हालत क्या थी?

[अनुवाद]

अनन्तनाग के उपायुक्त ने भी यही रवैया अपनाया था। महाधिवक्ता राज्य के मुकदमे का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए। "

[हिन्दी]

देश के प्रधान मंत्री को वहां के गवर्नर चिट्ठी लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सुनना ही नहीं चाहते। आप कश्मीर के विस्थापितों की क्या बात करेंगे जब वहां कोई आदमी लौटेगा ही नहीं, उसके कारण तक आप जाएंगे ही नहीं तो आप किस विस्थापित की बात करेंगे? वे तो जम्मू में रह रहे हैं, कैम्प में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह पर उनका एडमिशन करवा दिया है तो कोई पुणे में पढ़ रहे हैं,

मुम्बई में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं। कोई अमेरिका में रह रहे हैं। आप यह बताइए न कि किस कारण से ये गये और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने आगे लिखा। महताब साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात धारा 370 के लिए लिखी है और यह सब रिकार्ड का विषय है।

[अनुवाद]

> "7 मार्च 1990 को आपने सर्वदलीय समिति के श्रीनगर दौरे के समय एक बखेड़ा खड़ा कर दिया और वर्ष 1986 में लोगों तक यह संदेश पहुंचने का प्रयास किया कि मैं अनुच्छेद 370 को हटाना चाहता हूं।"

स महत्वपूर्ण मोड़ पर, जब मैं 26 जनवरी, 1990 के बाद से विध्वंसक ताकतों की निराशाजनक और भयावह साजिश के बाद दीवार से पीठ टिकाए आतंकवादी ताकतों से लड़ रहा था, तब अगस्त-सितंबर 1986 में मैंने वास्तव में जो बताया था वह यह था: अनुच्छेद 370 कुछ और नहीं बल्कि स्वर्ग के दिल में परजीवियों का प्रजनन स्थल है। यह गरीबों की खाल खींचता है। यह अपनी मृगतृष्णा से उन्हें धोखा देता है। यह सत्ता के अभिजात वर्ग की जेबें भरता है। यह नए सुल्तानों के अहंकार को हवा देता है। संक्षेप में, यह न्यायहीन भूमि, क्रूरता और विरोधाभास से भरी भूमि बनाता है। यह धोखे, कपट और लोकतंत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देता है। यह विध्वंस के कीड़ों को जन्म देता है; यह द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की स्वस्थ विरासत को जीवित रखता है। यह भारत की मूल अवधारणा का गला घोंट देता है तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के महान सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को धुंधला कर देता है। मेरा मत यह था कि अनुच्छेद 370 की सुरक्षात्मक दीवार की आड़ में कश्मीर के गरीब लोगों का शोषण किया गया था तथा उन्हें वर्तमान स्थिति को समझाने की आवश्यकता है।'

[हिन्दी] यह जगमोहन साहब ने लिखा है। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : जगमोहन साहब ने तो गोली चलाकर जम्मू-कश्मीर की स्थिति को पूरा बिगाड़ दिया था। उन्हीं की कोटेशन आप पढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: यदि जगमोहन नहीं होते तो यह देश आज ऐसा नहीं होता। ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सौगत राय जी, यह आपकी राय हो सकती है, यह देश की राय नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: वर्ष 1975 के बाद से रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा दिया गया। सय्यैद अली शाह गिलानी जो कि आज भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं, उसे बढ़ाने में उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, चाहे जम्मू-कश्मीर की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों सरकारों ने उसे बढ़ाने का काम किया। अभी जो गुलाम नबी फई अरेस्ट हुए, किस तरह से इन लोगों ने इंटरनेशनली इन चीजों को लाया, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे चाहते हैं और कहते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया चाहती है कि वहां पूरा का पूरा इस्लाम पहुंच जाए। इसका कारण यह है कि वहां जो फंड आ रहा है चाहे वहाबी के नाम पर, चाहे साउदी के नाम पर जिस तरह के फंड आ रहे हैं, चाहे इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पर अयातुल्ला खुमानी के आदमी आते हैं, जिस तरह से लोग पकड़ाते हैं, वह इसका पूरा उदाहरण है। जब गिलानी साहब अपनी चीजों को जमाते इस्लामी प्रूव नहीं कर पाए तो आजकल एक नया आर्गेनाइजेशन " जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन " बन गया है। कश्मीर के विस्थापितों को वहां जाने के लिए क्या-क्या कठिनाइयां हैं, मैं उनके विषय में बता रहा हूं।

जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट ने रविन्द्र महात्रे की हत्या की है। रविन्द्र महात्रे हमारे डिप्लोमेट थे। आपको याद होगा कि यू.के. में उन्हें गोली मार दी गई। उनकी अगर पूरी कहानी जाननी हो तो हासिम कुरैशी जो कि जे.के.एल.एफ. के बड़े नेता हुआ करते थे, जिन्होंने वर्ष 1971 में प्लेन हाईजैक किया था, उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान यह चाहता है कि भारत में इसी तरह की स्थिति बनी रहे और इस तरह से पूरी दुनिया चाहती है कि भारत में ऐसी स्थिति बनी रहे। वहां के जो लोकल लोग हैं, वे कभी भी अपने राज्य में वापिस नहीं जा पाए। ऐसा हासिम कुरैशी की, जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट की पूरी स्टोरी है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया जल्दी समाप्त कीजिए। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। ... (व्यवधान) डॉ. जितेन्द्र सिंह आपको संबंधित चीजों के बारे में बताना चाहते हैं। ... (व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं

कि 14 सितम्बर, 1966 को मकबूल बट ने सिक्योरिटी इंस्पेक्टर अमर चंद को गोली मारी । इंस्पेक्टर अमर चंद की मृत्यु हो गई और उसके बाद पाकिस्तान चला गया। उसके बाद उसने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया। आखिरकार भारत सरकार ने उसे कब्जे में लिया और वर्ष 1984 में फांसी दे दी गई। जब उसे फांसी दे दी गयी, तो कश्मीर में काफी हंगामा हो गया। उस वक्त श्री फारूख अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस का नहीं पटता था। यही कारण था कि उनके जो बहनोई गुलाम मोहम्मद गुलशा थे, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद पूरा कश्मीर कर्फ्यू में थका रहा, छिपा रहा। वहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। जिसके बारे में अभी श्री सौगत राय साहब बता रहे थे कि यहाँ से जगमोहन साहब भेजे गये, लेकिन वे चूंकि इस देश में कश्मीर को रखना चाहते थे, उनको यहाँ से प्रौपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, मैं इसलिए इस चीज को जानता हूँ क्योंकि उस वक्त जो वहाँ डीआईजी थे श्री एन.के. तिवारी, जिसके बारे में श्री जगमोहन जी पचासों बार 'फ्रोज़न टर्बुलेंस इन कश्मीर' में जिक्र किया है, वे मेरे मामा हैं और वे आज भी जिन्दा हैं। उनको कितनी गोलियाँ लगी थी और उन्होंने किस तरह से काम किया है, मुझे इसके बारे में पूरा पता है। मैं यह कह रहा हूँ कि आज सिचूएशन यह है कि वहाँ कश्मीरी पंडितों को जाना चाहिए और वहाँ पर बसना चाहिए। मैं केवल तीन उदाहरण देना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में कश्मीरी विस्थापित इस 1618 करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर कैसे रह सकते हैं? पहला उदाहरण है श्री सर्वानन्द कौल का, अनन्तनाग में सोफसाली विलेज है, वहाँ वे टीचर थे और बहुत ही फेमस टीचर थे। आप यह समझिए कि क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, पूरे अनन्तनाग में उनसे बढ़िया कोई टीचर नहीं था। जब लोग वहाँ से भागने लगे, लोगों को जब विस्थापन का शिकार होना पड़ा, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ और मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैंने तो सभी हिन्दू-मुसलमानों को पढ़ाया है। लेकिन उन्हें 28 अप्रैल, 1990 को पूरे परिवार के साथ मार दिया गया और आज तक उन्हें और उनके परिवार को मारने वाला नहीं पकड़ा गया है। मैं एक टीचर की बात कह रहा हूँ।

दूसरा उदाहरण है, श्रीनगर के एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में इसी तरह से एक टीचर थे और उनका लड़का डॉक्टर था। सर, मैंने नाम के साथ कहा है। उन्होंने भी जाने से मना कर दिया। वे भी इसी तरह से रहते

थे। उनको भी लगता था कि हिन्दू क्या, मुस्लिम क्या, कश्मीर की संस्कृति क्या, हम लोग सभी यहाँ रह सकते हैं। उनको भी गोली मार दी गयी।

तीसरा उदाहरण बडगाम तहसील के ओमपुरा विलेज़ का है। वहाँ के दीनानाथ ओमपुरी जी का उदाहरण है। उनके पुत्र भारत भूषण शेरे कश्मीर मेडिकल कॉलेज में काम करते थे। वे एक छोटे-से इम्प्लाई थे। आप कह रहे हैं कि लोगों को बस जाना चाहिए, हम लोग कोई बात नहीं कह रहे हैं। यह तीसरा उदाहरण है जिसमें लोग मर गये। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से हजारों-हजार लोग मारे गये हैं। वे इसलिए मारे गये थे, एक तरफ तो उनको यह कहा जाता है कि यदि आप हिन्दू हैं, मैं यह नहीं कहता कि मुसलमानों का विस्थापन नहीं हुआ है, जब लड़ाई होती है, जब मैंने अभी भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की बात कही कि धर्म के आधार पर कोई देश या राज्य नहीं बंट सकता क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को फाइनली अलग-अलग होना पड़ा। लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हुआ, उसमें जो वहाँ पर रहने वाले खासकर हिन्दू हैं, उन लोगों को लगता है कि ये भारतीय सेना के मुखबिर हैं या सीआरपीएफ या बीएसएफ के मुखबिर हैं और वहाँ के लोकल लोगों को उन पर भरोसा नहीं होता है। इस कारण से उनको वहाँ से हटना पड़ता है और जो कश्मीर के लोग हैं, जो एफिलेंट क्लास के हैं, उनको अपने बच्चे को पढ़ाना होता है, तो उनको लगता है कि हमेशा कर्फ्यू होगा या इस तरह की चीजें होगी, तो जम्मू रीज़न का पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए न इसका फायदा हिन्दुओं को हो रहा है और न मुसलमानों को हो रहा है। माइग्रेशन एक बड़ा सवाल बन गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है और डिमांड है कि कुछ चीजें इस सदन को अपने ध्यान में लेना चाहिए।

<u>अपराह्न 04.00 बजे</u>

जो विस्थापित व्यक्ति वापस लौटने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अपनी बस्तियां विकसित करने के लिए भूमि, आवास अनुदान और ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो इतना पर्याप्त हो कि उनमें सामुदायिक भावना और सामाजिक सुरक्षा हो, जिससे वे अपने सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों के साथ-साथ समग्र विकास के लिए अवसंरचना का पुनः विकास कर सकें। [हिन्दी] यह आज की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से

हमने चीजों को बढ़ाया है, जिस तरह से इस सिचुएशन को बढ़ाया हैं, मैं यदि इस किताब को कोट करूंगा तो मैंने पहले जैसा कहा था, 70 ड्रेडेड टेररिस्ट्स को छोड़ा गया। आपने गलती की है। जुलाई और दिसम्बर, 1989 में 70 ड्रेडेड टेररिस्ट्स को तत्कालीन फारुख अब्दुल्ला सरकार ने रिलीज किया था। उसी तरह से 500 गावों के नाम हैं, मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दे रहा हूं क्योंकि वहां सरकार ने जो सिचुएशन डेवलप की, उसे देखिए। इसमें 500 गांवों के नाम हैं। यह पूरा देखिए, जो उनका नोटिफिकेशन है, वह नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूं। किस तरह से हिन्दू वहां से भागे हैं, इसका एक बड़ा सवाल इस तरह से है। उसके बाद जब वे वहां रहेंगे, [अनुवाद] ऐसी बड़ी बस्तियां श्रीनगर जैसे मुख्य व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्रों के पास या धार्मिक स्थलों के आसपास विकसित की जा सकती हैं, जो समुदाय की एकजुटता का आधार रहे हैं। [हिन्दी] जैसे वहां खीर भवानी है, मार्तण्ड है, अवन्तिपुरा है, अमरनाथ है, गोकरनाग है, बैरीनाग है, इस तरह की जो जगहें हैं, वहां आप यदि उनको बसाएंगे तो उसके साथ उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ नजर आएगा। [अनुवाद] ऐसी बस्तियां वर्तमान शहरों या कस्बों का विस्तार हो सकती हैं और इनमें विशेष आबादी होने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि अलगाववादी तत्व और आतंकवादी समूह विस्थापित होकर वापस लौटने वालों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और कश्मीरी पंडितों की बस्तियों या उनके राजनीतिक या सामाजिक विचारों के बारे में उन्हें धमकियां न दें या उनपर शर्तें न थोपें। [हिन्दी] जो की आज हो रहा है। यहां से रिजोल्यूशन लेकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। [अनुवाद] यह अधिक महत्वपूर्ण है कि न केवल सरकार बल्कि राष्ट्र और कश्मीर में अन्य राजनीतिक दलों को भी कट्टरपंथियों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार की धमकियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और वर्ष 1989 से पहले पलायन कर चुके कश्मीरी विस्थापितों तथा सभी हिंदुओं के शांतिपूर्ण और व्यावहारिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कश्मीर घाटी में सभी अल्पसंख्यकों के लिए शांति और सम्मान से रहने हेतु एक स्पष्ट और नियत स्थान का निर्माण किया जाना चाहिए। [हिन्दी] इसीलिए मेरा इस सभा से आग्रह है कि जो तीन तरह के विस्थापित हैं, जो लोग 1990 के बाद से, खासकर वर्ष 1982 के बाद विस्थापित हुए हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी भारत सरकार और राज्य सरकार ने जिनका संज्ञान नहीं लिया है, पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे एरियाज जो

इललीगली पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर का पार्ट है, अक्साई चिन है, नॉर्दन रेंज है, गिलगित-बाल्टिस्तान का एरिया है, इन सभी एरियाज को वापस लाने के लिए प्रयास होना चाहिए। फिलहाल, इन विस्थापितों के पुनर्वास के साथ-साथ, संविधान में एक आर्टिकल 370ए जोड़ना चाहिए कि जिस तरह से जम्मू-कश्मीर एसेम्बली में पाक आक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, उसी तरह से यहां सेंटर में भी उनकी सीट्स रिजर्व हों, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन इस पार्लियामेंट में नजर आए, जिससे हमारे जैसे लोगों से ज्यादा वे अपने दुख-दर्द को बयां कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात पूरी करूंगा।

महोदय, मैं निशिकांत दुबे जी द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण संकल्प, कश्मीरी हिन्दू कहें, कश्मीरी पंडित कहें, उन विस्थापितों की पुनर्वापसी के संकल्प के साथ अपने आपको प्रतिबद्ध करता हूं, उसका समर्थन करता हूं।

महोदय, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, आन्दोलनों में जेल गया और इस नारे के साथ ही मैं इस पार्टी में आया और आज इस सदन में खड़े होकर बोल रहा हूं। डेढ़ हजार किलोमीटर से ज्यादा दूर का एक नौजवान सिर्फ कश्मीर के भूगोल से नहीं जुडता, मैं अपने जीवन में उसके पहले कभी कश्मीर नहीं गया, लेकिन वह दर्द मेरे जैसे लोगों के मन में था। इसलिए मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि जिसकी वह जन्मभूमि है, जो वहां पैदा हुआ है, वह उससे बाहर इस देश में निर्वासित है, उसके मन में वापसी के लिए कितना दर्द होगा, पहले इस पर विचार होना चाहिए।

मैं यह सब पढ़ता था, लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसी को कोई इतिहास नहीं पढ़ाना चाहता। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं किसी को इतिहास की दुहाई नहीं देना चाहता, वे पढ़ें जिन्हें कागजों से या आंकड़ों से खेलना है। लेकिन देश के इतिहास में इससे ज्यादा भीषण त्रासदी नहीं हो सकती कि 60-70 साल का आज़ादी के बाद हमारा अपना व्यक्ति, जिसका जन्म स्थान है, जो आज़ाद भारत का व्यक्ति है, वह अपने मतदान के लिए तरसे। उसकी चर्चा सदन में इसलिए न हो क्योंकि उसकी वोटों की संख्या कम है, यह दुख का विषय है। कम से कम सदन में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, जैसा निशिकांत जी ने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग यहां आए, वे अधिकांश हरिजन हैं, उन्हें आज तक मतदान का अधिकार नहीं मिला है। यहां तक कि उनके पास राशन कार्ड तक नहीं है और इस पर सदन में चर्चा नहीं हुई। वे लोग वहां से इसलिए भगाए गए, क्योंकि वे हिन्दू थे, मारकर भगाए थे और तब से आज तक उन्हें एक भी नागरिक सुविधा जम्मू-कश्मीर के भूगोल के भीतर नहीं है। दूसरी तरफ जो जम्मू-कश्मीर में पैदा हुआ, मैं सदन का सदस्य था जिस दिन जगमोहन जी को वहां से हटाया गया। हम लोग इसी कुर्सी से उनका भाषण सुन रहे थे। उस भाषण से तय हो गया था कि

जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है। विस्थापन 1982 से शुरू हुआ, जब गांवों के नाम बदले गए। वहां हिन्दू रह रहे थे, उनकी उपस्थिति में गांवों के नाम बदल दिए गए थे।

दूसरी घटना 1986 में हुई, जब सरेआम वहां घर जलाए गए। हम तब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि हमने अपने कस्बे को बंद किया था। हम जानते नहीं थे कि वहां क्या हुआ है और न ही गांव का नाम जानते थे। मैं 1989 में सदन का सदस्य था, जब वह घटना घटी थी, तब मैं यहां खड़ा था। उस समय सैफुद्दीन सोज़ साहब यहां खड़े होकर भाषण दे रहे थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा के लिए ही चर्चा न करें। वहां की परिस्थितियां विपरीत हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा।

सदन इस बात का गवाह है कि इसी सदन ने सर्वसम्मति से पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, यह प्रस्ताव पारित किया था। इसका भी हमें सदैव ध्यान रखना होगा, बोलने के पहले और कुछ करने के पहले इस संकल्प को निश्चित रूप से दोहराने और उसे पूरा करने के लिए हम, आप और सबको एक साथ प्रयास करने होंगे।

मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या हमें पता है कि जम्मू-कश्मीर के कितने विस्थापित हैं? उपाध्यक्ष जी, 1989 में जो विस्थापित हुआ, उसे 26 साल हो गए हैं। अगर वह कश्मीर में पैदा हुआ था तो उसकी उम्र आज 26 वर्ष है, उसकी गिनती नहीं है। इनकी संख्या क्या है, इस बारे में कोई सात लाख कहता है, कोई आठ लाख कहता है। देश के भीतर जो कैम्प हैं, उनकी संख्या नहीं है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इसने इन लोगों को मतदान का अधिकार दिया। लेकिन मतदाता के रूप में क्या उनका नाम वहां दर्ज है, अगर मतदाता सूची से उसका नाम कट गया है तो उसे दिल्ली के मतदान केन्द्र पर वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह भी सच्चाई है। हमने इस समस्या का कभी पूरी तरह से समाधान नहीं खोजा। आज अगर चर्चा होती है तो जो विस्थापित हैं, जिन्हें हम कश्मीरी ब्राह्मण या कश्मीरी हिन्दू कहते हैं, अगर कोई विस्थापित दिल्ली में रहता है तो उसका वहां मकान है। लोगों ने मुझे फोटो दिखाई हैं। मेरे एक मित्र हैं विनोद फोतेदार, उन्होंने बताया कि मेरा घर आप गूगल पर देखिए। उनके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी थे, वहां की सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। उसने कहा कि मैं जब वहां जाता हूं और लौटकर आता हूं तो दो दिन तक सामान्य नहीं रह पाता। मैं तो उस

समय सिर्फ चार साल का था, मेरे भाई यहां पर पैदा हुए, लेकिन संख्या नहीं पता है। उनका सबसे बड़ा दर्द है कि जब वे वापस जाएंगे, उसने यह भी बताया कि हम साल में एक बार वहां जाते हैं, चाहे विदेश में कोई रहता हो, तो वह भी साल में एक बार जरूर अपने घर को देखने के लिए वहां जाता है। आप उसकी कसक देखिए, यह एक अहम् बात है। फिर उसने कहा कि हम अपना कोई भी धार्मिक आयोजन आज़ादीपूर्वक वहां नहीं कर सकते, यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। रोजगार तो हमें दिल्ली में भी हासिल है। वह कौम लड़ाकू कौम है, उसने साबित कर दिया कि हम भीख मांगकर नहीं खाएंगे, हम अपने बलबूते पर खाएंगे और यह बात साबित भी कर दी। उन पर कभी कोई अंगुली नहीं उठा सकता। लेकिन उसने जो सबसे अहम् बात कही कि जब हम वहां वापस जाएंगे, तो क्या हमें हमारी धार्मिक आज़ादी मिलेगी। आज भी वहां का मुसलमान, जो उनका पड़ोसी है, आज भी दिल्ली आकर उनके पास बैठता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

हिन्दू-मुसलमान की जो बातें कही जाती हैं, वह बातचीत तो यहां आकर वैसे ही करता है, जैसे पहले रिश्तेदारी की तरह करता था, एक अच्छे पड़ोसी की तरह करता था। लेकिन जब ये लौटकर जाएंगे तब उसे आज़ादी मिलेगी, ये उसे जिंदा बचा पाएंगे। क्योंकि वह कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से अपनी बहनों की इज्जत लुटते हुए देखी है। हमने अपनी आंखों के सामने अपने सम्बन्धियों को मरते हुए देखा है। भवन ढहाए जाएं, उनमें आग लगा दी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, उसके लिए उसने विकल्प सुझाए। आज भी जम्मू-कश्मीर की सीमा के अंदर जहां पर एक अच्छा पक्ष है, जहां धार्मिक स्थान है, लाखों की संख्या में वहां लोग जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी अकेली बस्ती न बने। उन्होंने कहा है कि केवल हम लोगों की बस्ती न बने। वहां के लोकल लोग रहें। लेकिन कोई ग्रोथ सेंटर होना चाहिए। कोई ऐसा प्रावधान कीजिए जो सेना की छावनियों के साथ हो। वहां हम सुरक्षित भी होंगे और हमारा रोजगार भी होगा। हमारे धार्मिक आयोजन भी हो सकेंगे। हम नहीं कहते हैं कि केवल पंडितों की या हिन्दुओं की कॉलोनी बसायी जाए। वहां मुसलमान भी हों, वहां के स्थानीय लोग भी हों और उनको भी रोजगार मिले। यह हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चाहत है कि हमें धार्मिक आजादी मिलनी चाहिए। मैं कुछ सवाल यहां खड़े करना चाहता हूं कि इस देश की संसद को देश में कितने विस्थापित हैं, इसकी संख्या जानने का अधिकार नहीं है? यह सबसे अहम

सवाल है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इस देश के भीतर इतना अमानवीय काम होता रहा है और उसके बावजूद भी हम वाजिब संख्या न जान पाए, क्या यह हम पर लानत नहीं है? क्या यह हमारे लिए चुनौती नहीं है? हम लोग कागजों के द्वारा सरकार से प्रश्न पूछें, इससे अच्छा यह होगा और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एक बार इसको देखा जाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर की सीमा के बाहर वहां से भगाए गए लोगों की संख्या कितनी है? कितने परिवार हैं? वर्ष 1989 में उनकी संख्या कितनी थी और उसके बाद पैदा हुए लोगों के साथ उन शरणार्थियों की संख्या कितनी है? यह मेरा पहला सवाल है।

मेरा दूसरा सवाल है कि जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अधिकांश शरणार्थी हरिजन हैं, जिनके पास नागरिक सुविधाओं के नाम पर एक भी चीज नहीं है। मैंने मजदूरों के क्षेत्र में काम किया है। आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि वहां छात्रावास है, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। छात्रावास में आप रहिए, मुफ्त में खाइए, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। मैंने इसी सदन में काला कोट का सवाल उठाया था तो पहली बार उस कोयले की खदान में मजदूरी बढ़ी थी। मैंने इसी सदन में कहा था और उस समय लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे हिन्दुस्तान में एक साल में किसी भी महंगी गाड़ी पर पचास हजार रुपये टैक्स नहीं लगता है। लेकिन शिवकोड़ी के मंदिर में खच्चर चलाने वाले से एक साल में पचास हजार रुपये का टैक्स वसूला जाता है। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने बाद में उसे घटा कर 27 हजार रुपये किया था। वहां कानून नाम की चीज नहीं है। जो लोग धारा 370 का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां मुसलमान हैं, जो लोधी और साहू इत्यादि हैं। वह कभी हिन्दू था, इसलिए वह अपनी जाति आज भी हिन्दू की ही लिखता है। हमारे मजदूर मोर्चे का अध्यक्ष लोध है, वह लोधी जाति का है, जबकि वह मुसलमान है। वहां उस मजदूर को कोई हक नहीं है। वहां कोई कानून नहीं है। धारा 370 जिनको चाहिए, उनको दीजिए, लेकिन आप उस गरीब मजदूर के प्राण क्यों ले रहे हैं? क्या सदन को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? आप धारा 370 को भाजपा के चश्मे से देखना चाहते हैं, आप जनसंघ के आंदोलन से देखना चाहते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? मैं

चाहता हूं कि संसद का डेलीगेशन वहां जाए, उन गांवों में जाए, जहां सौ फीसदी मुसलमान मजदूर और किसान हैं, उनके हालात देख कर आइए। उसके बाद अपनी छाती पर हाथ रख कर इस सदन में कहिए।

श्री भर्तृहरि महताब: विदआउट सिक्योरिटी जाना चाहिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : विदआउट सिक्योरिटी जाने का साहस कितने लोग करेंगे और मैं विदआउट सिक्योरिटी जाने के लिए तो नहीं कहता, यह अपनी इच्छा है। मैं तो कहता हूं कि आप सुरक्षा के बीच में जाइए और वहां के हालात देखकर आइए। उसके बाद सदन में कहिए कि वहां धारा 370 रहनी चाहिए या नहीं। मेरा दावा है कि अगर आप हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और वहां जो तमाशा देख कर आएंगे तो आपको रो कर कहना पड़ेगा कि धारा 370 वहां नहीं होनी चाहिए। मैं मजदूरों को संरक्षण देने वाले एक कार्यकर्ता के नाते इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वहां के कुछ स्थान हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी है, जो वैकल्पिक स्थान हो सकते हैं, वहां शरणार्थियों को, उनको शरणार्थी कहना शर्म की बात है, उन कश्मीरी ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थान के लिए बनिहाल, अनंतनाग, जो सबसे ज्यादा क्रूर जगह मानी जाती है, वहां बसाया जा सकता है। कुलगाम में बसाया जा सकता है। अवंतीपुरा में बसाया जा सकता है। श्रीनगर में इंदिरा नगर में उनको बसाया जा सकता है। बडगाम में भी बसाने का रास्ता निकल सकता है। मेरा कहना है कि आप वहां किसी कश्मीरी हिन्दू की या कश्मीरी ब्राह्मण की कॉलोनी मत बनाइए। वे भी चाहते हैं कि वहां के लोग आएं, लेकिन कोई ग्रोथ सेंटर, कोई आर्थिक समूह हो, जहां उनको संरक्षण मिले और संरक्षण इस बात का हो कि वे अपना सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक कार्यक्रम आजादीपूर्वक कर सकें। यह गारंटी इस सदन को देनी चाहिए। यह सबसे अहम सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहस इस सदन के भीतर हो। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता जम्मू-कश्मीर की इस चुनौती के कारण बना और मैंने अपनी बात वहां से शुरू की थी। इसलिए मैं अंत भी उसी के साथ करूंगा। मेरे जैसे लोग, जिनकी भूगोल की सीमा वहां नहीं जुड़ती, अभी इस बीच में इन चार वर्षों में जब मैंने मजदूरों का काम किया तो उन जिलों में मुझे जाने का मौका मिला, मैं सुरक्षा लेकर नहीं गया। महताब जी, सुरक्षा लेकर जाने में मरने की गारंटी है, लेकिन अगर वहां के कार्यकर्ता का भरोसा है तो मैं कहता हूं कि हम जैसे लोग आज भी जिंदा खड़े हैं। मैं 17 जिलों में गया हूं और उन जिलों में गया हूं,

जहां कई जगहों पर हमारी पार्टी का काम भी नहीं था। मेरे जैसा व्यक्ति वहां होकर आया है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं दुनिया में सब कुछ जानता हूं। मैंने नड्डा जी का नाम लिया था, क्योंकि उस समय कहा गया था कि लाल चौक में आपको सेना के कैम्प से पैदल जाना पड़ेगा और मुझे इसलिए खारिज कर दिया गया था, क्योंकि मेरी लम्बाई ज्यादा थी। इसलिए मैं अपने आपको दुर्भाग्यशाली मानता हूं।, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्रवाद के लिए अगर मर जाएं तो उसी जमीन पर मरें तो हम उसे गर्व मानेंगे। मैं चाहता हूं कि हमने अपनी आंखों के सामने उस पूरे विशाल भारत, अखंड भारत का सपना इस सदन में प्रस्ताव के माध्यम से देखा है, वह एक दिन हम अपनी आंखों से देखें। वह दिन जल्दी आए और हमारी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले वे लोग, जिन्होंने वहां लड़ाई लड़ी है, मैं चाहूंगा कि वे सम्मान की जिंदगी जीएं और इस सदन और सरकार का धन्यवाद करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मेरे सम्मानित सहयोगी श्री निशिकान्त दुबे ने कश्मीर से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कार्रवाई करने का प्रस्ताव पेश किया है। कश्मीर को भारत के सिर का ताज माना जाता है। हम कश्मीर को धरती का स्वर्ग समझते हैं परन्तु विस्थापित लोगों के लिए यह नरक बन गया है।

सर्वप्रथम , मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में विस्थापित लोगों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति अथवा राष्ट्रीय कानून भी है अथवा नहीं क्योंकि यह एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है जिसका आगे बढ़ने से पहले समाधान किया जाना आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि "विस्थापित व्यक्ति" का क्या अभिप्राय है? विस्थापित, प्रवासी और शरणार्थी के बीच क्या अंतर है? इनमें सूक्ष्म अंतर है जिससे कभी-कभी आम लोग भ्रमित हो जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय भाषा-शैली के अनुसार, "आंतरिक विस्थापित व्यक्ति" की परिभाषा इस प्रकार है और मैं इसे उद्धृत करता हूं:

> “ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिन्हें सशस्त्र संघर्ष, सामान्य हिंसा की स्थिति, मानवाधिकारों के उल्लंघन या प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के परिणामस्वरूप या उनके प्रभावों से बचने के लिए अपने घरों या निवास स्थान को छोड़ने या पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है या बाध्य किया गया है और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं लांघा है...”

इन्हें आंतरिक विस्थापित व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन, महोदय, जिन कश्मीरी पंडितों को घाटी से मजबूरन भागना पड़ा उन्हें आंतरिक विस्थापित व्यक्ति की संज्ञा नहीं दी गयी है। बल्कि उनके साथ प्रवासी के समान व्यवहार किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या सरकार अपने ही लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहती है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है? मुझे यह जानना है। हमारे विधि मंत्री भी इस सभा में उपस्थित हैं। इसलिए, मैं इस अवसर पर उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। विस्थापन केवल हमारे देश की ही घटना नहीं है। यह वैश्विक घटना है।

इस समय पश्चिम एशिया में आई.एस.आई.एस. के आक्रमण के कारण भारी तादाद में जनसंख्या का विस्थापन हो रहा है। अफ्रीकी देशों में भी सूडान से लेकर लीबिया, हुतु, तुत्सी आदि देशों में विस्थापन लगातार हो रहा है। अतः, विस्थापन एक वैश्विक समस्या है और यह भारत तक ही सीमित नहीं है। चूंकि हम इस प्रकार के विस्थापन का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हमें इस पर एक व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि विस्थापन केवल जम्मू और कश्मीर घाटी में ही नहीं होगा। यदि आप उत्तर-पूर्व को देखें तो असम की बहु-नस्लीय, बहु-धार्मिक और बहु-जातीय प्रकृति भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अन्य राज्यों के चरित्र से काफी मिलती-जुलती है। जबकि उत्तर पूर्व में संघर्ष मुख्य रूप से विभिन्न जनजातियों और विद्रोहियों के बीच हुआ, जिससे अत्यधिक परिवर्तनशील और अस्थिर स्थिति पैदा हुई, इस संघर्ष का अधिकांश हिस्सा जातीय युद्ध के रूप में हुआ, जो उत्तर-औपनिवेशिक युग के आरंभ से ही बोडो, संथाल जैसी जनजातियों के बीच इस क्षेत्र में विकसित हुआ था। कुछ दिन पहले ही, हम बोडोलैंड में भी भीषण हत्याएं देख चुके हैं। अपनी स्वायत्तता के लिए जातीय सफाए की रणनीति अपनाई गई है। ये हमारे देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के विस्थापन हैं।

ये विस्थापित लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार नहीं कर पाए हैं। एक बार जब वे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाते हैं, तो उन्हें शरणार्थी माना जा सकता है। एक बार जब वे शरणार्थी बन जाते हैं, तो वे अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करेंगे। हालाँकि, भारत अभी भी एक ऐसा देश है, यदि आप कश्मीर घाटी को देखें, जहाँ शरणार्थी अभी भी अपने कानूनी अधिकारों का इंतजार कर रहे हैं। जो जम्मू-कश्मीर की धरती के बेटे हैं, वे विस्थापित हो गए हैं और दयनीय जीवन जी रहे हैं।

विस्थापन से इनकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए घरेलू कानून बनाने की प्रक्रिया को फीका कर दिया है। राष्ट्रीय जिम्मेदारी केवल कश्मीर संघर्ष से विस्थापित लोगों के लिए स्वीकार की गई है, हालाँकि इन लोगों की पहचान प्रवासियों के रूप में की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में 6.50 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति हैं, लेकिन आई.डी.पी. की निगरानी और रणनीतियों को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय एजेंसी या नीति नहीं है। इसलिए, यह वह अवसर है जब हम कम से कम इस स्थिति पर,

इसके सभी निहितार्थों और परिणामों पर विचार कर सकते हैं, हम इसे स्थायी रूप से हल करने का लक्ष्य रख सकते हैं, क्योंकि कश्मीर *पंडित,* जो विस्थापित हो गए हैं, जिन्हें हमारे देश में प्रवासी के रूप में पहचाना जाता है, वे घाटी से विस्थापित होने के कारण एक घिनौना जीवन जी रहे हैं।

सबसे पहले, उन्होंने सोचा कि ये ऐसी समस्याएं हैं जो महीनों में दूर हो जाएंगी; लेकिन महीने वर्षों में बदल गए; और अब साल दर साल, उन गरीब और कमजोर कश्मीरी *पंडितों* के लिए सुरंग के अंत में कोई प्रकाश नहीं दिखता है। यहां मुद्दे उठाए जा सकते हैं। हम आसानी से किसी और के कंधे पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं। लेकिन, समस्या यहीं खत्म नहीं होती। कश्मीरी पंडितों को आश्वासन दिया गया था कि एन.डी.ए. के सत्ता में आने पर उन्हें घाटी में वापस लाया जाएगा। हां, यह भाजपा द्वारा की गई प्रतिबद्धता थी। यहां तक कि हमारे माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह *जी* ने भी उमर अब्दुल्ला *जी* से भी भूमि की मांग की है। लेकिन, यदि आप किसी कश्मीरी पंडित से पूछेंगे कि क्या वे घाटी वापस जाना चाहेंगे, तो उनका पहला सवाल यही होगा कि क्या वहां उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सुरक्षा और जीवन के साथ-साथ सम्मान की रक्षा के डर ने उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। सुरक्षा के अभाव में उन्हें अपनी जन्मस्थान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इसलिए, उन्हें भ्रम की दुनिया में धकेले बिना, सबसे पहले हमें एक अनुकूल वातावरण, या यूँ कहें कि जनसांख्यिकीय वातावरण बनाने की आवश्यकता है। जहां तक जनसांख्यिकीय संरचना का सवाल है, मुसलमान घाटी में प्रमुख आबादी हैं। इसलिए, उन कश्मीरी प्रवासियों के लिए जनसांख्यिकीय वातावरण अनुकूल नहीं है। जनसांख्यिकीय संरचना हमेशा उन प्रवासियों की वापसी के लिए प्रतिकूल भूमिका निभाती है। इसलिए घाटी में धर्मनिरपेक्ष संस्कृति, धर्मनिरपेक्ष वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है; सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

अब, हम जो अनुभव कर रहे हैं वह यह है कि वहां पाकिस्तानी झंडे भी फहराए जा रहे हैं, और बिना किसी रोक-टोक के लहराए जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं कश्मीरी पंडितों में किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें कश्मीर घाटी में अनुकूल और सुरक्षापूर्ण वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी प्रवासियों के राहत एवं पुनर्वास के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री पैकेज, वर्ष 2008 में जम्मू एवं कश्मीर सरकार से रु. 5,820 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाला प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में मौजूदा पैकेज की अधिकांश मदों के पैमाने में ऊपर की ओर संशोधन की परिकल्पना की गई है। इसमें मकानों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को रु. 20 लाख तक बढ़ाने, प्रवासी युवाओं को 3000 सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता, स्वरोजगार/व्यापार उद्यम के लिए रु. 10 लाख की वित्तीय सहायता, घाटी में 2000 पारगमन आवासों का निर्माण, क्लस्टर आवासों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु रु. 900 करोड़ की वित्तीय सहायता आदि की मांग की गई है। वर्ष 2008 पैकेज के तहत 1,553 कश्मीरी प्रवासियों को नौकरियां प्रदान की गई हैं।

महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन के एक पैराग्राफ का उल्लेख करना चाहूंगा।

> समिति यह जानकर अप्रसन्न है कि कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास योजना के तहत परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने या अन्य प्रक्रियागत विवादों के कारण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कम व्यय हुआ और आवंटन में कमी आई। समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को प्रस्तावित पुनर्वास योजना की शीघ्र स्वीकृति के लिए कैबिनेट सचिवालय से संपर्क करना चाहिए। समिति को उम्मीद है कि मंत्रालय इस वित्त वर्ष के दौरान आवंटित राशि का समय पर उपयोग करेगा। समिति का मानना है कि सरकार को कश्मीरी प्रवासियों के राहत और पुनर्वास के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री पैकेज में जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार के साथ-साथ प्रवासियों के प्रतिनिधियों को प्रवासियों के लिए किसी भी पैकेज या पुनर्वास योजना को अंतिम रूप देते समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने कश्मीरी प्रवासियों को दी जाने वाली नकद राहत को वर्तमान रु. 1,650/- प्रति व्यक्ति प्रति माह से बढ़ाकर रु. 2,500/- प्रति व्यक्ति प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है और सिफारिश की है कि इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उनकी सहमति के लिए सख्ती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने अनुरोध की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं इस संकल्प के प्रस्तावक को भी धन्यवाद देता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम अगले मद, प्रस्तुत किए जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करेंगे।

अपराह्न 04.31 बजे

गैर सरकारी सदस्य विधेयक पुरःस्थापित

(एक) केरल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015‡‡‡‡*

माननीय उपाध्यक्ष : अब सदन विधेयकों को प्रस्तुत करने पर विचार करेगा। मद सं 66 - श्री एम.के. राघवन।

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा, विद्युत, परिवहन और कृषि के विकास के लिए केरल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा, विद्युत, परिवहन और कृषि के विकास के प्रयोजनार्थ केरल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. के. राघवन: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 04.32 बजे

(दो) जलमार्ग विकास परिषद् विधेयक, 2015*

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि देश में परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में जलमार्गों के विकास एवं संवर्धन तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

---

‡‡‡‡*भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

"कि देश में परिवहन के वैकल्पिक साधनों के रूप में जलमार्गों के विकास और संवर्धन के लिए तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. के. राघवन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

<u>अपराह्न 04.32 ½ बजे</u>

(तीन) पूर्वी क्षेत्र पर्यटन संवर्धन बोर्ड विधेयक, 2015§§§§*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए पर्यटन संवर्द्धन बोर्ड की स्थापना करने और तत्संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए पर्यटन संवर्धन बोर्ड की स्थापना करने और तत्संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

[अनुवाद]

---

§§§§*भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

अपराह्न 04.33 बजे

(चार) बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2015*****

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बाढ़ और सूखे का नियंत्रण करने के लिए एक राष्ट्रीय बाढ़ और सूखा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय बाढ़ और सूखा नियंत्रण बोर्ड के गठन और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 04.33 ½ बजे

(पाँच) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण विधेयक, 2015*

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

***** भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

"कि नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्षः मद संख्या 41, श्री कलिकेश एन. सिंह देव – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 42, श्री कलिकेश एन. सिंह देव – उपस्थित नहीं।

मद संख्या 43 – श्री रवनीत सिंह।

अपराह्न 04.34 बजे

(छः) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015*[†††††*]
(अनुच्छेद *7 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)*

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : मैं नैदानिक प्रतिष्ठानों (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवनीत सिंह: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 04.35 बजे

[†††††]*भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

(सात) विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा और अवसंरचना विकास विधेयक, 2015‡‡‡‡‡*

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य खेल शिक्षा तथा विद्यालयों में अपेक्षित अवसंरचना का उपबन्ध और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य खेल शिक्षा तथा विद्यालयों में अपेक्षित अवसंरचना का उपबंध और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

<u>अपराह्न 04.35 ½ बजे</u>

(आठ) ऐतिहासिक धरोहर का परिरक्षण और संरक्षण विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

‡‡‡‡‡*भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐतिहासिक धरोहर का परिरक्षण और संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने तथा इससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि ऐतिहासिक धरोहर का परिरक्षण और संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने तथा इससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

<u>अपराह्न 04.36 बजे</u>

(नौ) संविधान संशोधन विधेयक, 2015§§§§§*
(अनुच्छेद 348 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

---

§§§§§*भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: मैं विधेयक पेश करती हूँ।

<u>अपराह्न 04.36 ½ बजे</u>

(दस) पब्लिक टेलीफोन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान विधेयक, 2015*

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पब्लिक कॉल ऑफिस से टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं किए गए कॉल का रिकॉर्ड रखने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पब्लिक कॉल ऑफिस से टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं किए गए कॉल का रिकॉर्ड रखने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: मैं विधेयक पेश करती हूँ।

<u>अपराह्न 04.37 बजे</u>

(ग्यारह) संविधान संशोधन विधेयक, 2015*****

(अनुच्छेद 348 का संशोधन 72)

*******भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: मैं विधेयक पेश करती हूँ।

<u>अपराह्न 04.37 ½ बजे</u>

(बारह) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक,2015††††††*
(अनुच्छेद 4 का संशोधन)

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुंबई): मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती पूनम महाजन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

---

††††††*भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

अपराह्न 04.38 बजे

(तेरह) कन्या शिशु (अतिरिक्त सुविधाओं का उपबंध) विधेयक, 2015‡‡‡‡‡‡*

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि परिवार में बिना किसी सहोदर भाई/बहन वाली कन्या शिशु के माता-पिता का उनकी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखे बगैर प्रोत्साहन देने सहित अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि परिवार में बिना किसी सहोदर भाई/बहन वाली कन्या शिशु के माता-पिता का उनकी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखे बगैर प्रोत्साहन देने सहित अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"
>
> *प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

श्री प्रहलाद जोशी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 04.38 ½ बजे

(चौदह) निजी चालक (कल्याण) विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निजी चालक कल्याण निधि के नाम से एक निधि के गठन द्वारा निजी चालकों के कल्याण और उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

---

‡‡‡‡‡‡*भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि निजी चालक कल्याण निधि के नाम से एक निधि के गठन द्वारा निजी चालकों के कल्याण और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

<u>अपराह्न 04.39 बजे</u>

(पंद्रह) बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2015§§§§§§*

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन कर पृथक बुन्देलखण्ड राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि विद्यमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन कर पृथक बुन्देलखण्ड राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

---

§§§§§§*भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 04.40 बजे

(सोलह) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015*

(अनुच्छेद *326*ए के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन*)*

[अनुवाद]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: महोदया, मैं विधेयक पुरः स्थापित करती हूँ।

अपराह्न 04.40 ½ बजे

(सत्रह) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015*****

(अनुच्छेद 357क का संशोधन*)*

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

******** भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

अपराह्न 04.41 बजे

(अठारह) न्यायालयों अवमान (संशोधन) विधेयक, 2015*

*(*अनुच्छेद 1 का संशोधन आदि)

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि न्यायालय अवमान अधिनियम,1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "
>
> *प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 04.41 ½ बजे

(उन्नीस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2015†††††††*

*(*अनुच्छेद 2 का संशोधन)

[हिन्दी]

---

†††††††* भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
>
> *प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 04.41 ¾ बजे

(बीस) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015‡‡‡‡‡‡‡*

(अनुच्छेद 2 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री बैजयंत जय पांडा (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
>
> *प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

श्री बैजयंत जय पांडा: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

‡‡‡‡‡‡‡* भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

अपराह्न 04.42 बजे

(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015§§§§§§§**

(नए अनुच्छेद 112क और 202क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी (अनन्तपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 04.42 ½ बजे

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015*

(अनुच्छेद 330 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।" "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

§§§§§§§* भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

श्री आनंदराव अडसुल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 04.43 बजे

(तेईस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015*******

(अनुच्छेद 25 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।" "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय,मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 04.43 ½ बजे

(चौबीस) भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में लगे वृत्तिकों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

********* भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

"विभिन्न विषयों में अनुसंधान कार्य में लगे पेशेवरों की सहायता के लिए एक प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना हेतु विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सदस्य अब विधेयक पेश कर सकते हैं।

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय,मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 04.44 बजे

(पच्चीस) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक,2015†††††††*

*(*अनुच्छेद *304 ख का संशोधन)*

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, मैं भारतीय दंड संहिता, 1860 में ओर संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रविन्द्र कुमार जेना: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 04.45 बजे

(छब्बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015*

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

---

†††††††* भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

[अनुवाद]

श्री **आनंदराव अडसुल (अमरावती)** : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनंदराव अडसुल: मैं विधेयक पेश करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं.68, श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव – उपस्थित नहीं।

मद सं.69, श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव – उपस्थित नहीं।

मद सं.70, श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव – उपस्थित नहीं।

<u>अपराह्न 04.45 ½ बजे</u>

(सताईस) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015‡‡‡‡‡‡‡‡*

*(*अनुच्छेद *370*क का संशोधन*)*

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, मैं भारतीय दंड संहिता, 1860 में ओर संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

‡‡‡‡‡‡‡‡* भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 08.05.2015 में प्रकाशित

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 04.46 बजे

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014--जारी

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब सदन मद सं .74 पर विचार करेगा - अनिवार्य मतदान विधेयक के संबंध में 13 मार्च, 2015 को श्री जनार्दन सिंह 'सिग्रीवाल' द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने साथी श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी के अनिवार्य मतदान के विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, भारत के संविधान में जब संविधान सभा पेश हो रही थी, उस प्रस्तावना को पढ़ना चाहूँगा। उसमें कहा गया है, " हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व, सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। "

महोदय, जब संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सोचा कि आखिर वे कौन लोग हैं, जिन सारे लोगों को, पूरे देश के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को यह संविधान समर्पित हो रहा था, तो उन्होंने कल्पना की कि एक भी व्यक्ति इस राष्ट्र से अछूता न रहे। आजादी के इतने दिनों के बावजूद आज मतदान का जो प्रतिशत है, वह 50 से 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पा रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। हमको यह सोचना चाहिए कि जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, उनके इस कार्य को हम लोग किस रूप में रेखांकित करें? आखिर वे मतदान क्यों

नहीं कर रहे हैं? इसका क्या कारण है कि मतदान में उनकी रुचि नहीं है? क्या लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है? अगर लोकतंत्र में उनका विश्वास न होता तो वे इस देश में नहीं रहते। यह लोकतंत्र ही है कि मेरे जैसा एक छोटे से मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा आज लोकतंत्र के कारण इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर

आया है। यह लोकतंत्र ही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। ऐसी कोई और व्यवस्था नहीं है जिससे इस विविधता भरे देश में जहां हर पांच-दस किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, लोगों के स्वभाव बदल जाते हैं, तब भी यह देश पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो यह लोकतंत्र है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि लोगों की मतदान में रुचि नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र में उनका विश्वास है। अगर विश्वास न होता तो यह देश इतनी मजबूती से आजादी के 68-70 बीतने के बाद बढ़ न रहा होता।

महोदय, जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी इसमें रुचि नहीं है? जहां तक रुचि का सवाल है, तो उन्हें उनकी रुचि पर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह सवाल देश के निर्माण का है, देश की एकता का है और देश की अखंडता का है। हम उनकी रुचि पर इसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह विषय रुचि का हो ही नहीं सकता है। यह देश की गरिमा का सवाल है। यह देश के सवा सौ करोड़ लोगों का सवाल है। इसे केवल उनकी रुचि पर नहीं छोड़ा जा सकता है। लोकतंत्र की नींव इसमें तभी मजबूत हो सकती है, जब इसमें एक-एक मतदाता भाग ले।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि कुछ लोग अपने आलस्य के कारण मतदान में हिस्सा न लेते हों। यह आलस्य और रुचि का सवाल नहीं है। यह उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। जब देश के संसाधन, विकास और अन्य सारी चीजों में उनका हिस्सा है, वे हर चीज में दावा करते हैं, देश उनको साथ लेकर चलता है तो यह उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह आलस्य का विषय भी नहीं है।

जो लोग इसके विरोध में हैं, जो लोग कहते हैं कि अनिवार्य मतदान नहीं होना चाहिए, कुछ लोग यह दावा करते हैं कि देश में राजनैतिक वातावरण नहीं है, इसलिए वे रुचि नहीं लेते हैं। आखिर राजनैतिक वातावरण

को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है, क्या यह इस देश के नागरिकों की नहीं है? इस देश का वातावरण कैसे बदलेगा? किस माध्यम से इस राजनैतिक वातावरण को बदला जा सकता है। उसका केवल और केवल एक ही माध्यम है, वह माध्यम मतदान है। मतदान के अलावा इसका और कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप मतदान

नहीं करेंगे, तब तक आप किसी चीज को बदल नहीं सकेंगे। लोग बंद कमरों में बैठ कर राजनैतिक विश्लेषण करेंगे, राजनैतिक चर्चा करेंगे, सरकार को बनायेंगे और बिगाड़ेंगे और जिस दिन वोट देने की बात आयेगी, वोट देने का जो अधिकार संविधान में उन्हें मिला है, उनका वे प्रयोग नहीं करेंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों में वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया गया है।

कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें प्रत्याशी पसंद नहीं है। अगर प्रत्याशी नहीं पसंद है तो उसका क्या कारण है, उसको आप कैसे बदल सकते हैं, उसके प्रति आप अपनी अनिच्छा कैसे प्रकट कर सकते हैं? वह केवल घर में बैठ कर चर्चा करने से नहीं होगा, आपको नोटा का एक बटन मिला है, आप उसका प्रयोग करिए, लेकिन आपको वह प्रयोग करना पड़ेगा। आपको मतदान के लिए जाना पड़ेगा। आप बिना मतदान के अपने प्रत्याशी को कैसे चुनेंगे? आप घर में बैठे-बैठे किसी विषय के प्रति कैसे राय बना सकते हैं?

कुछ लोग जो इसके घोर विरोधी हैं, जो अनिवार्य मतदान के विरोध में लिखते हैं उनके दो-तीन सवाल है, उनके सवाल ज्यादा नहीं हैं। वह भी मानते हैं कि देश में अनिवार्य मतदान होना चाहिए। वह कहते हैं कि आंतरिक पलायन और स्वास्थ्य का मामला है।

आज टेक्नोलॉजी का युग है। अगर आज यह संभव नहीं है, आज से 68 साल पहले देश में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, दुनिया में इतने ज्यादा संसाधन उपलब्ध होते तो शायद उसी समय अनिवार्य मतदान कर दिया जाता। आज देश में और दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं कि जो जहां से चाहे वहां से मतदान कर सकते हैं। अनिवार्य मतदान केवल मतदान नहीं है, इसके माध्यम से बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, इसके माध्यम से देश से तुष्टीकरण दूर हो सकता है, देश में मतदाताओं की एक सूची बन सकती है, इस देश में जो चुनाव अव्यवस्थित है, उसे व्यवस्थित किया जा सकता है। यह अनिवार्य मतदान इस देश के लिए मील का पत्थर'

साबित होगा। इसलिए अनिवार्य मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं लेकिन जब इस पर चर्चा होगी और सरकार इस पर गंभीर रूप से विचार करके, जब इसके लिए नियमावली बनायेगी तो जितने विरोधियों के इसके विपक्ष में जो तर्क हैं, वे अपने-आप ध्वस्त हो जायेंगे। अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से एक मतदान की व्यवस्था कर सकती है और जिस दिन इस देश में अनिवार्य मतदान हो गया, इस देश से तुष्टिकरण खत्म हो जायेगी, फिर देश के राजनैतिक कार्यकर्ता सिर्फ वोट के लिए नहीं दौड़ेंगे, वे क्षेत्र में जाकर समाज के विषय में बात करेंगे। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती कविता कल्वकुंतला (निजामाबाद): महोदय, मैं अनिवार्य मतदान अधिकार विधेयक का मुख्य रूप से समर्थन करती हूं, लेकिन जब भी हम मतदान के बारे में सोचते हैं, तो मेरा मानना है कि भारतीय होने के नाते हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना चाहिए। आजादी के समय जब गांधीजी ने कहा था कि 'सिर्फ मैट्रिक पास लोगों को ही मतदान का अधिकार मिलना चाहिए', तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था 'सभी को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए'। इस देश के नागरिक के रूप में मतदान करने का अधिकार रखने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसलिए, मतदान के अधिकार ने, बड़े पैमाने पर, गांव के सभी लोगों को सम्मान की भावना दी है तथा विशेष रूप से इसने जाति और समुदाय के मतभेदों तथा सामाजिक असमानता को काफी हद तक खत्म कर दिया है।

जिस देश में सभी के लिए मतदान का अधिकार था, आज हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ हम सभी से मतदान करने का अनुरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से, यह विधेयक कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में बात करता है जहाँ यह लोगों को मतदान न करने पर सज़ा देने का प्रस्ताव करता है और जहाँ यह लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करता है। उस पर जाने से पहले, मैं वास्तव में यह कहना चाहूँगी कि आज हम सभी राजनेताओं और जन प्रतिनिधियों को थोड़ा सोचना तथा आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ सड़े सेबों ने पूरी टोकरी को सड़ा दिया हो। इसी तरह, कुछ बुरे राजनेताओं या कुछ बुरे उदाहरणों ने हमारे पूरे संस्थान को बहुत बदनाम कर दिया है। आज लोगों को लगता है कि राजनेता जो कुछ भी कहते हैं वह वादा हमेशा खाली जाता हैं जैसा होता है और वे कभी भी अपनी बात पूरी नहीं करते हैं और इसलिए उनके मत देने का क्या मतलब है।

जब हम मतदान स्वरूप की स्पष्ट रूप से जांच करते हैं - निरक्षर *बनाम* साक्षर मत - निरक्षर लोग आमतौर पर गांवों और देहाती इलाकों में साक्षर लोगों की तुलना में ज़्यादा मतदान करते हैं। साक्षर लोग, जो बहुत पढ़े-लिखे हैं, जो प्रणाली को जानते और समझते हैं, वो जानते हैं कि वे प्रणाली को बदल सकते हैं, वे किसी तरह मतदान करने नहीं आते। अब सवाल यह है कि: हम उन्हें वोट देने के लिए कैसे लाएँ? किसी को

दंडित करके या किसी का ड्राइविंग लाइसेंस छीनकर ऐसा करना, मुझे नहीं लगता, की यह लोकतंत्र का सही मतलब है। लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वे खुद ही मतदान करने आएं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह इस तरह की संस्थाओं का सम्मान बढ़ाकर किया जा सकता है।।

जब हमारे सहयोगी यह विधेयक लेकर आए हैं तो मैं उनसे कुछ और प्रावधान जोड़ने का भी अनुरोध करूंगी। किसी भी राजनीतिक दल को खुद को पंजीकृत दल कहने के लिए कम से कम 17 प्रतिशत मत हासिल करने होते हैं, लेकिन जब वही दल अपने वादे पूरे नहीं करते तो चुनाव आयोग के नियमों में कहीं भी इसका प्रावधान नहीं है कि उस दल का क्या करना है या चुनाव आयोग उस दल को क्या दंड दे सकता है। या व्यक्तिगत रूप से एक संसद सदस्य के रूप में, मैं अपने लोगों से दस वादे करती हूं और यदि मैं अपने कार्यकाल के अंत में उन सभी को पूरा नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है, कानून के अनुसार, मुझे लोगों को स्पष्टीकरण देने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। जब तक हमारी संस्था में उस तरह की जवाबदेही नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की दंड लोगों को आकर मतदान करने के लिए प्रेरित करेगी।

मैं इस विधेयक को लाने वाले साथी सदस्य की पीड़ा, दर्द और चिंता को ईमानदारी से समझती हूं, लेकिन कई वर्ग ऐसे हैं जो नागरिकों को दंडित करने की बात करते हैं और कई वर्ग ऐसे हैं जो मतदान करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं। मैं इसके अधिकांश भाग से सहमत नहीं हूं; मैं विधेयक की भावना से सहमत हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ, लेकिन मैं अपने सभी साथियों से भी अनुरोध करती हूँ और उनसे यह भी सिफारिश करती हूँ कि हम और अधिक जवाबदेह बनें, सदन में बहस की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास करें, अपनी संस्था के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करें। फिर, लोग अपने आप ही मतदान करने के लिए आएँगे।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कम्पलसरी वोटिंग बिल, 2014 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं जनार्दन सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सोच जो डैमोक्रेसी में सबसे जरूरी है, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना, उसे इस सदन के समक्ष लाने का काम किया।

<u>अपराह्न 04.59 बजे</u> (श्री आनन्दराव अडसुल *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

जहां इस बिल को पढ़कर खुशी हुई वहीं दूसरी ओर कई ऐसी खामियां भी दिखीं जिनके तहत मुझे लगता है कि इस बिल को दुबारा रिवाइज करना चाहिए। इस बिल को लाने की बात बहुत की जाती है। एक देश जिसकी जनसंख्या 123 करोड़ लोगों की है, मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल कार्य अगर कुछ होगा तो वह यह होगा। 18 साल से ऊपर के एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना सबसे बड़ी समस्या होगी।

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

[हिन्दी]

जितने इलिजबल वोटर्स हैं, उन सभी को एक दिन के अंदर पोलिंग बूथ में लाना और वोट डलवाना कठिन है, चुनाव आयोग की दिक्कतों को लाना, ये तमाम बैरियर हैं। इन बैरियरों को पढ़कर और समझ कर इसमें सुधार लाना पड़ेगा।

हम अक्सर टीवी और अखबारों में देखते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर हमारा वोट कोई और दे देता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो पोलिंग आधिकारी कहते हैं कि आपका वोट सुबह नौ बजे डाल दिया गया। आज आधार कार्ड के लिए फिंगर प्रिंट लिए जा रहे हैं, बायोमिट्रिक आई-स्कैन ली जा रही है। क्यों नहीं वोटिंग मशीन में भी फिंगर प्रिंटिंग जैसी सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है? जिसमें बायोमिट्रिक वेरिफिकेशन की सुविधा हो, जिससे पता चल सके कि जो वाट डाला जा रहा है वह उसका खुद का वोट है न कि किसी दूसरे के नाम पर वोट डाल जा रहा है। आज 20 से ज्यादा देशों में कम्पल्सरी वोटिंग जैसे कानून हैं। सिंगापुर हमारे सिटी

स्टेट के बराबर हैं, वहां कम्पलसरी वोटिंग सही तरह से चल रही है किंतु बड़े देश आस्ट्रेलिया में यह सुविधा सही तरह से नहीं चल रही है। अगर हम अपने देश में इस तरह का कानून लाएंगे तो सबसे बड़ा बैरियर हमारी जनसंख्या होगी। बिल के दूसरे पेज पर मैंने पढ़ा कि जो व्यक्ति वोट नहीं डालेगा उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा, दो दिन की सजा, उसका राशन कार्ड छीन लिया जाना और दस साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की बात शामिल है। यदि आप इस तरह की सुविधाएं किसी व्यक्ति की छीनेंगे तो सबसे ज्यादा झटका गरीब आदमी को लगेगा। अगर आपको सुविधाएं छीननी है तो बिजली की सुविधाएं वापस लीजिए, पानी की सुविधा वापस लीजिए, गैस कनेक्शन की सुविधा वापस लीजिए। जब बड़े-बड़े बिजनेस मैन वोट डालने आते हैं तब वहां टीवी कैमरा लगा होता है और अगले दिन उनकी फोटो छपती है। मगर गरीब आदमी की बहुत सारी मजूबरियां हैं। अगर एक दिन उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसको धक्के मारकर आप वोट नहीं डलवा सकते, उसकी सुविधाएं नहीं छीन सकते। मैं जनार्दन जी से अपील करूंगा कि वह इस बिल में संशोधन लाएं, यह प्रोसेस केवल एक दिन का नहीं होना चाहिए। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। दस दिन पहले से वोटिंग शुरू हो जाती है और आखिरी दिन वोटिंग खत्म होती है। हर स्टेट के अंदर अलग-अलग समय पर वोटिंग होती है, किंतु रिजल्ट एक दिन आता है। हमें भी ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर इस बिल में लाना पड़ेगा जिसके तहत हर नागरिक के पास बराबर का अधिकार हो, जिससे वह अपने हिसाब से वोट डाल सके। अगर हम मैनडेटरी वोटिंग लागू कर रहे हैं तो हर नागरिक के पास यह अधिकार भी होना चाहिए कि हमारे द्वारा निवारचित सांसद, विधायक, जिला परिषद् या सरपंच जब हमारी सोच के अनुसार कार्य न करे तो उसे दुबारा वोटिंग करके वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए। चौधरी देवी लाल ने वर्ष 1989 में इसी सदन में कहा था कि जो लोग हमें चुन कर भेजते हैं उन लोगों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वे दुबारा वोटिंग करके हमें उस सीट से उतार सकें। राइट टू रिकॉल भी इस बिल में शामिल होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अगर हम वोटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे हम अपने आधार कार्ड को मोबाइल नम्बर से अटैच कर सकें। हम ऑन लाइन ऐसी व्यवस्था कर पायें कि आज जो भारतीय पढ़ाई या नौकरी करने के लिए विदेशों की धरती पर बैठे हैं, वे भी इस सुविधा

का लाभ उठा पायें। वे भी ऑन लाइन वोटिंग करके या अपने मोबाइल के तहत वोटिंग करके इस देश की डेमोक्रेसी में अपना योगदान दे पायें।

माननीय सभापति महोदय, डिजीटल इंडिया का इस बिल में किस तरह से उपयोग होगा, उस बारे में मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वे इस पर भी बड़ी गंभीरता से सोचें। हमारे कई साथी इमर्जेंसी ड्यूटीज करते हैं, जो माइन्स ऑवर्स में काम करते हैं, जैसे डाक्टर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करने वाले जवान हैं या जो वोटिंग वाले दिन हमारे पोलिंग बूथ के बाहर बन्दूकें पकड़ कर बैठते हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं। वोटिंग बूथ के अंदर हमारे मास्टर्स, टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं। मैं अपील करूंगा कि जब हम वोटिंग मेनडेटरी कर रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं लेट ऑवर्स वोटिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि हर सिटिजन, चाहे वह कहीं पर भी ड्यूटीज पर हो, वह भी आकर अपने वोट का इस्तेमाल कर पाये।

जहां तक वोटिंग बूथ की बात है, चूंकि यह मेरा पहला चुनाव था, उसमें सबसे बड़ी समस्या यह देखने में आयी कि बुजुर्ग वोट देने नहीं जाते। मगर मैं एक बूथ चैक करने गया, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि चार युवा साथी एक 93 साल की महिला को चारपाई पर बैठाकर पोलिंग बूथ में भागकर घुसा रहे थे, क्योंकि छः बजने में केवल दस मिनट का समय बाकी था। वह माताजी 93 साल की उम्र में भी वोट डालना चाहती थी, तो हमें ऐसी सुविधा बनानी पड़ेगी। चाहे हम मोबाइल वोटिंग मशीन्स बनानी पड़े, जो 75 साल की उम्र से ज्यादा आयु के व्यक्ति के घर पर जाकर वोट डलवाने का काम करे। उस समय मैं मानूंगा कि हमारे देश में हरेक को बराबर अधिकार है कि वह अपने वोट का उपयोग कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर मेनडेटरी वोटिंग कर दी जायेगी, अगर सदस्य मानेंगे तो उसका समय भी एक से दस दिन का कर दिया जायेगा, लेकिन इससे हमारे कई साथी नाराज भी होंगे। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा कि यदि वोटिंग पीरियड दस दिन का होगा, तो इस दौरान एग्जिट पोल या टी.वी., अखबार में जो एडवर्टाइजमैंट चलती है, उसे कम्पलीटिली बैन करना पड़ेगा, क्योंकि दस दिनों में कहीं न कहीं ये लोग वोटर्स को इंफ्लूअन्स भी करेंगे और जो रोल मेनडेटरी वोटिंग का है, वह भी डिस्टर्ब होगा। मैं माननीय सदस्य से यह भी आग्रह करूंगा कि वे इस पर भी सोच-विचार करने का काम करें। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिये गये हैं कि सरकारी नौकरी, एजुकेशन में भी कम्प्लसरी वोटिंग के तहत युवा साथी साथ दे रहा है, उनको सहायता देने का काम करेंगे। मैं यह भी आग्रह करूंगा कि जितने सुझाव सभी सदस्यों द्वारा दिये गये हैं, उन्हें आप इस बिल में अमेंडमैंट्स के तौर पर लाने का काम करें। आपने बड़ी अच्छी सोच के साथ इस बिल को लाने का काम किया है। मैं अपनी ओर से आपका पूरा समर्थन करता हूं और यही आग्रह करूंगा कि इनमें जो संशोधन जरूरी हैं, उन्हें आप लाने का काम करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर): माननीय सभापति महोदय, इस सम्मानित सदन में अनिवार्य मतदान विधेयक पर बोलने के लिए मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। [हिन्दी] इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर डेमोक्रेसी के तहत, प्रजातंत्र के तहत वोटर्स का राज है। हम सब यहां वोट्स के द्वारा आये हुए हैं। लेकिन माननीय सदस्य जो हमारे मित्र हैं, जनार्दन सिंह जी एक लर्निड मैम्बर हैं और यह अच्छे सुझाव के साथ अच्छा बिल लेकर आये हैं। आज की तारीख में चाहे म्युनिसिपैलिटी की वोटिंग हो, पीआरआईज की हो, लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए हो या पार्लियामैंट के लिए हो, 50 टू 60 परसेंट वोटिंग के आधार पर सरकार बनायी जाती है। [अनुवाद] कभी-कभी यह 50 प्रतिशत से भी नीचे चला जाता है और यह ऐसा मामला है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। [हिन्दी] वास्तव में यह कैसे चलेगा कि 50 परसेंट वोट दे रहे हैं और उसके आधार पर गवर्नमैंट बनायी जा रही है? आपकी यह सोच सही है कि कम्प्लसरी वोटिंग की जाये। उसके लिए आपने एक अच्छा बिल ड्राफ्ट किया और उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं अपने विद्वान साथी को धन्यवाद भी दूंगा और कुछ हद तक इस बिल का समर्थन भी करूगा, लेकिन जैसे मेरी विद्वान साथी चौटाला जी ने बताया कि इस बिल में कुछ कमियां भी हैं, उनका भी मैं दो मिनट में जिक्र करना चाहूंगा। [अनुवाद] चुनाव और मतदान जीवन रेखा हैं। [हिन्दी] प्रजातंत्र बिना वोटिंग के अधूरा है इसलिए अच्छा बिल लाया गया है। 1892 में बेल्जियम में पहली बार कम्पलसरी वोटिंग इंट्रोडयूज़ हुई थी। 1912 में आस्ट्रेलिया में इसे लाया गया। 32 देश कम्पलसरी वोटिंग के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। 22 देशों में कम्पसलरी वोटिंग है, इसमें ब्राजील, अर्जेन्टीना, चिल्ली, उरुग्वे है। विशेष तौर पर यह लैटिन अमेरिकी देशों में ज्यादा है।

भारत की परिस्थितियों को देखते हुए यह बिल लाया गया है। भारत बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। यहां एक बिलियन के लगभग मतदाता है। कम्पलसरी वोटिंग का क्या तरीका होना चाहिए? आपने यह नहीं लिखा है कि वोट नहीं देने वालों के खिलाफ क्या किया जाएगा। इसमें दो दिन के इम्प्रिजनमेंट के बारे में लिखा गया है। आस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, यहां 1912 से यह लागू है लेकिन वहां भी इस प्रकार की पनिशमेंट प्रपोज

नहीं की गई है। मेरा मानना है कि इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी को ट्रांसफर कराना होता है तो अपने पिताजी, माताजी या दादाजी को बीमार बताते हैं, इसी तरह लोग सटीरफिकेट लेने जाएंगे कि उस दिन मैं बीमार था, इसलिए वोट देने नहीं गया। इस तरह वे पैसे खराब करेंगे और करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि इस तरह का प्रावधान न रखें।

क्या भारत को मैच्योर कंट्री के रूप में दिखाना चाहते हैं जिसके कारण कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। आपको कम्पसलरी वोटिंग के लिए मैरिट्स को देखना होगा। कोई व्यक्ति जितनी ज्यादा वोटों से जीतकर आता है इसका मतलब है कि उसकी लाएबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा लोग उसे पहचानते हैं, उसकी पापुलेरिटी ज्यादा लोगों में है इसलिए वह इलैक्शन जीत पाया। यह टॉपमोस्ट मैरिट है। डिमैरिट है कि आप किसी मतदाता को कम्पैल करके आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। यह मतदाता की पर्सनल लिबर्टी है, अगर वह वोट नहीं देना चाहता, उसे कैसे इम्पोज कर सकते हैं? उसे कैसे हार्ड प्रैशर दे सकते हैं कि तुम्हें वोट देना पड़ेगा। यह तो उसकी पर्सनल लिबर्टी पर कुठाराघात हो। आपको मैरिट्स और डिमैरिट्स को देखना पड़ेगा। आपने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन आप इसे भी देखें।

कम्पलसरी वोटिंग में मतदान करने के लिए इन्सेन्टिव्स जरूरी हैं। आप देखें कि कम्पलसरी वोटिंग के लिए वर्तमान सिस्टम में इन्सेन्टिव्स इंट्रोड्याूज करके किस प्रकार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। कई बार पोलिटिकल पार्टियां बहुत ज्यादा जागरुकता से काम करती हैं, और वोटिंग 70 पर ले आती हैं। पार्लियामेंट की 70-80 परसेंट तक पोलिंग जाती है, विधान सभा की 78-80 परसेंट तक पोलिंग जाती है और यही कारण है कि रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। पोलिंग हाई होती है तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन सी पार्टी आएगी। यह सिस्टम के आधार पर भी है लेकिन इन्सेन्टिव के कारण भी है। पोलिटिकल पार्टियां ऐसा नैटवर्क बनाकर और अच्छे लोगों से संपर्क करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकती हैं। लेकिन इससे पहले इन्सेन्टिव्स की जरूरत है, लोगों को जागरुक करने की जरूरत है ताकि वे वोट को अपना अधिकार समझें। वे समझ सकें कि वोट के क्या फायदे हैं। जो जोग अपने आपको हाइली क्वालिफाइड समझते हैं, वे भी वोट नहीं देते हैं। जैसा अभी उदाहरण दिया गया किया 93 वर्ष की लेडी ने वोट दिया। इसके लिए जागरुकता जरूरी है।

आपने जो बिल पेश किया है, इसमें फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन, रिपरक्शन आदि को देखा गया है। यह बिल वैल ड्राफ्टिड बिल है। मेरा सुझाव है कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। कम्पलसरी वोटिंग की जब परिस्थितियां आएंगी तो सरकार भी इस बारे में सोच सकती है। इस बिल में अभी और संशोधनों की आवश्यकता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इंसेंटिव्स को और जोड़ा जाए। जहां पर एक तरह से नकारात्मक तरीके से या कुठारात्मक तरीके से प्रोविजन्स किये जा रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाए या उसका राशन कार्ड निलम्बित कर दिया जाए, वह नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और जहां पर वोट न देने के कारण इतना आधिक उनको हैरेस किया जाए या उनको पनिश किया जाए, ऐसे प्रोविजन्स करना उचित नहीं है। अत: मेरे मित्र एवं विद्वान साथी जनार्दन जी से कहूंगा कि इसको रीड्राफ्ट करें और इसको सही ढंग से लाएं, जैसे कि चौटाला जी ने कई सुझाव दिये हैं। इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा कि इस बिल को वापस विदड्रा करके, पुन: नये सिरे से ड्राफ्ट करके, उसमें सारे एक्शंस, रिएक्शंस, रिपरकशंस सारी बातों को देखकर, समझकर ड्राफ्ट करके पेश करें तो ज्यादा उचित होगा। ऐसा मेरे साथी से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय सभापति जी, एक आति महत्वपूर्ण विषय अनिवार्य मतदान पर जो विधेयक हमारे साथी जनार्दन जी लेकर आए हैं, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इन्हें बधाई भी देता हूं कि अच्छा प्रस्ताव आया है। लोकतंत्र की सेहत और सूरत मजबूत और बेहतर हो, इसके लिए यह प्रस्ताव आया है।

सभापति जी, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते, आजादी के महान दीवाने नहीं होते, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सैनानियों ने और हमारे नेताओं ने भारत को आज़ाद कराने में कफी बलिदान और अपना खून बहाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान रचा, उस संविधान में उन्होंने सबको एक वोट का अधिकार दिया। हमारे भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है और हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भी है। उसी संविधान ने जो अधिकार दिया कि सभी को मतदान करने का अधिकार है, यहां तक कि चाहे कोई राजा हो या रंक हो या राजा हो या मेहतरानी हो, यानी चाहे कोई महल में रहता हो या झोंपड़ी में रहता हो, मतदान के अधिकार के मामले में सभी एक हो जाते हैं। इसमें स्पेशल प्रिविलेज नहीं है।

इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राजा हो या रंक हो, सभी मतदान केन्द्र पर एक संग दिखेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है लेकिन हमें मतदान को अनिवार्य मतदान करना है। हमारे लोक तंत्र की यह महिमा है जिसके कारण हम आज पार्लियामेंट में हैं। चाहे नर हो या नारी हो, समता के साथ हम वोट करते हैं। जो हमारा वोट देने का अधिकार है, उस वोट देने के अधिकार को हम लूट में नहीं बदल सकते हैं।

मतदान किसी की जमींदारी नहीं है। यह हिस्सेदारी है, भागीदारी है और अपनी मर्जी से मतदान देने की स्वीकृति हरेक को होती है जिसे हमें और भी अनिवार्य और महत्वपूर्ण बनाना है। वोट के अधिकार को छोट का अधिकार कहा जाता है। वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार है। यानी गरीब का अधिकार है। हजारों साल से दबे हुए लोगों का अधिकार है। जो उपेक्षित हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, नाई हैं या कुम्हार जाति के लोग हैं या जिन्हें आप छोट कहते हैं, यानी वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार है। यही हमारा

अधिकार है। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो यहां पर डॉ. राम मनोहर लोहिया नहीं आते, कर्पूरी ठाकुर साहब नहीं आते, मुलायम सिंह यादव जी नहीं आते और लालू प्रसाद यादव जी नहीं आते, नीतिश कुमार जी नहीं आते। ऐसा सभी राज्यों में है।

भारत के विभिन्न राज्यों में है। वोट का अधिकार गरीब को, शोषित को, दलित को, लाचार को, माइनॉरिटी को और मुस्लिम को, सभी को दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि वोट का अधिकार किसी की जमींदारी नहीं है। पासवान जी आए, रामसुंदर दास आए, जीतन राम मांझी भी आए। सब आए। इसीलिए मैंने कहा कि अनिवार्य मतदान होना चाहिए। भय मुक्त होना चाहिए। लालच नहीं होना चाहिए। आज दुनिया दौलत, माल-खजाने पर नज़र डालती है लेकिन दौलत, दुनिया, माल-खजाना दुनिया में रह जाएगा, वोट के अधिकार को संविधान में हमें मजबूत करना है। यही लोक तंत्र की गरिमा है। वोट नहीं तो हजारों साल से सताये हुए लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वोट की सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं। वोट की ताकत मजबूत होनी चाहिए और अगर जनता की अपेक्षाओं पर खरे न उतरें तो सीढ़ी से उतारने का भी अधिकार रहना चाहिए। श्री लोकनारायण जयप्रकाश जी कहा करते थे कि नीचे उतारने का भी अधिकार होना चाहिए। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अगर जनता नाराज हो जाती है तो जिस लोकतंत्र की सीढ़ी से नेता ऊंचाई पर जाते हैं, उसे उतारने की ताकत भी मतदाता में है। मतदाता अगर सीढ़ी पर चढ़ाता है तो उसे उतार भी लेता है। चाहे कोई भी हो कभी भी इतराना नहीं चाहिए। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। आज चाहे एमएलए हो या एमपी हो या सरपांच हो या वार्ड कमिश्नर हो, किसी भी पद पर नर-नारी का भेदभाव नहीं है इसीलिए हम आज इस माइक पर सदन में बोल रहे हैं। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि हमारा जो आदिवासी भाई वहां बैठा है, वह गौरव के साथ बैठा है। हमारी छाती ऊंची होती है कि गरीब को वोट देने का अधिकार मिला है। यही हमारी गरिमा है, यही हमारी ताकत है। चाहे जिस भी राज्य में हो, मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं, वे आज तक ठीक नहीं हुई हैं। मतदाता सूची के नामों में भी हेराफेरी होती है। पुरुष के पहचान पत्र पर महिला की फोटो लग जाती है और महिला के पहचान पत्र पर पुरुष की फोटो लगी होती है। यह स्वयं मैंने देखा है। आज इसे सुधारना सबसे कठिन काम है। उम्र लिखने में भी

गड़बड़ी दिखाई देती है। गरीबों के नाम मतदाता सूची में से काट दिए जाते हैं। बूथों पर उनके नाम हटा दिए जाते हैं, इस चालाकी पर भी रोक लगानी बहुत जरूरी है। गरीब लोग चाहे किसे भी वोट दें, लेकिन उनके वोट का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। उन्हें यातायात की सुविधा भी मिलनी चाहिए। लोगों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र देना सरकार का जिम्मा है। वोटिंग जरूरी है और वोटिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी है। जंगल में, पहाड़ में, गांवों में रहने वाले लोगों को सताया जाता है। उन्हें अपमानित किया जाता है और कहा जाता है कि यह इलाका आदिवासी लोगों का है, यह गरीब का इलाका है, यहां उग्रवाद है और उग्रवाद के नाम पर वहां के बूथों को 15-15 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है। गरीब आदमी को वोट देने के लिए पांच-पांच नदियां पार करनी पड़ती हैं। बूढ़े लोग, विकलांग लोग इतनी दूर वोट देने के लिए कैसे जाएंगे, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। उग्रवाद के नाम पर बूथों पर कब्जा किया जाता है।

मैं अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों के वोट के अधिकार को सुरक्षित किया जाए।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

महोदय, वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि वोटिंग कंप्लसरी क्यों होनी चाहिए, वोट देने का अधिकार हमें भारत माता के उन सपूतों ने दिलाया है, जैसा अभी जय प्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में कहा, हमारा देश वर्ष 1947 से पहले गुलाम था। राजगुरू, सुखदेव, चन्दशेखर आजाद आदि ऐसे भारत माता के वीर सपूत थे, जिन्होंने कुर्बानी देकर हमें वोट देने का अधिकार दिलाया। देश का एक संविधान बना। संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक हमें कुछ अधिकार मनुष्य जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। वोट देना अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 32 यह भी कहता है कि अधिकार न मिले तो सुप्रीम कोर्ट दिलवा देगा और किसी की मर्जी है, वह अपने अधिकार का उपयोग करे या न करे। लेकिन यहां मौलिक अधिकार के साथ-साथ हमारा कर्त्तव्य भी बनता है कि हमारे देश के प्रति हमारी कमिटमेंट कितनी है। वोट न देने से कभी-कभी ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं, जो निश्चित रूप से देशद्रोही काम करते हैं और अपने स्वार्थ की बात करते हैं। ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग कहे जाते हैं, शिक्षाविद कहे जाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं, देश के लिए मार्ग बताते हैं कि देश के रणनीतिकारों को इस प्रकार से चलना चाहिए, लेकिन उनको चुनकर भेजने वाले देश के ऐसे लोग होते हैं जिन बेचारों को अपने पेट की भूख पूरी करनी होती है, उनको देश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उनको लगता है कि मैं वोट दूंगा तो यह नेता बन जाएगा और मुझे पांच वर्ष तक कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आज जो मिलता है, उसे मैं ले लूं। ऐसे लोगों को लाभ का लालच दिया जाता है और वे लोग वोट कास्ट कर देते हैं। वोट का महत्व क्या है, कौन लोग चुनकर आने चाहिए, किन लोगों को देश की गति आगे बढ़ानी है या यदि यह देश आजादी के रूप में हमें मिला है तो इसीलिए मिला है कि हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं। अब राजा केवल रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा किसी गरीब की झोपड़ी से भी पैदा हो सकता है। उसके लिए वोट का अधिकार हमें लोकतंत्र में मिला हुआ है। अब ऐसी रानियों के पेट से ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं कि बेचारे बोल भी नहीं पाते, भाषण भी नहीं दे सकते, प्रजेंटेशन भी नहीं रख सकते, पढ़कर बोलते हैं तो आंकड़े भी सही नहीं बोल पाते, फिर भी लोग उनके पीछे

लगे रहते हैं। यह लोकतंत्र का अधिकार हमें इसलिए मिला है कि अगर कोई कैपेबल व्यक्ति है, कोई इस देश को चलाने वाला व्यक्ति है, जो इस देश को दुनिया में आगे ले जा सकता है, देश का नाम आगे बढ़ा सकता है तो उसके लिए वोट की ताकत है। देश के हर नागरिक का यह कर्त्तव्य बनता है। निश्चित रूप से सरकार को भी चाहिए कि उन लोगों में यह जागरुकता पैदा की जाए कि आपके वोट की इतनी बड़ी कीमत है।

देश आजाद होने के बाद जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, एक बार वह किसी राज्य में गए, वहां एक प्रधान ने उनका गिरेबान पकड़ लिया। नेहरू साहब की गिरेबान पकड़कर वह बोले - तुम कहते थे, हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। तब नेहरू जी ने कहा था कि इसी को आजादी कहते हैं कि तुम्हें देश के प्रधानमंत्री की गिरेबान पकड़ने का अधिकार मिला हुआ है। यही आजादी है, लेकिन आज कुछ लोग इसका मिसयूज करते हुए, केवल सुशासन के नाम से टोपियां पहनकर आज भी लोगों को भटकाव के मार्ग पर ले जा रहे हैं कि हम आजाद नहीं हैं। उनको आजादी का मतलब समझाने के लिए देश में इस कानून में बदलाव लाया जाना चाहिए, वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए। अगर सड़क नहीं बनती है तो उस गरीब आदमी की चप्पल टूट जाएगी, साइकिल टूट जाएगी, लेकिन सड़क नहीं बनती है। अगर अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो देश का विकास करने की सोचेंगे। जिन लोगों को वोट के नाम पर शराब पिलाई गयी है या थोड़ा सा लालच दे दिया गया है, वे बेचारे पांच वर्ष तक पाप भोगते रहते हैं। अभी जिक्र किया गया है कि गांवों में पानी नहीं जाता है, सड़कें नहीं जाती हैं, वह इसी कुण्ठित मानसिकता के कारण है कि हम वोट पैसे देकर ले लेंगे, लालच देकर वोट ले लेंगे, जाति के नाम पर ले लेंगे। मेरी जाति का मैं उत्थान करूंगा, इसलिए लोग मुझे वोट देंगे। ऐसे भी लोग वोट दे देते हैं। मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं जो कानूनविद् लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे घरों में बैठे रहते हैं कि इतनी तेज धूप में मैं क्यों जाऊं, आखिर मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है और अपने राज्य का, अपने देश के भाग्य का फैसला वे लोग कर देते हैं, इसको कोई व्यक्ति अन्यथा न ले, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जिन लोगों को अपने भविष्य की जानकारी नहीं होती है, जो सुबह मजदूरी करने जाते हैं और शाम को आते हैं, उन 100 प्रतिशत लोगों को लालच में वोट डालने के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए समझदार लोग भी वोट डालें, देश के प्रति उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, उन्हें आलस्य त्यागना चाहिए। इसलिए

वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए। इस प्रस्ताव के पक्ष में मैं यह बात कहूंगा, मैं सरकार वाली बात न कहते हुए, यह कहूंगा कि जब यह कानून लागू होगा तो अमेंडमेंट्स ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी, लेकिन लोगों को जो सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं डालता है तो पांच वर्ष तक उसे सब्सिडी आदि सरकारी सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा प्राविजन देश के कानून में होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता तो उसे सरकार से कोई ग्राण्ट लेने का भी राइट नहीं बनता है। ऐसा कोई प्राविजन होना चाहिए और देश में वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : सभापति जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और अच्छे विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। [अनुवाद] देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान का प्रावधान करने वाला विधेयक और उससे संबंधित मामले [हिन्दी] देश भर में यह बहुत महत्वपूर्ण बात हैं। हम चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में बने कानून में एक संशोधन पहले भी कर चुके हैं।

कई वर्ष पहले लोग वोटिंग के लिए बहुत ही कम संख्या में जाते थे और लोगों को मतदान केन्द्रों पर लाना पड़ता था। उस समय करीब 52-53 प्रतिशत मतदान होता था। बड़े-बड़ शहरों में तो 27 से 30 प्रतिशत तक ही मतदान हो पाता था क्योंकि,आधिकांश लोग वोट डालने नहीं जाते थे। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं देने जाता तो उसे अगले पांच साल तक सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से वंचित रखना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं और इसलिए मेरा भी मानना है कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। जब चुनाव होता है, लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, अगर किसी को उसकी पसंद का उम्मीदवार अपने क्षेत्र में नहीं लगता तो अब वोटिंग मशीन में 'नोटा' का भी सिम्बल है, वह उसे दबाकर वोटिंग कर सकता है और अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकता है।

हमने यह भी देखा है कि कई जगह किसी एक बस्ती के लोग वोट ही नहीं करते। उनसे पहले ही किसी उम्मीदवार या पार्टी की तरफ से कह दिया जाता है कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे इसलिए आप वोट करने मत जाना। मैं इसी बात पर एक किस्सा बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। मैंने उन बस्ती वालों से पूछा कहा कि इस बस्ती के लोग वोट करने नहीं आए, तो वहां के लोगों ने कहा कि हमें पैसे दे दिए गए हैं इसलिए हम वोट करने नहीं जाएंगे। इस तरह दूसरे लोग वोट का हक ले लेते हैं और सही मायने में वह जनाधार नहीं कहलाता। इस तरह से कई जगह आज भी वोटिंग के समय भ्रष्टाचार होता है।

हम यह भी देखते हैं और समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि लोग चर्चा करते हैं कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वे ही आधिकांश लोग वोट नहीं करते और फिर सरकार पर या जनप्रतिनिधि पर हमला बोलते हैं कि कोई काम नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई वोट नहीं करता, तो उसे फिर इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप वोट करते हैं, तब आप सरकार या अपने जनप्रतिनिधि के बारे में बोलने का

अधिकार सही मायनो में रखते हैं। लेकिन देखा गया है कि वही लोग सरकार या जनप्रतिनिधियों की आलोचना ज्यादा करते हैं जो वोट नहीं डालते। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी पसंद की सरकार या जनप्रतिनिधि चुनना चाहता है तो वह वोट देने अवश्य जाता है।

मैं आपको इस बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब पिछले लोक सभा चुनाव हो रहे थे तो विदेश में रहने वाले मित्र हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने वोट डाला। वे अपने पैसे से यहां आए, वोट डाला और अपने खर्चे से ही वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को वोट डालने आए हैं, क्योंकि मोदी जी की लहर है, वह देश को आगे ले जाएंगे। जब विदेश से यहां लोग वोट करने आ सकते हैं तो यहीं के लोग अपना वोट क्यों नहीं डाल सकते। इस मामले में अभी कुछ सुधार हुआ है और मतदाता सूची में अब व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाती है, जिससे जाली वोट न डाला जा सके।

13वीं लोक सभा में जब एनडीए सरकार थी। उस समय ममता जी एनडी की लीडर थीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी को सिर्फ चार-पांच सीट्स ही मिली हैं, समझ में नहीं आता कि इतने कम वोट कैसे मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और हमारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की छानबीन करने के लिए एक टीम एनडीए की तरफ से भेजी जाए। तब मैं और किरीट सौमेया जी एनडीए के दो प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल गए। हमने वहां चुनाव के दौरान विजिट किया और कई जगह शूटींग भी कराई। हमने कई एरियाज में जाकर लोगों से पूछा और एक मतदान केन्द्र पर हमने देखा कि वहां मतदाताओं की कुल संख्या 800 है और वोट 840 पड़े हैं। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किसने ऐसा काम कराया, लेकिन हमने देखा कि फारवर्ड ब्लाक को दो, कांग्रेस पार्टी को एक और तृणमूल कांग्रेस को एक ही मत मिला। जब हमने कहा कि इतनी वोटिंग कैसे हुई और जब हमने इसकी छानबीन की तो वास्तविकता पता चली। फिर मैंने और किरीट सौमेया जी ने रिपोर्ट बनाई और अडवाणी जी दे दी। उसके बाद हम आडवाणी जी के साथ चुनाव आयोग के पास गए और कहा कि देखिए यह कैसे हो रहा है। वहां लोगों ने वोट नहीं किया, फिर भी उनके नाम का वोट डल गया है।

सभापति जी, मेरा मानना है कि कम्पलसरी वोटिंग जरूर होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग वोट नहीं डालते, उनसे सरकारी सुविधाएं जो इस देश में मिलती हैं, वापस ले लेनी चाहिए। इसलिए कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर मतदाता को अधिकार है अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का और उसे वापस बुलाने का भी अधिकार मतदाताओं को होना चाहिए।

मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। मैं जब महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था और मेरे डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन मिनिस्टर था। वह वर्ष 1986 की लोक सभा थी। मेरे कलेक्टर वहां के रिटर्निंग ऑफिसर थे। हमारी वहां मीटिंग चल रही थी। उसी समय एक लेडी वहां आयी। वह काफी एजुकेटिड थी। उसने डबल पीएचडी की हुई थी। वह मीटिंग में आ गयी। मैंने पूछा कि क्या बात है? वह कहने लगी कि हम आपको वोट देते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता है। आप किस तरह के गार्डियन मिनिस्टर हैं। मैंने कहा कि आप अपना काम बताइए। उन्होंने कहा यह-यह काम है। मैंने कहा कि ये काम तो मैंने पहले ही कर दिए हैं। मेरा यह दूसरा काम नहीं हुआ, इस तरह की बातें मुझे सुना रही थी। तभी मेरी नजर उनकी अंगुली पर गयी। जिस प्रकार से मेरी अंगुली पर परसों की वोटिंग का निशान है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने वोट डाला है? उन्होंने कहा कि हां किया है। मैंने कहा कि अगर किया है तो आप अपनी अंगुली पर वोटिंग का निशान दिखाइए। उनकी अंगुली देखी तो निशान नहीं था। वह घबरा गयी। हाईली एजुकेटिड मैडम जो हमें सिखा रही थी, उसने वोट नहीं डाला था। वह कहने लगी कि वहां मैं गयी थी, लेकिन वहां वोटिंग नहीं हुई। आजकल तो इलेक्शन कमीशन के लोग घरों में वोटिंग पर्चियां बांटते हैं, लेकिन उस समय पार्टी के कार्यकर्ता ही घर-घर जाकर वोटिंग स्लिप्स बांटते थे। मैंने उनसे कहा कि क्या हमारे कार्यकर्ता ने आपको वोटिंग स्लिप दी थी? उन्होंने कहा कि हां दी थी। मैंने कहा, फिर आप वोट डालने क्यों नहीं गए? वह बोलने लगी कि मैं वहां गयी थी, लेकिन मुझे वहां अपना नाम नहीं मिला, इत्यादि। जब आप लोग वोट नहीं डालते हैं तो आपको इतना बोलने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने उनका काम किया। इसका मतलब यह है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, वे वोटिंग नहीं करते हैं। इसलिए कम्प्लसरी वोटिंग होनी चाहिए। अगर कम्प्लसरी वोटिंग होगी तो उनका अधिकार है हम लोगों को बोलने का। अगर हम काम नहीं करते हैं, तो उनको बोलने का अधिकार होता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के

द्वारा अच्छा भारत बनाने के लिए और लोग जब कहते हैं कि संसद में अच्छे लोग जाने चाहिए तो उसके लिए वोटिंग भी लोगों को करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार और इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूंगा कि आप कम्प्लसरी वोटिंग का कानून बनाइए। कम्प्लसरी वोटिंग में नोटा भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन कम्प्लसरी वोटिंग में यदि कोई वोट नहीं डालता है तो उसको पांच साल तक के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर): महोदय, मैं आपको अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो मतदान करने के पात्र प्रत्येक नागरिक के लिए मतदान को अनिवार्य बनाता है।

हमारे जैसे घनी आबादी वाले देश में चुनाव प्रक्रिया एक कठिन काम है जिसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के इस कार्य की सराहना करनी होगी। ऐसा कहने पर भी, हमारे देश में मतदान प्रतिशत अपेक्षित स्तर पर नहीं है।

हाल ही में संपन्न चुनावों में, तमिलनाडु में मतदान प्रतिशत 75 प्रतिशत तथा उससे अधिक था। यह हमारे देश और तमिलनाडु राज्य के नागरिकों के जागरूकता स्तर को दर्शाता है।

हर देश में संसद सदस्यों या विधानमंडलों के सदस्यों या जो भी हो, के चयन का एक अलग तरीका होता है। कुछ देशों में, प्रतिशत दरके आधार पर चुनाव होते हैं। कुल मतों की संख्या की गणना की जाती है, प्रत्येक पार्टी को सीटें मिलती हैं और वे मतों की संख्या के अनुसार चुने जाते हैं। लेकिन हमारे देश में, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में, डाले गए मतों की संख्या ही विजेता का निर्धारण करती है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 75 से 80 प्रतिशत मतदान होता है और कुछ अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में; प्रतिशत 50 प्रतिशत से भी कम होता है। इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। में यह देखना होगा कि जो लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं और जानबूझकर मतदान से बचते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रकार के उपयुक्त उपाय या कदम उठाए जाने चाहिए कि मतदान करने की पात्रता रखने वाले सभी लोग आकर अपना मत डालें या अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

यह अच्छी बात है कि माननीय सदस्य ने दंड जैसे कुछ सुझाव दिए हैं। इसे दंड कहना कठोर है। यह कहना होगा कि नागरिकों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ताकि हर कोई मतदान करे। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सरकार को कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। चूंकि हमारे जैसे विशाल देश में बहुत से लोग इस तरह के प्रोत्साहन के पात्र हैं, इसलिए प्रोत्साहन देना मुश्किल है।

दूसरी बात यह है कि मतदान को आसान बनाया जाए। मतदान केंद्र बहुत पास-पास होने चाहिए। यह माननीय सदस्य द्वारा दिया गया बहुत अच्छा सुझाव है। मतदान केंद्र 500 मीटर की दायरे के भीतर होने चाहिए ताकि हर कोई अपने इलाके में ही वोट डाल सके। इसलिए यह बहुत अच्छा सुझाव है।

एक और सुझाव यह है कि मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अगर इसे अनिवार्य बनाया जाता है, तो मैं दंड में विश्वास नहीं करता। जागरूकता की आवश्यकता है और इसे भारत के नागरिकों को बताया जाना चाहिए। । उन्हें अपने मतदान के अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। यह उनका मुख्य अधिकार है। जिस व्यक्ति को उनके निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाना है, उसे निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद सौ प्रतिशत मतदाताओं द्वारा चुना जाना चाहिए ताकि चुने गए उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जा सके। इसलिए, इस बारे में, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सरकार को उचित उपाय लाकर मतदान को अनिवार्य बनाना चाहिए और इस बारे में कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा करने के लिए कुछ उपायों और संशोधनों की आवश्यकता है।

अंत में, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। महोदय, मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण प्राइवेट मैम्बर बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन जब हम अपने देश की वोटिंग परसैन्टेज को देखते हैं तो हमारे देश में 40-45 परसैन्ट तक वोटिंग होती है। इसलिए कम्पलसरी वोटिंग के बारे में एक प्राइवेट बिल सदन में लाया गया है। इसे कानून के रूप में लाने की गरज अब निर्माण हुई है। क्योंकि हमने देखा है कि 100 परसैन्ट वोटिंग नहीं हुई तो उसमें जो भी लोग अवैध रूप से पैसा, दारू और अन्य प्रलोभनों के माध्यम से चुनाव जीतकर आते हैं, उनके बारे में कोर्ट में केसिज चलते हैं और उनके माध्यम से हमारे लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का एक रास्ता निकलता है। किंतु जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं, दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इन सब रास्तों से ऐसे लोगों का चुनकर आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर 100 परसैन्ट वोटिंग का कानून हमारे देश में आया तो इस देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखने को मिलेगा। डॉ. बाबासाहेब अम्बडेकर ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया और इस संविधान को बनाने में लगभग दो से ढाई वर्ष का समय लगा। डा.बाबासाहेब अम्बेडकर को उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, वह यह थी कि वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए तो बाबासाहेब का कहना था कि इस देश में जिन लोगों की उम्र 21 साल हो गई है, उन सभी को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। लेकिन उस समय संविधान की जो समिति थी, उसमें कुछ लोगों का आग्रह था कि जो लोग टैक्स भरते हैं, ऐसे लोगों को ही वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने उसमें जिद पकड़ी कि इस देश के सभी लोगों को, चाहे वे गरीब हों या अमीर हों, सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और बाबासाहेब के आग्रह के आधार पर आज हमारे देश में, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है और इस अधिकार का सही उपयोग होने की आज गरज निर्माण हुई है।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिल को ऐसे पारित करना चाहिए, जैसे हमने नोटा का बिल पारित किया है। आज नोटा के बिल के बाद समाज में एक अलग प्रवृत्ति आ रही है। अगर हमें किसी को वोट

नहीं करना है, गढ़चौली जो महाराष्ट्र में है, वहां पर नोटा दूसरे स्थान पर रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर सौ टका वोटिंग को हम लोग इंप्लिमेंटेशन करेंगे और उसके लिए कानून को और सख्त करेंगे तो मुझे लगता है कि इस नोटा के कानून की गरज नहीं पड़ेगी। अगर सौ टका वोटिंग हुई तो जो लोग 40 पर्सेंट वोटिंग करते हैं और 60 पर्सेंट एण्ड 100 पर्सेंट लोगों ने वोटिंग किया तो इस देश का लोकतंत्र और मज़बूत होगा तथा अच्छे लोग लोक सभा, विधान सभा या हमारी लोकशाही के जितने भी मंदिर हैं, इन सभी जगहों में अच्छे लोगों को जाने का मौका मिलेगा।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यह कानून आप बनाएंगे और सरकार भी उसका समर्थन करेगी, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यों, विधेयक पर चर्चा के लिए आवंटित समय लगभग पूरा हो चुका है। चूंकि विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए छह और सदस्य हैं, इसलिए विधेयक पर आगे की चर्चा के लिए सभा का समय बढ़ाया जा सकता है। यदि सभा की सहमति हो तो विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है। यह अतिरिक्त समय केवल विधेयक के लिए है। यह एक निजी सदस्य का विधेयक है और हमारे पास छह और सदस्य हैं।

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, आज तो संभव नहीं है।

माननीय सभापति: सिर्फ बिल का टाईम बढ़ा रहे हैं, सदन का नहीं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: हम इस विधेयक पर सायं 6 बजे तक चर्चा करेंगे। उसके बाद, हम शून्यकाल लेंगे। क्या यह ठीक है?

... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: हम सदन का समय केवल विधेयक के लिए बढ़ा रहे हैं, उसके बाद शून्यकाल होगा।

... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: या फिर हम सदन का समय एक घंटा बढ़ाने पर सहमत हैं?

... (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी (धेंकनाल): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बस एक स्पष्टीकरण चाहता था। हम अनिवार्य मतदान के बारे में बात कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: ठीक है। हम शाम 6 बजे तक बैठे रहेंगें।

... (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी: जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं; लोकतंत्र का मतलब स्वतंत्रता है। … (*व्यवधान*) मैं इस विधेयक को पेश करने वाले माननीय सदस्य से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आप मतदान को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं, जबकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत या विश्वास स्वतंत्रता है। यही एक स्पष्टीकरण है जो मैं चाहता था। … (*व्यवधान*)

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): सभापति महोदय, माननीय सदस्य जिन्होंने अनिवार्य मतदान विधेयक लाया है, उनका इरादा अच्छा है। लेकिन प्रश्न अनिवार्य मतदान का नहीं है। प्रश्न चुनाव की पूरी प्रक्रिया का है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। इसलिए समय की मांग है कि चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किया जाए, ताकि जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहे। इसके लिए मैं सी.पी.आई. (एम.) की ओर से मानता हूं कि अगर हमारे देश में सभी विधायिकाओं के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल किया जाए, तभी लोगों की वास्तविक सोच को देखा जा सकेगा।

मुझे लगता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व अच्छा है। दुनिया भर में, 94 देशों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया अपनाई है। जैसा कि हम देखते हैं, सिर्फ़ वर्ष 1971 में ही तत्कालीन सरकार को 50 प्रतिशत से ज़्यादा मत मिले थे। हमारे देश में 50 प्रतिशत से कम मत पाकर ही सभी बाद की सरकारें चलती रही हैं। इसलिए, यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

हम चुनाव प्रचार की वास्तविक प्रक्रिया को विकसित कर सकते हैं और अपने देश में लोगों की चेतना को जगा सकते हैं। हम देखते हैं, जिन राज्यों में हम लोगों की चेतना को जगा पाए, जहाँ लोगों को यह विश्वास हो पाया कि चुनाव मैदान में जो लोग हैं, वे वास्तव में उनके मित्र हैं, वे उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं, तो हमारे देश में लोग मतदान करने आते हैं।

मैं एक छोटे से राज्य त्रिपुरा से हूं। अभी दो दिन पहले ही त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद में एक चुनाव परिणाम सामने आया है। इस मतदान प्रक्रिया में करीब 85 प्रतिशत मतदान हुआ। हमारे राज्य में, लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों में हमने देखा कि लगभग 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत मतदाता मतदान करने आ रहे हैं। इसलिए यह बात अनिवार्य मतदान की नहीं है बल्कि बात यह है कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकर विधानमंडल में उचित प्रतिनिधित्व के लिए चर्चा करनी चाहिए। सी.पी.आई. (एम.) की ओर से हमारी मांग है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि पार्टी की ताकत की वास्तविक स्थिति सदन में दिखाई दे।

आज हम देखते हैं कि 31 प्रतिशत मत पाकर भाजपा बहुमत में है। कांग्रेस को 18 प्रतिशत मत मिले। इस तरह 31 प्रतिशत और 18 प्रतिशत मतों से दोनों प्रमुख दलों को 50 प्रतिशत से ज़्यादा मत नहीं मिले। उन्हें 50 प्रतिशत से भी कम मत मिले हैं।

लेकिन दोनों के पास लगभग 60 प्रतिशत सीटें हैं। दरअसल, हमारे सदन में वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए और सरकार उचित प्रतिनिधित्व के लिए उचित कदम उठाए। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, आज माननीय सदस्य जनार्दन जी के द्वारा जो अनिवार्य मतदान का निजी विधेयक लाया गया है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, जब मतदान और अनिवार्य मतदान की चर्चा होती है तो मन में एक रोमांच सा उठता है कि -

"मतदान का जिन वीरों ने यह अधिकार दिलाया,

मिली न उनको एक दिवस भी इसकी शीतल छाया।"

जब भी मतदान की बात आती है तो भारत माँ के उन अमर सपूतों के प्रति भी एक बार सिर झुक जाता है जो कभी इसी असैम्बली से उस समय की ब्रितानिया हुकूमत को जगाने की खातिर और अपने इस मतदान के अधिकार को पाने की खातिर फाँसी के फंदे पर भी लटकाए गए। ऐसी परिस्थिति में देश के आज़ाद होने के बाद आज छः से सात दशक होने जा रहे हैं और मतदान के प्रति लोगों में उदासीनता बढ़ती जा रही है। सभापति जी, हम लोग भी गाँव-देहात से आते हैं। जब मतदान के दिन जाकर बूथों की स्थिति देखते हैं तो बूथों पर आज भी हमारे गाँव की गरीब महिलाएँ जो मतदान के पूरे इतिहास को शायद नहीं जानती हैं, लेकिन मतदान के अधिकार को ज़रूर जानती हैं कि मतदान उनका लोकतंत्र में कितना बड़ा अधिकार है। उनको अपने इस हथियार के बारे में पता है लेकिन आज जिसे हम बुद्धिजीवी तबका कहते हैं, वह बंद कमरे में किन्तु और परंतु की समीक्षा तो बहुत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस पावन हथियार का उपयोग जब करना होता है तो मतदान से अपने को विमुख करके अनिवार्य मतदान के ऊपर कुठाराघात करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में बटलर पैलेस कॉलोनी है जहाँ पर सवारधिक सिविल सर्विसेज़ के लोग रहा करते हैं। 2007 में मैं अपने गाँव में मतदान डालकर लखनऊ गया चूँकि दो-तीन चरणों में मतदान था। हमारे पिताजी विधान परिषद् के सदस्य थे तो उस समय वहाँ रहते थे और उस आधार पर उनको वहाँ बटलर पैलेस में आवास मिला था। जब मैंने वहाँ जाकर बूथ की स्थिति देखी तो घोर आश्चर्य हुआ कि बटलर पैलेस कॉलोनी में 1568 मतदाता उस समय थे और शाम को जब मतदान बंद हो

गया तो मात्र 152 मत पड़े हुए थे। सोचिए कि उसके प्रति उपेक्षा का भाव कौन रख रहा है, जो कहीं न कहीं व्यवस्था के मज़बूत तंत्र को संभालकर बैठा है। ऐसी स्थिति में मैं बधाई देना चाहूँगा इसी देश के गुजरात प्रांत की सरकार को कि जिस सरकार ने इसके लिए एक शुरूआत करने का काम किया और स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदान को अनिवार्य बनाया।

समय की कमी है। चर्चा तो इस पर बहुत होनी चाहिए थी, लेकिन पुनः मैं सीग्रीवाल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चर्चा देश के सामने रखी। मैं इसका समर्थन करता हूँ इस विश्वास के साथ कि इसकी खामियों को दूर करते हुए इसको अनिवार्य बनाया जाए।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे कंपलसरी वोटिंग बिल 2014, जो कि श्री जनार्दन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, यह बहुत सूझ-बूझ और देश को दिशा देने वाला बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

महोदय, यह बड़ी निराशा की बात है कि आज हमारे देश में जो पढ़ा-लिखा और समझदार वर्ग है, जिसके पास देश की नीति बनाने की ज़िम्मेदारी है, जो बड़ी नौकरियाँ करते हैं, बड़े व्यापार करते हैं, जब वोट देने की बारी आती है तो तरह-तरह की तकलीफें उनको होने लगती हैं और आलस उन पर छाने लगता है। मैंने 2009 में लोक सभा चुनाव लड़ा तो कुल 36 परसेंट मतदान हुआ जो कि बड़ा निराशाजनक है।

<u>अपराह्न 05.59 बजे</u> (डॉ. पी. वेणुगोपाल *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

महोदय, यह बिल एक ऐसा बिल है जिसके माध्यम से हम देश को एक अधिकार के साथ कर्तव्य की भावना का भी अहसास करा सकते हैं। महोदय, कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण मतदान कम होता है। यह बिल बहुत सारी अच्छी चीज़ों को एकत्रित करता है लेकिन इस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैनल्टीज़ लगाती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मतदान लोकतंत्र का एक उत्सव है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैनल्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मतदान करता है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

<u>सांय 06.00 बजे</u>

[हिन्दी]

पेनल्टी के अलावा किस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है, हमें इसकी बात करनी चाहिए। दो कारण होते हैं, जिसकी वजह से मतदाता उदासीन हो जाता है। पहली चीज़ होती है कि देश में बहुत सारे चुनाव होते हैं। समय-समय पर पंचायत के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं। पांच साल में एक मतदाता पांच-पांच, दस-दस बार मतदान करता है तो उसकी वजह से उसे परेशानी होती है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : बस एक मिनट। अब, छह बजे हैं। आप अगली बार जारी रख सकते हैं। अब हम 'शून्यकाल' शुरू करेंगे। यदि सभा सहमत हो, तो हम सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य: ठीक है।

माननीय सभापति: सदन की अवधि बढ़ा दिया गया है।

माननीय सभापति: श्री शरद त्रिपाठी।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, नेपाल में आये भूकम्प से अभी तक हम लोग सबक नहीं ले पाये हैं, जबकि दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत भूकम्प के मुहाने पर बैठा हुआ है। दिल्ली में एक अनुमानित आंकड़े के आधार पर लगभग 70 परसेंट ऐसे मकान हैं, जो भूकम्प की चपेट में कभी भी आ सकते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, जो विशेषकर भूकम्प से ही जुड़ा हुआ है। हमारी भारत सरकार ने बहुत ही कम समय में उत्तर प्रदेश में 28 राजकीय कन्या महाविद्यालय देने का कार्य किया है। मैं अपनी सरकार की माननीय मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगा, लेकिन आज पीड़ा होती है, भूकम्प की इस त्रासदी को देख करके कि आज जो 28 कन्या महाविद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने दिये हैं, उन 28 महाविद्यालयों का टेंडर मनमाने तरीके से किया गया है और उसमें यह आंकलन नहीं कराया गया है कि भूकम्परोधी वह भवन बन रहा है कि नहीं, जहां हमारे भारत का भविष्य कन्याएं पढ़ने जाएंगी, जो हमारी बहनें पढ़ने जाएंगी, वह बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है।

अतः मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार की तरफ आग्रह करना चाहूंगा कि विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा कोई एक तकनीकी कमेटी स्थापित की जाये और जहां-जहां सरकारी भवन भूकम्प के मानक का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बन्द करा करके, जबकि पैसा उसमें भूकम्परोधी भवन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया है, को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।

मैं आपके माध्यम से सरकार का उत्तर प्रदेश पर मैं विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा, चूंकि बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के राजकीय कन्या महाविद्यालयों को बनाने की खातिर दी है व 70 परसेंट धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है, लेकिन उसमें भूकम्परोधी मानकों का पालन नहीं हो रहा है। वहां पर इसे पालन करवाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र जी को श्री शरद त्रिपाठी जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे लोक महत्व के विषय को शून्य काल में उठाने का अवसर दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर में मानव निर्मित एशिया की सबसे बड़ी झील गांधीसागर है, जो कि चम्बल नदी पर बने डैम के कारण विकसित हुई है। मगर उक्त झील के पानी का सम्पूर्ण उपयोग हो, ऐसी कोई योजना बड़े पैमाने पर वहां नहीं आई है। कृषक उक्त पानी का सिंचाई में अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं और औद्योगीकरण की बड़ी सम्भावनाएं इस पानी के उपयोग से सम्भव हो सकती हैं। इससे मिलने वाली नदी शिवना प्रदूषण का शिकार है। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय शिवना को प्रदूषणमुक्त करे व चम्बल नदी के पानी का उपयोग करे तो मध्य प्रदेश व राजस्थान में कृषि, उद्योग व पर्यटन का विकास सम्भव हो सकेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के कृषकों ने बड़े पैमाने पर 1957 में उक्त चम्बल डैम के निर्माण में अपने गांव, अपने खेतों की जमीनें डूब क्षेत्र को सौंपी थीं। उस क्षेत्र की सिंचाई का और क्षेत्र का रक्बा बढ़े, इसके लिए इस क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई के अवसर देंगे तो उससे कृषकों का आर्थिक विस्तार सम्भव होगा।

श्री कँवर सिंह तँवर (अमरोहा) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में धनौरा से गजरौला शहर होते हुए बगद नदी बहती थी, जो कि विकास खण्ड गंगेश्वरी, हसनपुर, गजरौला के गांवों से होकर आगे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। परन्तु, अब यह नदी मात्र एक नाला बनकर रह गयी है। इसमें कई औद्योगिक फैक्ट्रियां अपना रसायनयुक्त प्रदूषित पानी छोड़ते हैं। इसके कारण विकास खण्ड गंगेश्वरी, हसनपुर, गजरौला के ग्रामों तथा हसनपुर विधानसभा के आधिकतर गांवों में लाखों लोग दूषित तथा संक्रमित जल पीने को मज़बूर हैं और इसके कारण वे कैंसर, हेपेटाइटिस-सी जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हैं।

सभापति जी, अगर मैं आपको वहां का पानी दिखा दूं तो आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। वहां के पानी का रंग बिल्कुल पेट्रोल या डीज़ल के रंग के जैसा है। वहां के लोग बदबूदार पानी पीने को मज़बूर हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं तथा वहां पानी की टंकी जल्द-से-जल्द लगवाने की व्यवस्था करें। यहां के निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उनके स्वास्थ्य जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जाए, जिससे इस क्षेत्र में बढ़ रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक प्रभावी नीति बनाई जा सके।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, मैंने रेल भूमि से संबंधित विषय पर बोलने के लिए निवेदन किया था। सड़क चौड़ाकरण के कारण कटनी में सौ साल पुराने मकान गिराए जाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ वहां रेलवे की भूमि है। लेकिन, मैंने इसके लिए भी निवेदन किया था कि आप मुझे अपना विषय बदलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय, केरल में जहां चार महिला खिलाड़ियां ने आत्महत्या की कोशिश की है, मैं दो महीने पूर्व, उसी इंस्टीटयूट्स में स्पोर्ट्स लॉ के कॉन्फ्रेंस में गया था। तब ये परिस्थितियां वहां कुछ चर्चा में थीं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भी खिलाड़ी है और जिस खिलाड़ी का भी शोषण होता है, उसे बिना स्पोर्ट्स लॉ के रोका नहीं जा सकता है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि सरकार स्पोर्ट्स लॉ लाने की तैयारी करे। जो ड्राफ्ट्स आज तक हैं, और जितने मैंने पढ़े हैं, उस आधार पर कभी भी किसी खिलाड़ी को उसके सुनिश्चित अधिकार नहीं मिल सकते। अगर कोई उनके साथ गलती करता है तो उसे सजा मिले, ऐसा कोई प्रावधान आज तक इस देश के कानून में नहीं है। अगर कोई मेरे फीचर्स को खराब करे या मेरे साथ दुराव का कोई व्यवहार करे, तो आज भी कोई कानून उसे सजा देने की स्थिति में नहीं है।

महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी इस सदन में स्पोर्ट्स लॉ लेकर आए या उसको देश के सामने डिस्कसन के लिए लेकर आए, क्योंकि यहां स्पोर्ट्स फेडरेशंस की तानाशाही है। जो आधिकारी हैं, उनकी तानाशाही है। इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच में कोई रास्ता निकाला

जाना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी मध्य वर्ग और गरीब परिवारों से आते हैं। वे शोषण का शिकार होते हैं और इसके कारण वे बाद में इस तरह के कदम उठाते हैं। इसलिए, इसका स्थायी हल ढूंढ़ने की जरूरत है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा जी और श्री पी.पी. चौधरी जी को श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

श्री राधेश्याम विश्वास (करीमगंज): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र करीमगंज बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। जनवरी, 2010 में नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश ने स्थानीय व्यापार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए बॉर्डर हाट स्थापित करने का फैसला किया। शुरुआत में सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच सप्ताह में एक बार व्यापार होगा, जो स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं और फसलों आदि को बेचेंगे और खरीदेंगे। हाट में बेची जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा; और दोनों देशों की मुद्राओं को व्यापार चलाने की अनुमति दी जाएगी।

महोदय, भारत और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिवों ने 23 अक्तूबर, वर्ष 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और सीमावर्ती हाट स्थापित करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया था। यह निर्णय लिया गया कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर कुल 70 बॉर्डर हाट स्थापित किए जाएंगे। इनमें से चार असम सीमा पर स्थापित किए जाएंगे।

समझौते के अनुसार, बांग्लादेश सीमा से लगे मेघालय और त्रिपुरा में पहले से ही कुछ सीमा *हाट* स्थापित किए जा रहे हैं। हालाँकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह के *हाट* स्थापित करने का प्रस्ताव था, लेकिन आज तक इसकी शुरुआत नहीं हुई। अत, इस महती सभा के माध्यम से मैं केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय से भी अनुरोध करूंगा कि वे स्थानीय हित के लिए इसकी स्थापना करें। धन्यवाद।

श्री एन कृष्णप्पा (हिन्दुपुर): माननीय सभापति महोदय, आन्ध्र प्रदेश में रेशम कोया किसानों और रेशम बुनकरों को पेश आ रही समस्याओं पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश राज्य रेशम कोकून की खेती में देश में दूसरे स्थान पर है और हथकरघा बुनाई में भी यह देश में पहले स्थान पर है।

हथकरघा क्षेत्र की कमजोर स्थिति ने रेशम बुनकरों और रेशम कोकून किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। रेशम कोकून की खेती और रेशम बुनाई दोनों परस्पर संबंधित गतिविधियाँ हैं। दोनों वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रण में हैं और विभिन्न कारणों से बड़े संकट में हैं।

एक तरफ, रेशम बुनकर कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेशम कोया किसान भी न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के कारण आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं।

रेशम बुनकरों के जीवन को बचाने के लिए रेशम का धागा 50 प्रतिशत प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तभी रेशम बुनकर बचेंगे। रेशम कोकून किसानों को कोकून का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। रेशम किसानों को कोकून पर रु. 150 प्रति किलोग्राम की दर से राजसहायता भी प्रदान की जा सकती है। तभी रेशम किसान जीवित रहेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बागवानी किसानों को पैक हाउस के नाम पर रु. 4 लाख की इकाई लागत पर रु. 2 लाख की राजसहायता प्रदान कर रहा है, जबकि केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशम 'पालन शेड' के नाम पर रु. 5 लाख यूनिट लागत पर केवल रु. 1 लाख की राजसहायता प्रदान कर रहा है।

मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि खेतिहर किसानों और रेशम उत्पादक किसानों के बीच भेदभाव क्यों है, जबकि दोनों खेती का काम करते हैं।

इस संबंध में, मैं सरकार से रेशम पालन शेड पर राजसहायता को बढ़ाकर रु. 2.5 लाख करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

अत, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें। मैं सभापीठ के माध्यम से वस्त्र मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे की जांच करें और रेशम बुनकरों और रेशम कोया किसानों की सामाजिक और आथक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनू जिला शेखावाटी क्षेत्र में आता है। यह शौर्यवान वीरों की भूमि है। इस महान सदन को मैं बताना चाहूँगी कि हिन्दुस्तान की सेना में सबसे आधिक सैनिक झुंझुनू जिले से हैं और सबसे आधिक शहीद मेरे जिले से हुए हैं। उन्होंने शेखावाटी के क्षेत्र में परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र आदि दिलाकर देश की सच्ची सेवा की है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सैनिकों का सम्मान करने के लिए, उन सैनिक परिवारों की सेवा के लिए अपने जिले में सैनिक अस्पताल की माँग कर रही हूँ। सरकार अवश्य मेरी माँग पर ध्यान देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री पी.पी. चौधरी जी और श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को श्रीमती संतोष अहलावत जी द्वारा उठाए गए मामले से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

श्री आर के भारती मोहन (मयिलादुथुराई): माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

तमिलनाडु सरकार में माननीय मुख्यमंत्री, *पुरातची थलाइवी अम्मा* ने वर्ष 2015-16 के बजट में कृषि के लिए रु. 6,613.68 करोड़ की रिकॉर्ड राशि आवंटित की है। इस बजट में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए कई विशेष योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं जैसे तमिलनाडु बीज विकास एजेंसी का गठन, एयर कंडीशन सुविधा वाले भंडार गृहों का निर्माण आदि।

इस संबंध में, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु में कृषि के विकास में अपना हिस्सा प्रदान करे।

1. ड्रिप सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राजसहायता के साथ लागू किया जा सकता है।

2. डेल्टा जिले में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय शुरू किया जा सकता है।
3. केंद्र सरकार द्वारा नहरों और नदियों से गाद निकालने के लिए धनराशि जारी की जा सकती है।
4. कृषि कार्यों के लिए केंद्रीय हिस्से से बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है।
5. आई.सी.ए.आर तमिलनाडु में तिलहन और काजू के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू करने के लिए आगे आ सकता है।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखना चाहता हूं। चार साल पहले मानवाधिकार आयोग ने केरल, विशेषकर कासरगोड जिले में सभी उपकरणों से युक्त एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का सुझाव दिया था। यह निर्णय जिले में एंडोसल्फान के लगातार उपयोग के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के संदर्भ में आया था।

सुझाव यह था कि कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक हिस्से के रूप में शुरू किया जाए क्योंकि फंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) से आना था। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि मेडिकल कॉलेज यहीं बनेगा। लेकिन, अब तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। केरल सरकार और जिला प्रशासन द्वारा पहले ही पर्याप्त भूमि और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाया जा चुका है। जैसा कि यह सरकार द्वारा वादा किया गया था और यह केंद्रीय विश्र्वविद्यालय का एक भाग था, मैं सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, एम्स में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को नामाकंन और नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, प्रोन्नति में भी पक्षपात किया जा रहा है, चयन समिति के सदस्य सही मूल्यांकन नहीं करते हैं। चयन समिति में इस वर्ग के प्रतिनिधि को रखा जाये, एम्स के बाहर के विशेषज्ञों को चयन समिति में रखा जाये और जो भी धांधली हुयी है उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनायी जाये।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री विनोद खन्ना को श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र बागपत के उपेक्षित खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत ही उपजाऊ जमीन है। वहां के लोगों के शरीर सुंदर एवं सुडौल हैं। हमारे क्षेत्र ने देश को 70 प्रतिशत निशानेबाज दिए हैं। हमारे क्षेत्र के 350 खिलाड़ियों में 30 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और 50 राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे एथलेटिक्स हैं। हमारे क्षेत्र में बास्केटबॉल और तिरंदाजी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, विशेष रूप से खेल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाया जाये। उसका फायदा न केवल उस क्षेत्र को होगा, बल्कि दिल्ली के आस-पास के शहरों के खिलाड़ियों और युवाओं को भी उसका फायदा मिलेगा ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच सकें।

[अनुवाद]

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): धन्यवाद, सभापति महोदय, महोदय। निजामुद्दीन-तिरूवनन्तपुरम राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को प्रीमियम ट्रेनों में टी.टी.ई और अन्य कर्मचारी लूटते हैं, जिनमें अटेंडेंट और पैंट्री कार के कर्मचारी भी शामिल हैं। पैंट्री कार कर्मचारी यात्रियों से जबरन पैसा वसूलते हैं। उन्होंने टिप के तौर पर एक रकम तय कर रखी है और सभी यात्रियों से उसी रकम की मांग करते हैं। बेडरोल की आपूर्ति के प्रभारी कोच अटेंडेंट के लिए अलग से टिप भी तय की गई है।

आपूर्ति किये गये भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा अपेक्षित मानक के अनुरूप नहीं है। टी.टी.ई. सहित रेलवे कर्मचारी इन गैरकानूनी कृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। खाली सीटें आवंटित करने के लिए टी.टी.ई यात्रियों से बिना कोई रसीद दिए पैसे वसूल रहे हैं। रेलवे अधिकारी यात्रियों की शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे

हैं। जब हमने तिरूवनन्तपुरम के रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि यह ट्रेन पूरी तरह से उत्तर रेलवे द्वारा नियंत्रित है और वे इन याचिकाओं को उत्तर रेलवे को भेजने के अलावा कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जांच कराए और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे और राजधानी एक्सप्रेस में अच्छी सेवाएं सुनिश्चित करे क्योंकि यह लंबी यात्रा वाली ट्रेन है।

श्री सिराजुद्दीन अजमल (बारपेटा): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और इस सम्मानित सदन का ध्यान असम के नागांव जिले के आकाशीगंगा ग्राम पंचायत के हल्दीहाटी के पेयजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा कम न होने की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, यूनिसेफ का एक प्रतिवेदन कहता है कि इस क्षेत्र में एक तिहाई से अधिक लोग, ज्यादातर बच्चे, या तो स्केलेटल फ्लोरोसिस या डेंटल फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं। डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी की अध्यक्षता वाली प्राक्कलन समिति ने भी अपने पहले प्रतिवेदन में इस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है।

महोदय, मुझे दो एल्बम मिले हैं जिन्हें मैं आपको और यहां आए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दिखाना चाहता हूं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चों पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो बच्चे 4, 5, 6, 7 या 8 साल के होते हैं, वे 80 साल के बूढ़े जैसे दिखते हैं। उनके हाथ-पैर रबर जैसे हो गए हैं। इन लोगों का क्या होगा? राज्य सरकार सहायता नहीं करती है क्योंकि वह निर्वाचन क्षेत्र ए.आई.यू.डी.एफ का है। वे कहते हैं कि वे कोई मदद नहीं करेंगे। मैं आठ साल से विधायक के रूप में प्रयास कर रहा था और अब मैं पिछले एक साल से सांसद के रूप में प्रयास कर रहा हूं। राज्य सरकार कहती है कि वे उन्हें एक रुपया भी नहीं देंगे।

महोदय, क्या मैं इसे सदन के सामने रख सकता हूँ?

माननीय सभापति: नहीं।

श्री सिराजुद्दीन अज़मल: मैं माननीय डॉक्टर *साहब* से अनुरोध करूंगा कि यह दिल को छूने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप रो पड़ेंगे, अगर आप ये देखेंगे। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पर ध्यान दें और असम के आकाशीगंगा क्षेत्र के हल्दीहाटी के इन अत्यधिक और बुरी तरह प्रभावित लोगों के लिए कुछ विशेष करें।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, उन्होंने एक निवेदन किया है। हम इसे संबंधित माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को इतनी गंभीरता से रखा है और इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। हम इस पर निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : सभापति महोदय, भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री पी.एल. पुनिया ने डा. ताजुद्दीन अंसारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (10) के तहत ओबीसी की समस्याओं के निदान हेतु सुनवाई करने हेतु 11.04.2011 को अवैतनिक आधार पर नेशनल कोआर्डिनेटर-ओबीसी नियुक्त किया था। यह नियुक्ति अवैतनिक होने के बावजूद भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आधिकारियों ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य सचिव एवं गृह सचिव आदि और वायरलैस विभाग को सुरक्षा, प्रोटोकाल, एस्कार्ट आदि व्यवस्था करने हेतु पत्र के माध्यम से आदेश जारी किए।

दिनांक 27 अगस्त, 2012 को ओबीसी संसदीय कमेटी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार की जाति आयोग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (10) के तहत ओबीसी की समस्याओं के निदान हेतु सुनवाई करने हेतु गलत ठहराया था। इसके बावजूद भी 27 अगस्त, 2012 के बाद डा. ताजुद्दीन अंसारी, नेशनल कोआर्डिनेटर-ओबीसी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आधिकारियों ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वायरलैस विभाग को राज्य सरकारों के मुख्य सचिव एवं गृह सचिव आदि को सुरक्षा, प्रोटोकाल, एस्कार्ट आदि की व्यवस्था करने हेतु पत्र के माध्यम से आदेश जारी करते रहे।

मैं कहना चाहता हूं कि आयोग ने जो कोआर्डिनेटर की नियुक्ति की है, वह ओबीसी के लोगों पर अन्याय करते हैं। उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं हैं, फिर भी गृह मंत्रालय से उन्हें पूरा प्रोटोकाल दिया जाता है। सरकार की निधि का पैसा लूटा जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और ओबीसी के लिए अलग से मंत्रालय बनाकर उन्हें न्याय दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मुंबई दक्षिण मध्य के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर शून्यकाल में बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

बहुत समय पहले, मुंबई के दादर इलाके में महाराष्ट्र राज्य सरकार की जमीन पर कई अधिगृहीत इमारतें, *चॉल* और अन्य संपत्तियां अस्तित्व में आईं। लापरवाही के कारण ये इमारतें अब बेहद जर्जर हालत में हैं। केन्द्रीय सरकारद्वारा इनके पुनर्विकास की कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई है। एल.आई.सी और पी.एस.यू सार्वजनिक परिसर (बेदखली) अधिनियम का दुरुपयोग कर रहे हैं और किरायेदारों/कब्जाधारियों को दस साल के लीज समझौते पर हस्ताक्षर करने की धमकी देकर बलपूर्वक बेदखल कर रहे हैं अन्यथा किराए में रु. 100 प्रति वर्ग फीट की अत्यधिक वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।

किरायेदारों को जबरन तथाकथित हाई पावर्ड कमेटी के सामने पेश होने को कहा जा रहा है. इससे बेदखली की धमकी के तहत अशिक्षित और असहाय किरायेदारों/कब्जाधारियों को मानसिक यातना दी जा रही है। किरायेदारी को कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के उनके आवेदन संबंधित विभागों के पास लंबित हैं।

एल.आई.सी. ने इन इमारतों में रहने वाले किरायेदारों/कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने से साफ इनकार कर दिया। केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि कृपया एल.आई.सी. और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को इन अधिगृहित भवनों के किरायेदारों/कब्जाधारियों की मदद करने और उन्हें स्वामित्व प्रदान करने का निर्देश दें। इसके अलावा, क्षेत्र के लिए एक नीति तैयार करने और इन जमीनों के प्रभावित रहने वालों को केंद्रीय अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : महोदय, सड़क मार्ग हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत को सड़क मार्ग की अच्छी सुविधा देने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से इस योजना की प्रगति बहुत ही धीमी है। जो निर्माण कार्य हो रहा है, उसकी गुणवत्ता

जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है तथा अनुरक्षण का कार्य जो निर्माणकर्ता द्वारा कराया जाना चाहिए, वह नहीं कराया जा रहा है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण की गति बढ़ाई जाए तथा जो भी कार्य निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित हैं या पूर्ण हो चुके हैं, इन सबकी जानकारी हर तिमाही हम सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए तथा अनुरक्षण संबंधी जानकारी भी दी जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा निर्माण कराई गई सड़कें जो टूट चुकी हैं, उनका फिर से निर्माण कराया जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र जी, श्रीमती रीती पाठक जी और श्रीमती संतोष अहलावत जी को श्रीमती अंजू बाला जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

§§§§§§§§**श्री पी.आर.सुन्दरम (नामाक्कल):**माननीय सभापति महोदय, नमस्ते। केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) के माध्यम से प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान सहायता आवंटित करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यप्रणाली पर अनियमितताओं की शिकायतें आती रही हैं। यू.जी.सी ने समीक्षा समितियां भेजना बंद करने का फैसला किया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों के लिए यू.जी.सी. द्वारा केवल रु. 20 करोड़ आवंटित किए गए थे। लेकिन यू.जी.सी ने मुंबई विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय को रु. 100 करोड़ से अधिक का अनुदान प्रदान किया है। यू.जी.सी ने अधिकतम रु.120 करोड़ देने का फैसला किया है। अगर हम इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर केवल रु. 60 करोड़ की राशि प्रदान की जा सकती है, जबकि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों को रु. 300 करोड़ से अधिक की राशि मिल सकती है। समीक्षा समिति में त्रुटियों को सुधारने के बजाय, यू.जी.सी. ने समीक्षा समितियों के माध्यम से समीक्षा और मूल्यांकन की प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया है। यह अनुचित है। मेरा आग्रह है कि किसी विश्वविद्यालय के मूल्यांकन और समीक्षा के बाद यू.जी.सी. को छात्रों की संख्या के शोध और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों के आधार पर अनुदान प्रदान करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यू.जी.सी. ने कोयम्बटूर के अविनासिलिंगम विश्वविद्यालय को अनुदान जारी करना बंद कर दिया है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से सभी विश्वविद्यालयों को पर्याप्त धनराशि आवंटित करने और ऐसे अनुदान प्रदान करने के लिए पिछले दिशानिर्देशों को जारी रखने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

§§§§§§§§*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र जिला धौलपुर राजस्थान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। धौलपुर जिले में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या काफी है। कर्मचारियों एवं आम नागरिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु धौलपुर में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय की बहुत आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से भी मैं इस संदर्भ में आग्रह कर चुका हूं। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि धौलपुर जिले में जल्द से जल्द एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान (मुर्शिदाबाद): महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। फेयरली प्लेस आरक्षण कार्यालय एक धरोहर वाला कार्यालय है, जिसमें पहले पूर्वी और पश्चिमी हॉल में 24 काउंटर थे। दोनों हॉलों की एयर कंडीशनिंग प्रणाली वर्ष 2013 से खराब चल रही थी, जिसके लिए पूर्वी हॉल को अंततः 01 अप्रैल, 2014 से बंद कर दिया गया था और कहा गया था कि एयर कंडीशनिंग का काम पूरा होने के बाद इसे सामान्य रूप से पुनः खोल दिया जाएगा। अब, मुझे कुछ विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा।

अतः मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विदेशी पर्यटकों, *मैत्री एक्सप्रेस* तथा रेलवे यात्रियों के लिए कुछ काउंटर वाले पश्चिमी हॉल को बंद करने के प्रशासनिक निर्णय पर पुनर्विचार करें, जिससे वर्तमान स्थिति से बचने तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने में मदद मिल सके।

[हिन्दी]

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। देश भर में भारत सरकार या राज्य सरकारों की नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों को अपने चंगुल में फंसाने वाली कई फर्जी कम्पनियां लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं को ठग रही है। हाल ही में राजस्थान में भारतीय किसान सेवा केन्द्र में नियुक्ति देने के नाम पर एक फर्जी कम्पनी द्वारा

मेरे लोक सभा क्षेत्र सहित राज्य के कई जिलों के युवाओं से ठगी की गयी है। फर्जी कम्पनी द्वारा उस समय बेरोजगार युवाओं को साढ़े 32 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने का झांसा दिया गया। डाक के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को भेजे गए नियुक्ति पत्रों के साथ कम्पनी ने काफी शर्ते ऐसी लगा रखी थीं, जिन्हें पढ़ने के बाद एक बार तो कोई भी उसके चंगुल में फंस जाए।

बेरोजगार युवाओं को भारत सरकार या राज्य सरकार के नाम से भेजे जाने वाले नियुक्ति पत्र में सिक्योरिटी राशि जमा कराने के लिए फोन पर बैंक एकाउंट नम्बर द्वारा या अन्य तरीकों से पैसे ठगे जा रहे हैं तथा रूपये जमा कराने के बाद बेरोजगारों को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है।

महोदय, वर्तमान में मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती सुविधाओं के साथ ही इन सुविधाओं की मार्फत किये जाने वाले आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी के मामलों में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए पुलिस तंत्र में व्यापक सुधार एवं आधुनिकीकरण शीघ्र किया जाना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के बीच जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी फर्जी कम्पनियों पर लगाम लगाकर बेरोजगार युवकों को लूटने से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): सभापति महोदय, मुझे शून्यकाल के दौरान बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह मामला मेरे राज्य के ग्रामीण युवाओं से संबंधित है।

हमारी जानकारी में आया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्तमान में केन्द्र और राज्य के बीच साझा किए जाने वाले 75:25 के अनुपात को बदलकर 50:50 का अनुपात करने की योजना है। ओडिशा जैसे राज्य ऐसे परिवर्तन को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं, विशेष रूप से एन.आर.एल.एम. के कौशल घटक के संदर्भ में, जिसमें राज्य के ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी आर्थिक अवसर खोलने की अपार संभावनाएं हैं।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को ज्ञात होगा कि एन.आर.एल.एम. में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना तथा उसका उप-घटक 'रोशिनी' भी शामिल है, और ये दोनों ही समाज के कमजोर वर्गों के ग्रामीण युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को विशिष्ट रूप से संबोधित करते हैं। 'रोशिनी' माओवादी प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए उत्पादक विकास के अवसर प्रदान करती है।

एन.आर.एल.एम. और डी.डी.यू.-जी.के.वाई. दोनों ही विशिष्ट और स्पष्ट रूप से ग्रामीण गरीबों पर केंद्रित हैं। डिजाइन, वितरण संरचना और कार्यक्रम मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि कौशल प्रशिक्षण युवाओं की आकांक्षात्मक इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए, ओडिशा जैसे राज्य के हित में, जहां हमारे पास बहुत सारा कौशल है, इसका उपयोग इस प्रकार के विकास के लिए किया जा सकता है। इसलिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पत्र लिखा है। इसलिए, राज्य को आवंटित धनराशि में कमी नहीं की जानी चाहिए। इसके बजाय, मैं केंद्र सरकार से धनराशि बढ़ाने का आग्रह करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, इस समय पूरे देश में किसानों पर आयी प्राकृतिक आपदा की चर्चा हो रही है। कहते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती। उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। पहले आसमानी कहर के कारण फसलें बर्बाद हो गयीं, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बहुत कम मुआवजे तथा बाउंस होने वाले चैक देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।

इस साल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की वजह से खेत उजड़े, फसलें बर्बाद हुईं। जब हताश-निराश हमारे किसान भाइयों ने कहीं कर्ज के कारण, कहीं बेटी की शादी के कारण, कहीं अन्य जिम्मेदारियों की वजह से तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय पर सरकारी राहत उपलब्ध न होने के सदमे के कारण आपदाग्रस्त एक हजार से ज्यादा किसनों की मौत 18 अप्रैल तक हो चुकी है। 20-21 अप्रैल, यानी मात्र 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 54 किसानों की मौत हुई। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के प्रशासन ने एकाध अपवाद को छोड़कर इन मौतों को सामान्य मौतें बताया है।

एक तरफ तो पूरे उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि, आंधी-पानी की वजह से फसलों का भारी नुकसान हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनके मंत्री भव्य आयोजनों में सोने के मुकुट पहन रहे हैं

व विदेशी संगीत का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं किसानों को 1500 रुपये से कम के चैक न देने की घोषणा के बाद भी कम राशि के चैक दिये जा रहे हैं। फसलों के नुकसान का ठीक से आंकलन भी नहीं हो रहा है तथा किसानों को जो चैक दिये जा रहे हैं, वे बाउंस हो रहे हैं, जिसके कारण किसानों के मन में आक्रोश है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता के कारण वहां के किसानों को सदमे व हताशा से उबारने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की बजाय स्वयं योजना बनाकर प्रदेश के किसानों की सहायता करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : माननीय सभापति जी, मैं सदन में दिल्ली के बहुत सेंसटिव मामले को उठाना चाहता हूं। दिल्ली में लैंड रिफार्म एक्ट में सैक्शन 81 और धारा 33 है। ग्राम सभा की भूमि के लिए सैक्शन 81 को यूज़ किया जाता है, अगर किसान अपनी जमीन पर कुछ बना ले या दो भाई अलग होकर कुछ बना लें तो उसे ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों ही नहीं हैं। पिछले बीस वर्षों से हर पार्टी अपने मैनिफैस्टो में कहती आ रही है कि सैक्शन 81 और धारा 33 को वेव ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। अभी दिल्ली में सरकार बनी है। मेरा निवेदन है कि सैक्शन 81 में अगर कोई किसान अपनी जमीन को बेचता है, 20 या 25 साल पुराने मकानों को बेचता है तो पटवारी, एसडीएम

उनको नोटिस देकर डराते हैं कि तुम्हारी जमीन ग्राम सभा में वेस्ट हो जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली में ग्राम सभा है ही नहीं और यह काला कानून आज तक चल रहा है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

धारा 33 में किसान आठ एकड़ जमीन बेच सकता है। अगर उसे पैसे की जरूरत है तो वह एक या आधा एकड़ जमीन नहीं बेच सकता है। उसे पूरी आठ एकड़ ही बेचनी पड़ेगी। यह कानून अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। वह आठ एकड़ नहीं बेच सकता है, उसे आठ एकड़ पर स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी इसलिए वह पावर ऑफ अटार्नी पर जमीन बेच देता है। इससे रैवेन्यू सरकार को नहीं मिल पाता है और रजिस्ट्री भी नहीं हो पाती है। इस कारण दूसरे व्यक्ति मालिक नहीं बन पा रहे हैं। यह राज्य सरकार का मसला है इसलिए उसे केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजना चाहिए। मैंने माननीय गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मंगाई जाए। इन दोनों धाराओं का औचित्य दिल्ली में नहीं है क्योंकि दिल्ली में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत नहीं है। एसडीएम और रैवेन्यू रिकार्ड के आधिकारी ग्राम सभा में जमीन वेस्ट होने के नाम पर हफ्ता वसूली करते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। वहां के लोगों का शोषण किया जा रहा है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

************श्री के.परसुरमन (तंजावुर):** माननीय सभापति, वणक्कम। वरिष्ठ नागरिक हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति हैं। केवल उनकी कड़ी मेहनत के कारण ही हमारा समाज इस स्तर तक विकसित हुआ है। जो वरिष्ठ नागरिक हे उन्की मदद करना हम सभी का प्राथमिक कर्तव्य है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2011 के दौरान 90 मिलियन बुजुर्ग व्यक्ति थे और उक्त प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2016 के दौरान यह संख्या बढ़कर 173 मिलियन हो सकती है। इन 90 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों में से 60 मिलियन अलगाव में रहते हैं। उनमें से लगभग 90 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका स्वयं कमाते हैं। अतः, मैं आग्रह करता हूं कि सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लानी चाहिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के लिए और अधिक योजनाओं की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब ये बुजुर्ग लोग एकांत में रह रहे हैं, उन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं एक उदाहरण दे सकता हूं जिसका तमिलनाडु में पालन किया जाता है। माननीय पुरातची थलाइवी अम्मा के मार्गदर्शन में, तमिलनाडु में एक योजना लागू की जा रही है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल पृथक-वास में रह रहे इन वरिष्ठ नागरिकों से उनके घरों पर जाकर मुलाकात करेंगे तथा उनकी सुरक्षा और अन्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बारे में सुनिश्चित करेंगे । पुलिस द्वारा हाल ही में इन वरिष्ठ नागरिकों से मिलने आए लोगों के पूर्ववृत्त का सत्यापन भी किया गया। ऐसी योजना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए। वरिष्ठ व्यक्तियों के स्वास्थ्य को परम महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि केंद्र सरकार को बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना करनी चाहिए। पी.पी.एफ., ई.पी.एफ., एल.आई.सी. में अप्रयुक्त पड़ी लगभग 30,000 करोड़ रुपये की अघोषित धनराशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष बनाने में उपयोगी बनाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि हम उनके बहुत ऋणी हैं। मैं यह भी आग्रह करता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए वर्ष 2011 में गठित मोहिनी गिरी समिति के प्रतिवेदन को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

***********मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[अनुवाद]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट जनपद में सैंकड़ों ग्रामों एवं मजरों में विद्युत व्यवस्था नहीं है। 1000 से 1500 तक की और 2000 तक की आबादी इस व्यवस्था से वंचित है। इसमें 500 से 1000 तक की बहुत से मजरे छूटे हुए हैं। यहां 100 से 500 तक की आबादी के सैंकड़ों मजरे हैं। भारत सरकार ने विद्युत विभाग से सर्वे करा लिया है। 100 तक की आबादी के क्षेत्रों का विद्युतीकरण कराया जाएगा।

मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने निर्देश दिया है कि हम सौ तक के बदले करा लेंगे लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक उन गांवों में कोई काम शुरु नहीं हुआ है। आधिकारियों से बात करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। क्षेत्र में लोगों में भारी रोष है। लोगों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में बिजली न रहने से तमाम तरह की दुर्व्यवस्था फैल रही हैं और लोगों का जीना मुश्किल है तथा सरकारी कार्य बाधित हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा में चित्रकूट के जो जनपद छूट गये हैं जहां आज आज़ादी के बाद भी कोई विद्युत व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां यथाशीघ्र विद्युत व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में संसदीय क्षेत्र में आतिवृष्टि से वर्ष 2014 में खरीफ की फसलें जनपद जालौन में 50 प्रतिशत से आधिक बर्बाद हो जाने पर तहसीलवार सर्वे करवाकर एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत जिलाधिकारी जालौन द्वारा मांगी गई धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई जिसे तहसीलवार बांटा गया। इस कारण से 50 प्रतिशत ग्राम व कृषक वंचित रह गये। इस संबंध में उ.प्र. सरकार ने शेष धनराशि क्यों नहीं भेजी जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त है व उत्तर प्रदेश सरकार की यह कार्यवाही नीति संगत नहीं है। मेरी मांग है कि शेष डिमांड का 50 प्रतिशत पैसा कृषकों को दिया जाए।

जनपद जालौन की शीर्ष सहकारी बैंक जालौन को-आपरेटिव लि. उरई है। [अनुवाद] जनपद की समस्त 64 सहकारी समितियों द्वारा कृषकों के खाद, बीज, व ऋण वितरण, खरीफ 2014 में लेने पर 6 प्रतिशत

धनराशि बीमा में प्रीमियम के रूप में काट ली गयी। बीमा का कुल प्रीमियम 1,72,35,587.99 रुपया जालौन कोआपरेटिव बैंक द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक आई.सी.आई.सी. आई. बैंक (लोम्वार्ड जनरल इंश्योरेंस, लखनऊ) को चैक द्वारा 25-08-2014 को भेजा गया। यह धनराशि 580 ग्राम पंचायतों के कृषकों से ली गयी जिसमें 217 ग्राम पंचायतों को बीमा का लाभ मिला तथा 363 ग्राम पंचायतों को बीमा नहीं दिया गया जिससे जनपद जालौन में 16961 कृषकों में से 9379 कृषकों को लाभ नहीं मिला। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा क्लेम भी जिलाधिकारी जौलान द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार न देकर मनमाने ढंग से भेजा जिया जिसका कोई आधार नहीं बताया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): महोदय, सोना मसूरी चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों जैसे रायचूर, सिंधनोर, बेल्लारी, कोप्पल और सिरुगुप्पा, जो उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा हैं, की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ये क्षेत्र प्रकृति द्वारा बहुत धन्य हैं, जहां धान की फसलों के लिए थुंगभद्रा परियोजना के माध्यम से हमेशा पानी उपलब्ध रहता है, साथ ही बड़ी संख्या में कृषि आधारित उद्योग, यानी आधुनिक तकनीक वाले चावल मिलें हैं जो विशेष रूप से सोना मसूरी के लिए उपयुक्त हैं।

यह वह स्थान है जहां किसान थुंगभद्रा परियोजना के माध्यम से छह लाख हेक्टेयर से अधिक धान की फसल के साथ भारी मात्रा में सोना मसूरी चावल का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें से 90 प्रतिशत केवल अच्छी गुणवत्ता वाले सोना मसूरी चावल के लिए है और इस चावल की गुणवत्ता की भारत के साथ-साथ कुछ अन्य देशों में भी काफी मांग है। यदि हमें सरकार से इसे अन्य देशों में निर्यात करने की अनुमति मिल जाए तो यह हमारे किसानों की आजीविका के साथ-साथ हमारी आर्थिक वृद्धि में भी सहायक होगा। अतः अनुरोध है कि इसे 'मेक इन इंडिया' का हिस्सा मानकर निर्यात की अनुमति दी जाए, जिससे हमारे किसानों के साथ-साथ कृषि उद्योग को भी सरकार से बढ़ावा मिलेगा।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम.आई. शनावास (वायनाड): सभापति महोदय, इस शून्य काल में मुझे एक महत्वपूर्ण मामला उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मैं, सभापति महोदय के माध्यम से, इस सदन का ध्यान भारत की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की अत्यंत दयनीय एवं अनुचित दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 2,78,000 से अधिक लोग विचाराधीन हैं। … (*व्यवधान*)

मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए बाध्य हूं। कल सभी टीवी चैनल और अखबार इस खबर से भरे पड़े थे कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे एक गरीब आदमी को गाड़ी से कुचल कर मार डाला। इस प्रसिद्ध व्यक्ति को दोषी ठहराया गया। इस दोषी व्यक्ति, जो एक मेगा फिल्म स्टार है, को कुछ ही कार्यवृत्त या घंटों के भीतर अंतरिम जमानत मिल गई। अब सुनने में आया है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने भी इस शख्सियत को चार महीने की जमानत दे दी है। सभापति महोदय, कल मुम्बई में एक वर्ग के सेलेब्रिटी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया *...(व्यवधान)* मैं कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहता जो *विचाराधीन हो।*

माननीय सभापति: मामला न्यायालय में है।

श्री एम.आई. शनवास: यह एक विरोधाभास है। लगभग 2,78,000 लोग विभिन्न जेलों में हैं लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी दोषी ठहराया जाता है तो उसे तुरंत जमानत मिल जाती है। दिसंबर 2014 में उच्चतम न्यायालय में फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सजा की आधी अवधि तक जेल में रह चुका है, तो उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए। भारत में समस्या यह है कि यहां दो तरह का न्याय होता है। गरीब लोग, अल्पसंख्यक लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं उन्हें जमानत नहीं मिलती है, लेकिन एक सेलिब्रिटी को दोषी ठहराए जाने पर भी जमानत मिल जाती है। दिसंबर 2014 में आया उच्चतम न्यायालय का आदेश उन सभी को रिहा करने का है।

उन विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं जो बिना किसी कारण के कई वर्षों से जेलों में बंद हैं। माननीय मंत्री श्री हर्ष वर्धन जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसे प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाएं।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, प्राचीन समय से बिहार ज्ञान एवं विज्ञान का केन्द्र रहा है। जहां दुनिया भर के देशों से लोग नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर आया करते थे। किन्तु आज वहां की शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त ही दयनीय हो गयी है। बिहार के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त हजारों शिक्षक महीनों से राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका समर्थन अस्थायी शिक्षक भी कर रहे हैं, जिससे विद्यालयो में लाखों छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन ठप्प है एवं उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर संवेदनहीन बनी हुई है। संविदा शिक्षकों को मात्र पांच से सात हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। साथ ही शिक्षकों द्वारा वेतनमान के निर्धारण को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। सरकार उनकी समुचित समस्याओं का समाधान न कर, उन पर लाठियां बरसाते हुए दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रही है। दैनिक मजदूर के समकक्ष उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गयी है एवं शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। अतः केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय आविलम्ब हस्तक्षेप कर संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को न्याय दिलाने की दिशा में पहल करने का कष्ट करे, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहाल हो। साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करे जिससे बिहार गौरवमय रूप से आगे बढ़ता रहे।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, ओडिशा में रेलवे लाइन की बहुत कमी है और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो जिलों में तो बिलकुल भी रेल लाइन नहीं है। ओडिशा सरकार ने जयपुर-नबरंगपुर के लिए पचास प्रतिशत प्रोजेक्ट कॉस्ट और जमीन फ्री में देने एवं जयपुर से मलकानगिरी तक के प्रोजेक्ट के लिए 25 प्रतिशत कॉस्ट का देने के लिए

कमिटमेंट किया है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में एक और प्रोजेक्ट है जो खुरदाब्लांगिर का 112 किलोमीटर से 289 किलोमीटर तक का प्रोजेक्ट का पचास प्रतिशत कॉस्ट और जमीन फ्री में देने के लिए जनवरी, 2014 में कमिटमेंट किया है और पहले दो प्रोजेक्ट के लिए सितम्बर, 2014 में कमिटमेंट किया है। इतना समय होने के बाद भी केन्द्र सरकार और रेलवे विभाग ने कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जल्दी-जल्दी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट करके तीनों प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): धन्यवाद सभापति महोदय।

महोदय, मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से निवारचित होकर आया हूं। बिलासपुर दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय है, साथ ही वहां रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। मैं कहना चाहूंगा कि पशु-पक्षी को भी पानी और छाया की जगह दी जाती है, परन्तु रेलवे विभाग के द्वारा सन् 1890 में वहां रहने के लिए जमीन पिछड़ी जाति-समाज के लोगों को दी गयी थी। इनमें डोमार, महत्तर, स्वीपर आदि लोग रहते हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और लगभग ये सभी लोग रेलवे विभाग में ही सफाई का काम करते हैं। इनको वहां से हटाने के लिए बार-बार नोटिस दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आप वहां अवैध रूप से रह रहे हैं। जबकि जिस समय रेलवे के द्वारा भूमि आधिग्रहित की गयी, उस समय उनको रहने के लिए वह जमीन दी गयी थी। महात्मा गांधी जी के नाम पर वहां बापू उपनगर बसाया गया था, उसी क्षेत्र में ये लोग निवासरत हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि इन लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा तो वे बेघर हो जाएंगे, वे लोग घर बनाने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। साथ ही, सामाजिक परिवेश के कारण उन लोगों को वहां किराए पर भी मकान नहीं मिलता है।

इसलिए रेलवे विभाग से मेरा निवेदन है कि इनके लिए समुचित व्यवस्था करके ही वहां से हटाया जाए ताकि ये गरीब परिवार, अनुसूचित जाति के लोग सरकार द्वारा दिए जाने वाले आवासों में व्यवस्थित ढंग से रह सकें।

आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: सदन की कार्यवाही सोमवार, 11 मई, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

जी181

<u>सायं 6.52 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 मई, 2015 / 21 वैशाख, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित